वर्ष 2025 में रायपुर पुलिस की उपलब्धियां

आकड़ों की जुबानी

अवधि 01.01.2025 से 31.12.2025 तक

- ➔ वर्ष 2025 में रायपुर के समस्त थानों में कुल 15,885 एफ.आई.आर. दर्ज किये गये है, वर्ष 2024 में रायपुर के समस्त थानों में कुल 17,703 एफ.आई.आर. दर्ज किये गये थे।
- ➔ इस वर्ष हत्या के 90 प्रकरणों में कार्यवाही करते हुए 85 प्रकरणों में कुल 167 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
- ➔ इस वर्ष हत्या के प्रयास के 97 मामलों में से 90 प्रकरणों में कुल 213 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
- ➔ इस वर्ष डकैती के 07 प्रकरणों में से 06 प्रकरणों में 43 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करते हुए कुल 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
- ➔ इस वर्ष 2025 में लूट के 71 मामलों में से 137 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि पिछले वर्ष 2024 में 73 मामले थे। इसमें 2.74 प्रतिशत की कमी आई है।
- ➔ चोरी के पिछले साल 2024 में 1497 मामले थे, इस साल 2025 में चोरी के 1442 प्रकरण दर्ज हुए हैं। नकबजनी के 473 मामले दर्ज किये गये हैं जबकि पिछले वर्ष 2024 में 526 मामले दर्ज हुए थे।
- ➔ 2024 में बलवा के 87 मामले थे इस साल 2025 में 82 मामले दर्ज किये गये हैं। इसी प्रकार धोखाधड़ी के इस साल 2025 में 292 प्रकरण हैं, 2024 में 250 प्रकरण दर्ज हुए थे।
- ➔ वर्ष 2025 में नारकोटिक एक्ट के कुल 271 प्रकरणों में कुल 445 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित मादक पदार्थ एवं घटना में प्रयुक्त वाहन, मोबाईल फोन एवं अन्य सामग्री जुमला कीमती लगभग 27839615/– रूपये का जप्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से दीगर राज्य जैसे उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब एवं हिमांचल प्रदेश के साथ–साथ 02 विदेशी जिसमें 02 नाईजीरिया के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
- ➔ वर्ष 2025 में गुण्डा/निगरानी बदमाशों को जिला बदर करने हेतु माननीय जिला दण्डाधिकारी के समक्ष कुल 33 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें 05 गुण्डा/निगरानी बदमाशों के विरूद्ध जिला बदर के आदेश पारित हुये है।

➔ आदतन नशा करने वाले एवं उसके आदि सैकडो व्यक्तियों को नशा से दूर रहने जागरूक करते हुये उनके परिवार जनों का काउंसलिंग कर उन्हें नशा मुक्ति केन्द्र में ''रि–हेबीलिटेशन'' हेतु भेजा गया।

क्र.	अपराध शीर्ष	रिपोर्ट	गिरफ्तार		संपत्ति	
			प्रकरण	व्यक्ति	मशरूका	बाजाप्ता
1	हत्या 302	90	85	167	-	-
2	हत्या का प्रयास	97	90	213	-	-
3	डकैती	7	7	43	1735200	994200
4	लूट 392 से 394	71	55	137	20142620	6207687
5	नकबजनी	473	187	352	49362070	17174671
6	चोरी	1442	290	422	56490536	15049273
7	बलवा 147 से 151	82	60	356	-	-
8	धोखाधड़ी 420	292	292	170	-	-
9	नारकोटिक एक्ट	271	271	445	27839615	

- अंतर्राज्यीय/स्थानीय गिरोह (नकबजनी/चोरी) – जिले के थानों में दर्ज नकबजनी/चोरी के प्रकरणों में वर्ष 2025 में अंतर्राज्यीय गिरोह के 32 आरोपियों सहित स्थानीय गिरोह के 15 आरोपियों गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

अंतर्राज्यीय गिरोह –

1. बिहार (कटिहार) गिरोह।
2. महाराष्ट्र (नागपुर एवं पुणे) गिरोह।
3. महाराष्ट्र (नागपुर) महिला गिरोह।
4. झारखण्ड (साहेबगंज) गिरोह।
5. तमिलनाडू गिरोह।

स्थानीय गिरोह –

1. पारधी गिरोह।
2. देवार गिरोह।

विशेष/स्थानीय अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही

- आर्म्स एक्ट के तहत् वर्ष 2025 में 561 प्रकरणों में 566 आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। जप्त हथियार इस प्रकार हैं–

हथियार	जब्त संख्या
चाकू	543
तलवार	7
रिवाल्वर	5
देशी कट्टा	8
पिस्टल	2
कारतूस	141

- सट्टा के 73 प्रकरणों में 88 आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 9,10,643 रूपये की मशरूका जप्त किया गया। इस वर्ष 2025 में ऑन लाईन सट्टे पर रायपुर पुलिस द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए ऑनलाईन क्रिकेट सट्टा का संचालन करने वाले आरोपियों के विरूद्ध प्रदेश सहित झारखण्ड, मध्य–प्रदेश, पंजाब, उत्तर–प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं दिल्ली में रेड कार्यवाही करते हुए ऑनलाईन सट्टा में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

- जुआ के 153 प्रकरणों में 709 आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई जबकि गत वर्ष 148 प्रकरणों में 653 आरोपियों पर कार्यवाही की गई थी।

- आबकारी एक्ट के तहत् वर्ष 2025 में 4577 प्रकरणों में 4650 आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। आबकारी एक्ट के तहत् जप्ती इस प्रकार है –

शराब	Litre
देशी	4190.721
अंग्रेजी	1877.202
बीयर	31.64
कच्ची शराब	3

प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

(अवधि 01.01.2025 से 31.12.2025 तक)

क्र.	अपराध शीर्ष	प्रकरण	व्यक्ति
1	धारा 110 जा.फौ.	727	727
2	धारा 109 जा.फौ.	9	9
3	धारा 151जा.फौ.	8301	10061
4	धारा 107,116,(3) जा.फौ.	2029	17901

1	वर्ष 2025 में खोले गये गुण्डा बदमाश	129
2	वर्ष 2025 में खोले गये निगरानी बदमाश	25
3	गैंग हिस्ट्रीशीट की संख्या	03

- वर्ष 2025 में गुम बालक/बालिकाओं के कुल 600 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये थे, जिनमें 413 बालक/बालिकाओं को पुलिस द्वारा प्रदेश सहित अन्य राज्यों से सकुशल बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

"एनडीपीएस" एक्ट कार्यवाही

01.01.2025 से 31.12.2025 तक

क्र	किस्म मादक पदार्थ	प्रकरण	गिरफ्तारी	जप्ती मात्रा	कुल कीमत
1	गांजा (किग्रा)	193	287	1074.622 कि. ग्रा.	13897655
2	पौधा (नग)	0	0	0	0
3	अफीम (ग्राम)	3	3	2.0863 कि.ग्रा.	757750
4	ब्राउन शुगर (ग्राम)	2	7	12.900	168000
5	हेरोईन	30	83	1393.79 मि.ग्रा.	9946120
6	चरस	1	1	7.015 मि.ग्रा.	10725
7	एमडीएमए/ड्रग्स	6	20	76.55 मि.ग्रा.	765500
8	नशीली टेबलेट	23	29	4399 नग	943652
9	सिरप	10	19	307 बाटल	750413
10	मैजिक मशरुम	0	0	0	0
11	कोकिन	2	3	23.56 ग्राम.	878000
12	अन्य नशीली पदार्थ	4	5	3260.49	28900
	योग	271	445		28146715

- **<u>नशे के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन निश्चय"</u>** के तहत् नशे का काला कारोबार करने वाले आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये ड्रग्स एवं अन्य मादक पदार्थो (गांजा, चिट्टा, अफीम एवं एम.डी.एम.ए.) का सप्लाय नेटवर्क ध्वस्त करते हुये आरोपियों के विरूद्ध End to End कार्यवाही की गई है। पंजाब, हरियाणा, उडीसा, राजस्थान, केरल, झारखण्ड, महाराष्ट्र, बिहार एवं उत्तर–प्रदेश के अंतर्राज्यीय आरोपियों के साथ – साथ पाकिस्तान के थ्रू ड्रग्स सप्लाय करने वाले अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरणों में कुल 70 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

- **<u>ध्वस्त किये गये ड्रग्स कार्टल –</u>**

  01. सुवित श्रीवास्तव ड्रग नेटवर्क
  02. पिन्दर उर्फ रूपिन्दर सिंह उर्फ पाबलो ड्रग नेटवर्क
  03. मनमोहन सिंह संधू उर्फ जग्गू ड्रग नेटवर्क
  04. नाव्या मलिक एम.डी.एम.ए ड्रग नेटवर्क
  05. कमलेश अरोड़ा उर्फ लाली नेटवर्क
  06. बगेल सिंह नेटवर्क
  07. आयुष दुबे नेटवर्क
  08. गगनदीप सिंह नेटवर्क
  09. पराग बरछा उर्फ रघु नेटवर्क
  10. अब्दुल करीम उर्फ समीर नेटवर्क
  11. मनीष रोचलानी चिट्टा नेटवर्क
  12. कैलाश बिश्नोई नेटवर्क
  13. दिलबाग सिंह नेटवर्क

- **पिट नारकोटिक एक्ट के तहत कुल 40 आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण तैयार कर संभागायुक्त कार्यालय भेजा गया, जिसमें 31 प्रकरण में आरोपियों को जेल भेजा गया है। शेष 09 प्रकरण विचाराधीन है।**

वर्ष 2025 में यातायात व्यवस्था बनाने के संबंध में किये गये कार्य

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>विवरण</th><th>की गयी कार्यवाही</th></tr>
<tr><td>01</td><td>जागरूकता कार्यक्रम</td><td>सड़क पर चलने के लिए यातायात नियमों का पालन आवश्यक है। यातायात नियमों की अनदेखी करने के फलस्वरूप सड़क हादसों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। जिला रायपुर में बढ़ते हादसों को नियंत्रित करने के प्रयास में नागरिकों को यातायात नियमों की नियमित रूप से जानकारी प्रदाय किया गया है। यातायात जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत रायपुर शहर के 44 चौक चौराहों पर स्थापित आईटीएमएस के स्मार्ट पीए सिस्टम से प्रभावी नियंत्रण किया जाता है। 121 स्कूल एवं कालेजों में, 03 कार्यक्रमों में व्यवसायिक वाहन चालकों को, ग्रामीण क्षेत्रों में मालवाहक वाहनों में सवारी परिवहन को रोकने के लिए तथा पुलिस मितान बनाने युवाओं के मध्य 333 कार्यक्रम किया गया। इसके अतिरिक्त एनजीओं के सहयोग से चौक चौराहों व अन्य संस्थानों में 199 जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कुल 653 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें लगभग 496250 जनता को यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक बनाया गया तथा यातायात नियमों का पालन कर वाहन चालन करने की अपील की गई है।

ग्रामीण क्षेत्र में मालवाहक वाहन चालक/मालिक का सम्मेलन व जागरूकता कार्यक्रम – मालवाहक वाहनों में सवारी परिवहन के कारण लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु ग्रामीण व शहरी थाना क्षेत्र में मालवाहक वाहनो की सूची तैयार कर उनसे संपर्क कर एवं स्थानीय प्रतिनिधियों के सहयोग से थाना एवं सार्वजनिक स्थान पर सम्मेलन कर यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन न चलाने, मालवाहक वाहनों में कार्यक्रमों के दौरान लोगों का परिवहन नही करने संबंधी नियमों की जानकारी देकर लोगों से सड़क पर आवागमन के दौरान जीवन की सुरक्षा हेतु जागरूक व सजग रहने प्रेरित किया गया। वर्ष 2025 में जिला रायपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 47 कार्यक्रम आयोजित कर 13400 से अधिक वाहन चालकों एवं अन्य लोगों को समझाइश दिया गया है। मालवाहक वाहनों में सवारी परिवहन करते पाये जाने पर माह दिसम्बर 2025 तक 149 वाहनों में कार्यवाही कर 745000 रूपये परिसमन किया गया है।</td></tr>
<tr><td>02</td><td>सड़क दुर्घटना</td><td>जिले में राजधानी होने के कारण यातायात का अत्यधिक दबाव है। सड़क हादसों को कम करने के लिए पुलिस विभिन्न जिम्मेदार विभागों से नियमित रूप से समन्वय स्थापित कर दुर्घटनाजन्य स्थलों पर सुधार/निर्माण की कार्यवाही करा रही है। दुर्घटना जन्य स्थलों पर अभियान चलाकर मोटरयान अधिनियम की कार्यवाही किया गया है। दुर्घटना के कारकों की पहचान कर दुर्घटना नियंत्रण के प्रयास में नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही है। माह 28 दिसंबर तक हुए सड़क दुर्घटना की तुलनात्मक जानकारी निम्नानुसार हैः–
<table>
<tr><th>क्र</th><th>वर्ष</th><th>दुर्घटना</th><th>मृत्यु</th><th>घायल</th><th>कमी/वृद्धि मृतकों में</th></tr>
<tr><td>01</td><td>2024 (जनवरी से दिसंबर तक)</td><td>2079</td><td>594</td><td>1495</td><td rowspan="2">3.4% की वृद्धि</td></tr>
<tr><td>02</td><td>2025 (01 जनवरी से 28 दिसंबर तक)</td><td>2047</td><td>615</td><td>1374</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>03</td><td>चालानी कार्यवाही</td><td>सड़क पर यातायात अनुशासन स्थापित करने, यातायात नियमों का पालन कराने एवं सड़क हादसों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत नियमित रूप से कार्यवाही की गयी है। मोटरयान</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>अधिनियम के तहत की गयी चालानी कार्यवाही की तुलनात्मक जानकारी निम्नानुसार है–
<table>
<tr><th>क्र</th><th>वर्ष</th><th>प्रकरण</th><th>समन शुल्क</th></tr>
<tr><td>01</td><td>2024 (जनवरी से दिसंबर)</td><td>97187</td><td>10,75,44,350</td></tr>
<tr><td>02</td><td>2025 (28 दिसंबर तक)</td><td>144050</td><td>14,32,45,800</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>04</td><td>लायसेंस निलंबन की कार्यवाही</td><td>माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने जैसे तेज रफ्तार, ओव्हरलोड वाहन, शराब पीकर वाहन चलाना, मालवाहक वाहनों में यात्री बिठाना, रेड सिग्नल जंप करना, मोबाईल से बात करते वाहन चलाना आदि मोटरयान अधिनियम की अवहेलना पर वाहन चालक का लायसेंस निलंबन कराया गया है। वर्ष 2025 में 2046 प्रकरणों पर लायसेंस निलंबन कराया गया है।</td></tr>
<tr><td>05</td><td>गुड सेमेरिटन को सम्मानित करना</td><td>जिला रायपुर में सड़क हादसों में घायलों की तत्काल सहायता कर एम्बुलेंस/स्वयं के वाहनों में हास्पिटल पहुचाने वाले गुड सेमेरिटन को प्रमाण पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदाय कर सम्मानित किया गया है साथ ही गुड सेमेरिटन को प्रोत्साहित करने हेतु सम्मानित गुड सेमेरिटन का शहर के भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों में पोस्टर लगाया गया है। जिला रायपुर में माह जनवरी 2025 से दिसम्बर तक कुल 39 गुड सेमेरिटन को सम्मानित किया गया है। यातायात जनजागरूकता कार्यक्रमों में नियमित रूप से लोगों को गुड सेमेरिटन की जानकारी देकर सड़क दुर्घटना में घायलों की जान बचाने हेतु आगे आने प्रेरित किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>06</td><td>शराबी चालकों के विरूद्ध विषेष अभियान कार्यवाही</td><td>मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन चलाने से होने वाले दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु शराब सेवन चेकिंग अभियान नियमित रूप से चलाया जाता है। प्रतिदिन चेकिंग के साथ साथ सप्ताह के अंतिम अवकाश के दिनों में रात्रि में अभियान चलाकर कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2025 में 1 जनवरी से 28 दिसंबर तक कुल 1711 शराबी चालकों पर कार्यवाही की गयी है।</td></tr>
<tr><td>07</td><td>सोशल मीडिया में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण</td><td>यातायात संबंधी सुझावों एवं समस्या के त्वरित निराकरण हेतु नागरिकों को यातायात हेल्प लाईन 9479191234 नंबर प्रदाय किया गया है। नागरिकों द्वारा हेल्प नंबर पर कॉल कर या सोषल मीडिया वाट्सअप एप में वाट्सअप कर यातायात जाम की सूचना, रैस ड्रायविंग करने वाले या यातायात बाधित करने वाले वाहनों/ चालकों के फोटो ग्राफ्स भेजकर षिकायत करते है। साल 2025 में 223 शिकायतों का निराकरण किया गया जिसमें एमव्हीएक्ट की कार्यवाही के साथ साथ भारतीय न्याय संहित की धाराओं के तहत भी कार्यवाही की गयी है।</td></tr>
<tr><td>08</td><td>तेज रफ्तार पर नियंत्रण हेतु कार्यवाही</td><td>राजमार्गों पर वाहनों के अनियंत्रित गति से होने वाले हादसों पर नियंत्रण के लिए स्पीड राडार लगे वाहनों को तैनात किया गया है। शहर से गुजरने वाले हाइवे एवं नया रायपुर के मार्गों में आईटीएमएस से स्पीड डिटेक्शन कैमरा लगाया जाकर तेज रफ्तार चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध ई–चालान की कार्यवाही भी की जा रही है। वर्ष 2025 में 1 जनवरी से 28 दिसंबर तक 10866 तेज रफ्तार वाहनों पर कार्यवाही की गयी है।</td></tr>
<tr><td>09</td><td>आईटीएमएस के माध्यम से अपराधिक प्रकरणों का निराकरण</td><td>शहर में आईटीएमएस के कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। अपराधिक घटनाओं पर अपराधियों की पहचान में कैमरे की उपयोगिता सार्थक सिद्ध हुई है। वर्ष 2025 में अपराधिक प्रकरणों के 53 प्रकरणों में कैमरों के फुटेज से अपराधियों की पहचान कर उन तक पहुंचने में सफलता प्राप्त हुई है। कैमरे शहर की निगरानी के लिए काफी उपयोगी है।</td></tr>
<tr><td>10</td><td>आटो में सामान छूटने पर उन्हे वापस दिलाना</td><td>शहर में संचालित आटो वाहन में यात्रियों के सामान छूटने की षिकायत पर आईटीएमएस के कैमरों से आटो की फुटेज देखकर नंबर की पहचान करते हुए यातायात थाना में उपलब्ध आटो चालकों/मालिकों के डिटेल से उनके पते पर या मोबाईल नंबर से संपर्क कर यात्रियों के सामान को मंगाकर यात्रियों को सुरक्षित दिलाया गया है। वर्ष 2025 में 35 यात्रियों को आटो वाहन में छूटे सामान को दिलवाया गया है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>11</td><td>ब्रिज के निर्माण पर डायवर्सन/ यातायात व्यवस्था बनाना</td><td>रायपुर शहर में मंदिर हसौद चौक एवं रेल्वे समपारों पर ओव्हरब्रिज/अंडरब्रिज का निर्माण कार्य के दौरान उस मार्ग में आवागमन करने वाले यातायात को परिवर्तित मार्गों पर डायवर्ट कर सुरक्षित रूप से आवागमन कराया। यातायात पुलिस के नियमित कार्य करने से निर्माणाधीन मार्ग में आवागमन करने वाले वाहन चालकों को किसी प्रकार असुविधा नही हुई।</td></tr>
<tr><td>12</td><td>व्हीव्हीआईपी आवागमन पर सुरक्षित मार्ग व्यवस्था बनाकर निर्बाधित आवागमन कराना</td><td>माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के अतिरिक्त अन्य केन्द्रीय मंत्री के रायपुर छ.ग. प्रवास में आवागमन के दौरान उत्तम मार्ग/पार्किंग व्यवस्था बनाकर निर्बाधित रूप से कार्यक्रम संपन्न कराया। एकदिवसीय क्रिकेट मैच, डीजी/आईजी सम्मेलन, राज्योत्सव एवं विभिन्न धर्म समुदायों के धार्मिक उत्सवों के दौरान शहर में निकाले गये रैली/जूलुस/शोभायात्रा पर बेहतर यातायात व्यवस्था बनाया गया।</td></tr>
<tr><td>13</td><td>विभागों से समन्वय कर ब्लैक स्पॉट पर सुधार कार्यवाही–</td><td>सड़कदुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार विभागों (नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इत्यादि) से लगातार समन्वय बनाकर दुर्घटना नियंत्रण हेतु सुधार/निर्माणकार्य कराया गया है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की आयोजित बैठकों में दुर्घटना नियंत्रण एवं सुगमतापूर्वक यातायात संचालन के बाधक तत्वों को हटाने की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव रखकर संबंधित निर्माण एजेंसी विभागों को सर्वसहमति से कार्यवाही करायी जाती है।</td></tr>
<tr><td>14</td><td>सर्विस रोड एवं शहर में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों व अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही</td><td>शहर के आउटर क्षेत्रों के मुख्य मार्गों एवं सर्विस रोड पर अवैध पार्किंग हुए वाहनों के कारण होने वाले दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए लगातार कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2025 में शहर एवं हाइवे में 01 जनवरी से 28 दिसंबर तक 41136 वाहन चालकों के विरूद्ध अवैध पार्किंग पर कार्यवाही की गयी है। उक्त कार्यवाही में 5646 ट्रक, मेटाडोर एवं यात्री बस वाहन है।</td></tr>
<tr><td>15</td><td>हाइवे पेट्रोलिंग व्यवस्था</td><td>राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में 04 हाइवे पेट्रोलिंग वाहन जिसे खारून नदी पुल से आरंग महानदी पुल तक 55 किमी. के दूरी पर संचालित किया जा रहा है। हाइवे पेट्रोलिंग टीम द्वारा लगातार पेट्रालिंग कर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाने की कार्यवाही, सड़क पर बैठे मवेषियों को हटाने की कार्यवाही, हाइवे में जाम क्लियर कराने एवं सड़क दुर्घटना में घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने हास्पिटल पहुँचाया जाता है। वर्ष 2025 में माह दिसंबर तक 58 दुर्घटनाओं में 67 घायलों को त्वरित हास्पिटल पहुँचाया गया।
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र</th><th colspan="2">सड़क दुर्घटना में घायल को हास्पिटल पहुंचाया</th><th rowspan="2">रोड से मवेशी हटाया</th><th rowspan="2">जाम क्लीयर कराया</th><th rowspan="2">अवैध पार्किंग से वाहन हटाया</th></tr>
<tr><th>दुर्घटना</th><th>व्यक्ति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>58</td><td>67</td><td>3055</td><td>318</td><td>6862</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

कुछ विशेष मामले

- वर्ष 2025 में एन.सी.सी.आर. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ठगी के प्राप्त कुल 8,680 शिकायतों में कुल 11,25,52,397 की राशि खातों में होल्ड कराया गया तथा कुल 90,03,754.55 रूपये की राशि संबंधित व्यक्तियों के खातों में वापस (रिफण्ड) कराया गया।

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इंस्टाग्राम में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से हाथ में चाकू, पिस्टल एवं कट्टा लेकर पोस्ट कर आमजनों को भयभीत किया जा रहा था, कि संदेहियों को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा चिन्हांकित कर साईबर सेल तलब कर उक्त पोस्ट के सोशल साईट से लगभग 95 पोस्ट को हटवाया जाकर वैधानिक कार्यवाही किया गया।

- रायपुर पुलिस के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, वॉट्सएप ग्रुप पर की गई 457 शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए 295 शिकायत पत्रों का निकाल किया गया। इसके साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर एवं वॉट्सएप के अन्य 250 अवैध आई डी को डिलीट एवं ब्लॉक करवाया गया।

- वर्ष 2025 में विभिन्न थानों से प्राप्त गुम मोबाईल फोन को प्रदेश सहित अन्य राज्यों से ढूंढ़कर/बरामद कर कुल 750 नग मोबाईल फोन कीमती लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये को मोबाईल फोन स्वामियों को वापस कराया गया है।

पुलिस मितान योजना

जिला रायपुर में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों में घायलों को त्वरित मदद कर हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए सहयोग करने तथा सड़क दुर्घटना के कारकों की पहचान कर पुलिस प्रशासन को अवगत कराने के उद्देश्य से 4500 से अधिक नागरिकों (महिला–पुरूष) को पुलिस मितान बनाया गया है। सभी पुलिस मितान को पहचान पत्र जारी किया गया है, ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। पुलिस मितान को पहचान हेतु रायपुर पुलिस का लोगो लगा हुआ एवं पुलिस मितान लिखा हुआ टी–शर्ट प्रदाय किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से पुलिस मितान में जुड़े 366 बिना लायसेंस धारी पुलिस मितान का लायसेंस भी बनाया गया है। विभिन्न धार्मिक व राजनैतिक कार्यक्रमों के आयोजनों के दौरान पुलिस मितान स्वेच्छा से यातायात व्यवस्था व सुरक्षा ड्यूटी कर व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग कर रहे है। पुलिस मितान सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को उपचार हेतु हास्पिटल पहुँचाने में मदद कर रहे है।

"साईबर पखवाड़ा" (सायबर जागरूकता अभियान)

दिनांक 05.10.2024 से लगातार साईबर स्पेस के संबंध में राज्य व्यापी "साईबर जन जागरूकता पखवाड़ा" चलाया जा रहा है। साईबर पखवाड़ा अभियान के तहत् साईबर जन जागरूकता संबंधी पाम्पलेट बांटने के साथ ही मुख्य चौक चौराहों में जागरूकता अभियान हेतु होर्डिंग्स व डिजिटल स्क्रीन्स लगाये गये। रेडियों चैनल 94.3 माय एफ.एम. के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जन प्रतिनिधियों एवं माननीय विधायकगण द्वारा विडियों के माध्यम से लोगो को पुलिस विभाग द्वारा चलाये जा रहे साईबर जन जागरूकता पखवाड़े के तहत जागरूक किया गया।

–:: उल्लेखनीय कार्य वर्ष 2025 ::–

हत्या के प्रकरण

(01.) माता एवं नाबालिग पुत्री दोहरा हत्याकाण्ड (अंधा कत्ल) – थाना धरसींवा के अपराध क्रमांक 05/25 धारा 103(1) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपी द्वारा धनेली धरसींवा निवासी हमीदा का उसी के घर में चाकू से मारकर व गला दबाकर हत्या करने के साथ ही उसकी नाबालिग पुत्री रेशमा का भी गला दबाकर हत्या कर शव के साथ बलात्संग कर शव को थाना खमतराई क्षेत्र के शेरे पंजाब ढ़ाबा पास रायपुर बिलासपुर रोड किनारे फेंक दिया गया था, जिस पर थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 07/25 धारा 103, 238(1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोहरे अंधे कत्ल की घटना को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लेते हुये एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना धरसींवा पुलिस की विशेष टीम का गठन कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थलों का निरीक्षण करने के साथ ही घटना स्थल में उपस्थित सभी भौतिक साक्ष्यों का सूक्ष्मता से जांच कर आस–पास के लोगों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई। दोनों शव का घटना स्थल ब्लाईण्ड स्पॉट में होने के कारण टीम के सदस्यों द्वारा ब्लाईण्ड स्पॉट में आने–जाने वाले 30 किलोमीटर दायरे के हजारों से अधिक सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन किया गया। रिक्रिएशन ऑफ सीन तथा तकनीकी विश्लेषण करते हुए सभी कड़ियो को जोड़ते हुए टीम के सदस्यों द्वारा अंततः प्रकरण में **आरोपी 01. भरतदास दीवान पिता स्व. सुमनदास दीवान उम्र 43 साल निवासी ग्राम डभरा सृजन केन्द्र स्कुल के पास थाना डभरा जिला सक्ती हाल पता शिवानंद नगर सेक्टर 02 थाना खमतराई रायपुर। 02. अनिता लहरे पति स्व. रामेश्वर लहरे उम्र 52 साल निवासी ग्राम भरारी थाना कोटा तह तखतपुर जिला बिलासपुर हाल पता शिवानंद नगर सेक्टर 02 थाना खमतराई रायपुर** को गिरफ्तार कर **उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू, 01 नग ई–रिक्शा वाहन एवं 02 नग मोबाईल फोन जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(02.) हत्या (ट्राली बैग एवं टिन की पेटी) – थाना डी.डी.नगर के अपराध क्रमांक 255/25 धारा 103(1), 238क, 61(2), 3(5) बी.एन.एस.के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने मृतक अज्ञात पुरूष की हत्या कर उसके शव पर सीमेंट डालकर शव को ट्राली बैग में भरकर शव से भरे ट्राली बैग को टिन की पेटी में डालकर शव से भरे टिन की पेटी को डी.डी.नगर क्षेत्रांतर्गत रायपुरा स्थित वण्डरलैण्ड वाटर पार्क के पीछे डिपरापारा नाला के पास रोड किनारे सूनसान स्थान पर फेंक दिये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के समस्त पहलुओं की जांच करते हुये अज्ञात मृतक की पहचान किशोर पैकरा पिता स्व. नारायण पैकरा उम्र 58 साल निवासी हाण्डीपारा एच एम टी चौक पास आजाद चौक रायपुर के रूप में कर टीम के सदस्यों द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी **01. अंकित उपाध्याय पिता रमानिकेत उपाध्याय उम्र 31 साल निवासी मनजीत ग्रीन सिटी के पास सत्यम विहार कालोनी मकान नंबर 383 गली नंबर 04 रायपुरा थाना डी.डी.नगर रायपुर। 02. शिवानी शर्मा पति अंकित उपाध्याय उम्र 24 साल निवासी मनजीत ग्रीन सिटी के पास सत्यम विहार कालोनी मकान नंबर 383 गली नंबर 04 रायपुरा थाना डी.डी.नगर**

रायपुर। 03. विनय यदु पिता संतराम यदु उम्र 23 साल निवासी जनजागृति चौक शिव शक्ति किराना स्टोर के पास यादवपारा रायपुरा थाना डी.डी.नगर रायपुर। 04. सूर्यकांत यदु पिता प्रेमनाथ यदु उम्र 21 साल निवासी कन्या छात्रावास के सामने विसर्जन कुण्ड के पास महादेव घाट रायपुरा थाना डी.डी.नगर रायपुर को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा हत्या की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। आरोपियों के **कब्जे से घटना में प्रयुक्त अल्टो कार क्रमांक सी जी 04 बी 7744, दोपहिया ईथर वाहन क्रमांक सी जी 04 एन वाय 0639 तथा इलेक्ट्रिक ज्वॉय दोपहिया वाहन तथा 05 नग मोबाईल फोन जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(03.) **<u>जघन्य दोहरा हत्याकाण्ड (अभनपुर अंधा कत्ल बुजुर्ग दंपत्ति का)</u> –** थाना अभनपुर के अपराध क्रमांक 265/25 धारा 103 बी.एन.एस., 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में आरोपी अज्ञात व्यक्ति ने अभनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम बिरोदा स्थित गोडपारा निवासी भूखन ध्रुव एवं उसकी पत्नी रूखमणी ध्रुव की उनके घर पर किसी धारदार हथियार से वार कर चोट पहुंचाकर एवं गला रेतकर दोनों की हत्या कर दिया था। बुजुर्ग दंपत्ति के अंधे कत्ल की घटना के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट एवं थाना अभनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुए प्रकरण में झोलाछाप डॉक्टर **आरोपी राकेश कुमार बारले पिता धनेश बारले उम्र 30 साल निवासी ग्राम कोड़ापारा थाना कुरूद जिला धमतरी** को गिरफ्तार कर उसके **कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू, दोपहिया वाहन तथा अन्य सामग्री जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(04.) **<u>पेट्रोल पंप कर्मी से लूट व हत्या</u> –** थाना मंदिर हसौद के अपराध क्रमांक 291/25 धारा 109, 103(1), 309(6), 3(5) बी.एन.एस. 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में दिनांक 16–17.07.25 की दरम्यानी रात्रि थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत ग्राम उमरिया स्थित मुनोट एच पी फ्यूल्स पेट्रोल पंप में मोटर सायकल सवार अज्ञात 02 नकाबपोश व्यक्ति पेट्रोल डलवाने के बाद चिल्हर पैसे की बात को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारी अनिल गायकवाड़ से विवाद कर अपने पास रखें चाकू से अनिल गायकवाड़ पर वार कर प्राण घातक हमला करते हुये उसके हाथ में रखें नगदी रकम को लूट लिये तथा बीच बचाव करने आये पेट्रोल पंप के अन्य कर्मचारी योगेश मिरी पर भी चाकू से वार कर प्राण घातक हमला किये जिससे योगेश मिरी की मृत्यु हो गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी 01. समीर टंडन पिता राजकुमार टंडन उम्र 21 वर्ष निवासी दीनदयाल उपाध्याय नगर गातापार अभनपुर थाना अभनपुर जिला रायपुर। 02. कुनाल तिवारी पिता नंदकुमार तिवारी उम्र 24 निवासी बस स्टैंड राधा कृष्ण मंदिर के पास थाना अभनपुर जिला रायपुर** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से लूट की नगदी रकम 8,290/– रूपये तथा घटना में प्रयुक्त 02 नग चाकू एवं 01 नग मोटर सायकल जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(05.) **<u>हत्या (अंधा कत्ल)</u> –** थाना धरसींवा के अपराध क्रमांक 146/25 धारा 103, 238, 61(2) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा सरिता यादव पति लोकेश्वर यादव उम्र 24 साल निवासी ग्राम खौली थाना खरोरा रायपुर। हाल पता – ग्राम नरदहा फोकट पारा थाना विधानसभा जिला रायपुर की धरसींवा क्षेत्रांतर्गत ग्राम मोहंदी स्थित एक खेत में स्टील के धारदार नुकीली चम्मच से गर्दन में मारकर चोट पहुंचाने के साथ ही गला दबाकर हत्या कर साक्ष्य छिपाने की नियत से शव को छोड़कर भाग गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना धरसींवा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के समस्त पहलुओं की जांच कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **घटना के मास्टर माइंड विधि के साथ संघर्षरत एक बालक सहित आरोपी समीर निषाद उर्फ भुरू पिता स्व. नीलकंठ निषाद उम्र 19 साल निवासी ग्राम मोहदी जावा मटका पारा वार्ड क्रमांक 05 थाना खरोरा जिला रायपुर तथा कोमल धीवर पिता नारायण धीवर उम्र 19 साल निवासी चंदखुरी फार्म बस्ती वार्ड क्रमांक 06 थाना मंदिर हसौद रायपुर** को पकड़कर पूछताछ करने पर विधि के साथ संघर्षरत बालक ने बताया कि उसका मृतिका सरिता यादव के साथ प्रेम संबंध था, इसी दौरान उसे मृतिका सरिता यादव द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से बात करने की जानकारी प्राप्त होने पर बालक द्वारा अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर योजना बनाकर सरिता यादव की हत्या कर दिये थे। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्टील का धारदार नुकीली चम्मच, 02 नग मोबाईल फोन, मोटर सायकल तथा मृतिका का मोबाईल फोन जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(06.) <u>**हत्या (अंधा कत्ल)**</u> – थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 387/25 धारा 103 बी.एन.एस. के प्रकरण में खमताई क्षेत्रांतर्गत रावांभाठा मैंदान तालाब के पास मृतक सागर उर्फ ठाकुर सिंह मृत अवस्था में पड़ा है। जिस पर पुलिस द्वारा द्वारा मौके का निरीक्षण कर शव का पी.एम. कराया गया डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट में मृत्यु किसी धारदार वस्तु से होना लेख किया गया एवं प्रथम दृष्टया अज्ञात आरोपी द्वारा मृतक पर वार कर हत्या करना प्रतीत होने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी विकास विश्वकर्मा पिता अमर विश्वकर्मा उम्र 20 साल निवासी सरदा देवरी थाना बेरला जिला बेमेतरा। हाल पता – साहू का मकान रावभाठा थाना खमतराई रायपुर** को गिरफ्तार कर उसके **कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू** जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(07.) <u>**हत्या (अंधा कत्ल)**</u> – थाना तिल्दा नेवरा के अपराध क्रमांक 174/25 धारा 103(1), 238(क), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में तिल्दा नेवरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम सिरवे स्थित कान्हा राईस मील के पीछे 01 व्यक्ति के मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर शव का निरीक्षण किया गया प्रथम दृष्टया अज्ञात आरोपी द्वारा मृतक के सिर पर वार कर उसकी हत्या करना प्रतीत होने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना तिल्दा नेवरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में पतासाजी करने पर अज्ञात शव की सिनाख्त **गोविंदा पाण्डेय पिता कृष्णा पाण्डेय उम्र 24 साल निवासी बसंतपुर नवागांव पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मारवाही। हाल पता – कान्हा राईस मील का निर्माणाधीन गोदाम ग्राम घुलघुल थाना तिल्दा नेवरा रायपुर** के रूप में की गई। इसी दौरान अज्ञात आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई जिस पर प्रकरण में **आरोपी 01. चन्द्रकामता भारती उर्फ कामता भारती पिता छगन भारती उम्र 25 साल निवासी ग्राम तुलसी वार्ड क्रमांक 05 थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर। 02 बिमलेश यादव पिता राजेन्द्र यादव उम्र 19 साल निवासी बिजली ऑफिस के पीछे ग्राम तुलसी थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर। 03. विधि के साथ संघर्षरत 02 बालक को गिरफ्तार** किया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा बताया गया कि मृतक एवं वे सभी आपस में शराब सेवन कर रहे थे इसी दौरान विवाद होने पर उक्त घटना को अंजाम दिया जाना स्वीकार किया गया। जिस पर सभी आरोपियों के **कब्जे से 02 नग दोपहिया वाहन जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(08.) <u>**हत्या (अंधा कत्ल)**</u> – थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 427/2025 धारा 103(1) बी.एन.एस. 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में अज्ञात आरोपी ने कुमारी मुस्कान धीवर की चाकू से मारकर व सिर में पत्थर पटक कर हत्या कर दिया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खरोरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुए **प्रकरण में आरोपी साहिल धीवर पिता राजेश धीवर उम्र 20 साल निवासी सकलोर थाना सुहेला जिला बलौदाबाजार** को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा हत्या की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया, कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से **घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू एवं 01 नग दोपहिया वाहन** जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(09.) <u>**हत्या सहित नकबजनी के 11 प्रकरणों का खुलासा**</u> – थाना न्यू राजेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 268/25 धारा 103(1), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने 16 वर्षीय युवती निवासी काशीराम नगर तेलीबांधा की गला दबाकर हत्या कर शव को न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत अमलीडीह सोलस हाईट्स कालोनी के पीछे बिजली ट्रांसफार्मर पास स्थित खाली प्लाट में फेंक दिये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के समस्त पहलुओं की जांच कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी हरीश पटेल देवार पिता गणेश पटेल उम्र 23 साल निवासी सुभाष नगर देवार बस्ती थाना तेलीबांधा रायपुर को** गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी हरीश पटेल द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना विधानसभा, डी.डी.नगर एवं मुजगहन क्षेत्र के अलग – अलग स्थानों में स्थित 11 सूने मकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देना बताया गया। जिस पर चोरी के प्रकरण में संलिप्त आरोपी **अरविंद नेताम पिता रज्जू नेताम उम्र 26 साल निवासी दंतेश्वरी पारा वार्ड नंबर 02 थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव तथा उषा राठौर पिता चुन्नी लाल राठौर उम्र 28 साल निवासी**

जी केबिन स्टेशन चौक चरौदा भिलाई जिला दुर्ग, इस प्रकार नकबजनी के 11 प्रकरणों में उक्त 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर कब्जे से **कुल 400 ग्राम सोने के जेवरात, 03 किलोग्राम चांदी के जेवरात तथा नगदी रकम 20,000/- रूपये जुमला कीमती लगभग 60,00,000/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त एक्स ड्रीम मोटर सायकल एवं 04 नग मोबाईल फोन** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(10.) **हत्या (अंधा कत्ल)** – थाना विधानसभा के अपराध क्रमांक 627/25 धारा 103(1), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने ललित कुमार धीवर पिता बल्ला धीवर उम्र 22 साल निवासी ग्राम कुर्रा (बंगोली) थाना खरोरा जिला रायपुर के सिर में किसी ठोस वस्तु से मारकर गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दिये थे तथा पास पड़े पैरा को उसके शव के उपर डालकर आग लगा दिये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के समस्त पहलुओं की जांच कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी 01. अर्जुन ध्रुव पिता राजेन्द्र ध्रुव उम्र 19 साल निवासी ग्राम छपोरा आंगनबाड़ी के पास थाना विधानसभा रायपुर। 02. अजीत कुमार लहरे उर्फ हरजीत पिता स्व. भुवन लाल लहरे उम्र 25 साल निवासी ग्राम छपोरा मोहित आटो पार्ट्स दुकान के पास थाना विधानसभा रायपुर** को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी अर्जुन ध्रुव द्वारा अपनी बहन का मृतक के साथ प्रेम संबंध होने के शक को लेकर अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। दोनों को गिरफ्तार कर कब्जे से **घटना में प्रयुक्त लोहे का स्टीक एवं लकड़ी का बत्ता** जप्त कर कार्यवाही किया गया।

(11.) **हत्या (हत्या को आत्महत्या का रूप देने वाले आरोपी)** – थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 1073/25 धारा 103(1), 238, 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने मृतक ओमकार ओझा पिता शेतनाथ ओझा उम्र 27 साल निवासी खरहानटान थाना सेमरी जिला बक्सर बिहार। हाल पता – कुम्हारी रामपुर चोहाड़ा थाना कुम्हारी जिला दुर्ग की हत्या कर, हत्या को आत्महत्या का रूप देने हेतु शव को खमतराई क्षेत्रांतर्गत उरकुरा के सूनसान स्थान में रेलवे पटरी के बीच में रख दिये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के समस्त पहलुओं की जांच करते हुये अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर प्रकरण में **आरोपी 01. भानू दास मानिकपुरी पिता धरम दास मानिकपुरी उम्र 20 साल निवासी ग्राम मोटयारीडीह थाना हथबंध जिला भाटापारा बलौदाबाजार। हाल पता – किराये का मकान दौलत किराना दुकान के सामने बंजारी नगर रावभाठा थाना खमतराई रायपुर। 02. पीकेश मानिकपुरी पिता सुखदास मानिकपुरी उम्र 20 साल निवासी बंजारी नगर रावभाठा दौलत किराना दुकान के सामने वाली गली थाना खमतराई रायपुर। 03. कमलेश दास पिता दशरथ दास उम्र 21 साल निवासी बंजारी नगर शिव मंदिर के पास दौलत दुकान के सामने वाली गली में रावाभाठा थाना खमतराई रायपुर। 04. संजय निषाद पिता दिलीप निषाद उम्र 18 साल निवासी आजाद नगर चौक रावाभाठा थाना खमतराई रायपुर। 05. अजय दास मानिकपुरी पिता कृष्णदास मानिकपुरी उम्र 25 साल निवासी बंजारी नगर थाना खमतराई रायपुर** को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा आपसी विवाद को लेकर मृतक ओमकार ओझा के साथ मारपीट कर गला दबाने के साथ ही डबरी के पानी में डूबा–डूबा कर उसकी हत्या करना तथा साक्ष्य छिपाने की नियत से शव को उरकुरा के सूनसान स्थान में रेलवे पटरी के बीच में रखना बताया गया, कि आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(12.) **हत्या (हत्या को आत्महत्या का रूप देने वाला आरोपी प्रेमी)** – थाना टिकरापारा के अपराध क्रमांक 799/25 धारा 103(1) बी.एन.एस. के प्रकरण में आरोपी प्रेमी दुर्गेश वर्मा ने अपनी प्रेमिका प्रियंका दास से किसी अन्य लड़के से बात करने के शक में विवाद कर सब्जी काटने के चाकू से मारकर प्रियंका दास पिता धीरन दास उम्र 23 साल निवासी हल्दीबाड़ी चिरमिरी जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर। हाल पता लालपुर टिकरापारा रायपुर की हत्या कर हत्या को आत्महत्या का रूप देने के उद्देश्य से मृतिका प्रियंका दास के हाथ में चाकू को पकड़ाकर फरार हो गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट एवं थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुए घटना के चंद घंटे के भीतर प्रकरण में **आरोपी दुर्गेश वर्मा पिता तारन वर्मा उम्र 21 साल निवासी दुर्गा चौक बड़ा अशोक नगर गुढ़ियारी रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू** जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(13.) <u>अंधा कत्ल</u> – थाना टिकरापारा के अपराध क्रमांक 48/2025 धारा 103 बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपी द्वारा कोटा सरस्वती नगर रायपुर निवासी छोटी के साथ बलात्संग कर उसकी गला दबाकर हत्या कर शव को टिकरापारा क्षेत्र के कमल विहार में फेंक दिया गया था। अंधे कत्ल की घटना को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लेते हुये एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की विशेष टीम का गठन कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ ही घटना स्थल में उपस्थित सभी भौतिक साक्ष्यों का सूक्ष्मता से जांच कर आस–पास के लोगों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई। शव का घटना स्थल ब्लाईण्ड स्पॉट में होने के कारण टीम के सदस्यों द्वारा ब्लाईण्ड स्पॉट में आने–जाने वाले 20 किलोमीटर दायरे के हजारों से अधिक सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन किया गया। रिक्रिएशन ऑफ सीन तथा तकनीकी विश्लेषण करते हुए सभी कड़ियो को जोड़ते हुए टीम के सदस्यों द्वारा अंततः प्रकरण में **आरोपी बृजेश ओझा पिता डॉ.बी.एम.ओझा उम्र 32 साल निवासी सांई विहार गार्डन के सामने यदुनंदन नगर थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर। हाल पता – किराये का मकान साहूपारा फाफाडीह थाना गंज रायपुर** को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से **घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन क्रमांक सी जी/04/क्यू ए/0932, मोटर सायकल क्रमांक सी जी/04/पी ए/5164 एवं 01 नग मोबाईल फोन जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(14.) <u>हत्या (नर कंकाल)</u> – थाना आरंग के अपराध क्रमांक 125/25 धारा 137(2), 103(1), 61(2), 3(5) बी.एन.एस. 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा धनेन्द्र साहू पिता हृदयलाल साहू उम्र लगभग 16 साल निवासी बिहाझर थाना बागबाहरा जिला महासमुंद की चाकू मारकर हत्या कर शव को आरंग क्षेत्र के ग्राम कोसमखुंटा स्थित भैसाखार में फेंक दिये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना आरंग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के समस्त पहलुओं की जांच करते हुये अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी 01. सागर सिन्हा पिता नरोत्तम सिन्हा उम्र 20 साल निवासी रींवा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर। 02. टेमिन उर्फ चुनिया ध्रुव पिता गोपी ध्रुव उम्र 20 साल निवासी ग्राम रीवा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर। 03. राहुल ध्रुव पिता स्व. संतोष ध्रुव उम्र 19 साल निवासी ग्राम रीवा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर। 04. कुलेश्वर ध्रुव पिता नारायण ध्रुव उम्र 23 साल निवासी ग्राम रीवा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर** को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपी सागर सिन्हा ने बताया कि उसका टेमिन उर्फ चुनिया ध्रुव के साथ प्रेम संबंध था, कि मृतक धनेन्द्र साहू भी टेमिन उर्फ चुनिया ध्रुव से प्रेम करता था, इसी बात को लेकर आरोपियों द्वारा धनेन्द्र साहू की हत्या कर साक्ष्य छिपाने की नियत से शव को उक्त स्थान पर फेंक दिया गया था। आरोपियों के **कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 नग मोबाईल फोन, 01 दोपहिया वाहन तथा 01 नग चाकू** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(15.) <u>हत्या का प्रयास, हत्या एवं लूट</u> – थाना खम्हारडीह के अपराध क्रमांक 66/25 धारा 296, 115(2), 109, 103(1), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में दिनांक 16.03.25 को खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत हमिंग संजीवा बिल्डिंग के सामने कचना से सड्डू जाने वाले मेन रोड में मण्डलपारा कचना खम्हारडीह निवासी प्रार्थी रोहित धीवर अपने साथी ओगेन्द्र साहू तथा शानू धीवर के साथ लूट करने के ईरादे से सत्यम नगर कचना खम्हारडीह रायपुर निवासी प्रीतम साहू एवं ओमप्रकाश यादव को दोपहिया वाहन से जाते समय रोककर गाली गलौच करते हुये मारपीट कर ओगेन्द्र साहू अपने पास रखें चाकू को प्रीतम साहू के सीने में टिका कर दोनों के मोबाईल फोन को लूट लिये, इसी दौरान ओगेन्द्र साहू एवं प्रीतम साहू के मध्य झड़प के दौरान प्रीतम साहू द्वारा ओगेन्द्र साहू से चाकू को छीनकर अश्लील गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर हत्या करने की नियत से चाकू से ओगेन्द्र साहू के गले में मारकर प्राणघातक हमला कर चोट पहुंचाया, कि उपचार के दौरान ओगेन्द्र साहू की मृत्यु हो गई तथा ओमप्रकाश यादव पास पड़े पत्थर से रोहित धीवर के सिर पर मारकर चोट पहुंचाया।

इसी प्रकार थाना खम्हारडीह के अपराध क्रमांक 67/25 धारा 309(6), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में दिनांक 16.03.25 को खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत हमिंग संजीवा बिल्डिंग के सामने कचना से सड्डू जाने वाले मेन रोड में प्रार्थी प्रीतम साहू एवं उसके साथी ओमप्रकाश यादव को दोपहिया वाहन में जाते समय आरोपी रोहित धीवर, ओगेन्द्र साहू एवं शानू धीवर रोककर उनके साथ गाली गलौच व मारपीट कर दोनों के मोबाईल फोन को लूट लिये थे।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी करते हुये **अपराध क्रमांक 66/25 में आरोपी 01. प्रीतम साहू पिता हरिराम साहू उम्र 32 साल निवासी पी एम आवास सत्यम नगर 754 ब्लॉक नंबर 14 रूम नंबर 21 कचना थाना खम्हारडीह जिला रायपुर। 02. ओमप्रकाश यादव उर्फ राजू पिता संतराम यादव उम्र 26 साल निवासी पी एम आवास सत्यम नगर ब्लॉक नंबर 15 रूम नंबर 02 कचना थाना खम्हारडीह जिला रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित 01 नग दोपहिया वाहन** तथा **अपराध क्रमांक 67/25 में आरोपी 01. रोहित धीवर उर्फ डोकरा पिता स्व. संतोष धीवर उम्र 24 साल निवासी मण्डलपारा कचना थाना खम्हारडीह रायपुर। 02. शानू कुमार धीवर पिता राजू धीवर उम्र 18 साल 02 माह निवासी लीला चौक कचना थाना खम्हारडीह रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित 01 नग मोबाईल फोन जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(16.) **<u>हत्या एवं हत्या का प्रयास</u>** – थाना गोबरानवापारा के अपराध क्रमांक 77/25 धारा 103(1), 109 बी.एन.एस. के प्रकरण में आरोपी साहेब कुमार ताती ने अपनी बहन सोनी कुमारी द्वारा दूसरा विवाह करने से नाराज होकर अपनी बहन सोनी कुमारी तथा उसके ढ़ाई वर्षीय पुत्री कुमारी सुरूचि एवं एक वर्षीय पुत्र शिवम कुमार तीनों के गला सहित शरीर के अन्य भागों में धारदार वस्तु से मारकर प्राणघातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचा कर फरार हो गया, कि उपचार के दौरान सोनी कुमारी की पुत्री कुमारी सुरूचि की मृत्यु हो गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट एवं थाना गोबरानवापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी की लगातार पतासाजी करते हुए प्रकरण में फरार **अंतर्राज्यीय आरोपी साहेब कुमार ताती पिता सुरेश ताती उम्र 25 साल निवासी ग्राम हरनारायणपुर थाना जमुई जिला जमुई बिहार** को बिहार से गिरफ्तार कर उसके **कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार स्टील का ब्लेड** जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(17.) **<u>हत्या</u>** – थाना तिल्दा नेवरा के अपराध क्रमांक 175/25 धारा 103(1), 3(5) बी.एन.एस के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा तिल्दा नेवरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम बेमता में मृतक लक्ष्मण उर्फ राजू भट्ट मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई, प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत होने पर अज्ञात अरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना तिल्दा नेवरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के समस्त पहलुओं की जांच करते हुये अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी 01. उमाशंकर उर्फ़ निक्की शर्मा पिता राजाराम शर्मा उम्र 31 वर्ष पता ग्राम सिंदूरसींग थाना बाहुरिबन जिला कटनी मध्यप्रदेश। 02. मुकेश शर्मा पिता शंकर लाल शर्मा उम्र 31 वर्ष पता कटंगी रोड सिवनी थाना कोतवाली जिला सिवनी मध्यप्रदेश। 03. ऋषि शर्मा पिता स्व. लक्ष्मण भट्ट उम्र 20 पता जिला कॉपरेटिव बैंक पानी टंकी के पास गोरखपुर जिला ढिंढोरी मध्यप्रदेश। 04. रोशनी शर्मा पति स्व. लक्ष्मण भट्ट उम्र 36 वर्ष पता ग्राम सकारा थामा तिल्दा नेवरा जिला कॉपरेटिव बैंक पानी टंकी के पास गोरखपुर जिला ढिंढोरी मध्यप्रदेश। 05. कुसुम शर्मा पति राजेन्द्र शर्मा उम्र 60 वर्ष पता जिला कॉपरेटिव बैंक पानी टंकी के पास गोरखपुर जिला ढिंढोरी मध्यप्रदेश** को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा बताया गया कि आरोपी आये दिन शराब पीकर घर में लड़ाई झगड़ा करता था जिससे परेशान होकर उक्त हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपियों के **कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू, पत्थर एवं 01 नग दोपहिया वाहन जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(18.) **<u>हत्या</u>** – थाना तिल्दा नेवरा के अपराध क्रमांक 175/25 धारा 103(1) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा मृतक लक्ष्मण उर्फ राजू भट्ट की हत्या कर तिल्दा क्षेत्रांतर्गत ग्राम बेमता गड़रिया नाला के पास मृत अवस्था में छोड़ कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना तिल्दा नेवरा की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए **प्रकरण में आरोपी मृतक की पत्नी, सास एवं पुत्र सहित अन्य साथी 01. उमाशंकर उर्फ़ निक्की शर्मा पिता राजाराम शर्मा उम्र 31 वर्ष पता ग्राम सिंदूरसींग थाना बाहुरिबन जिला कटनी मध्यप्रदेश। 02. मुकेश शर्मा पिता शंकर लाल शर्मा उम्र 31 वर्ष पता कटंगी रोड सिवनी थाना कोतवाली जिला सिवनी मध्यप्रदेश। 03. ऋषि शर्मा पिता स्व. लक्ष्मण भट्ट उम्र 20 पता जिला कॉपरेटिव बैंक पानी टंकी के पास गोरखपुर जिला ढिंढोरी मध्यप्रदेश। 04. रोशनी शर्मा पति स्व. लक्ष्मण भट्ट उम्र 36 वर्ष पता ग्राम सकारा थामा तिल्दा नेवरा जिला कॉपरेटिव बैंक पानी टंकी के पास गोरखपुर जिला ढिंढोरी मध्यप्रदेश। 05. कुसुम शर्मा पति राजेन्द्र शर्मा उम्र 60 वर्ष पता जिला कॉपरेटिव बैंक पानी टंकी के पास गोरखपुर जिला ढिंढोरी मध्यप्रदेश** को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर पाया गया कि मृतक प्रतिदिवस शराब सेवन

कर घर में लड़ाई झगड़ा करता था जिससे परेशान होकर उनके द्वारा उक्त हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, जिस टीम के सदस्यों द्वारा उनके **कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू, पत्थर एवं 01 नग दोपहिया वाहन जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।

(19.) <u>**हत्या**</u> – थाना राखी के अपराध क्रमांक 122/25 धारा 103(1), 238 बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा दिनेश मानिकपुरी उर्फ माडल उम्र 20 वर्ष निवासी कायाबांधा थाना मंदिर हसौद रायपुर की चाकू से मारकर हत्या कर साक्ष्य छिपाने की नियत से मृतक के सिर चेहरे में पत्थर पटक दिये थे तथा शव को बोरी में भरकर बोरी में पत्थर डालकर शव को राखी क्षेत्रांतर्गत ग्राम बेन्द्री स्थित गिट्टी खदान के डबरी में फेंक दिये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना राखी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के समस्त पहलुओं की जांच कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी 01. साहेब दास मानिकपुरी पिता नरेन्द्र दास मानिकपुरी उम्र 19 साल निवासी कायाबांधा थाना मंदिर हसौद रायपुर। 02. सोहन उर्फ पिंटू कण्डरा पिता विनोद कण्डरा उम्र 25 साल निवासी कायाबंधा थाना मंदिर हसौद रायपुर** को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा गांव की एक लड़की के साथ प्रेम संबंध को लेकर हुये विवाद के दौरान दिनेश मानिकपुरी उर्फ माडल की हत्या की उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। आरोपियों के **कब्जे से घटना से संबंधित एक्टिवा वाहन एवं मोबाईल फोन जप्त कर** आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(20.) <u>**हत्या**</u> – थाना आरंग के अपराध क्रमांक 473/2025 धारा 103(1), 238, 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा गिरजा शंकर धीवर पिता चन्द्रिका धीवर उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम भोथली थाना आरंग जिला रायपुर के साथ मारपीट कर गला दबाकर उसकी हत्या कर साक्ष्य छिपाने की नियत से मृतक के शव को आरंग क्षेत्रांतर्गत ग्राम राटाकाट रोड़ के पास ढ़ोलापारा नहर पुलिया में मिट्टी का टीला के झुरमुट में फेंक दिये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना आरंग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के समस्त पहलुओं की जांच कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी 01. मधुसूदन लोधी उर्फ मधु पिता स्व0 मुकेश लोधी उम्र 27 साल ग्राम भोथली थाना आरंग। 02. डिगेश्वर लोधी पिता मनोज लोधी उम्र 25 साल ग्राम ठाकुर दियापारा ख़मतराई रोड आरंग। 03. जयप्रकाश लोधी पिता देवराज लोधी उम्र 25 वर्ष सा0 नया बिजली ऑफिस के पास आरंग। 04. कमल उर्फ भकलू पिता संतोष लोधी उम्र 20 वर्ष निवासी अवंती चौक आरंग। 05. अजय निषाद पिता रूपेश निषाद उम्र 18 वर्ष निवासी रामनगर चौक आरंग थाना आरंग। 06. नीलकंठ लोधी पिता यादराम लोधी उम्र 19 वर्ष निवासी अवंति चौक आरंग थाना आरंग जिला रायपुर** को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा पैसे की लेन–देन की बात पर हुये विवाद को लेकर गिरजा शंकर धीवर की हत्या करना स्वीकार किया गया। आरोपियों के **कब्जे से घटना से संबंधित दो नग मोटर सायकल एवं दो नग मोबाईल फोन जप्त कर** आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(21.) <u>**हत्या**</u> – थाना डी.डी.नगर के अपराध क्रमांक 339/25 धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5), 103(1), 191(2), 191(3) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा पुराना चंगोराभाठा आयोध्या नगर डी.डी.नगर निवासी सोमनाथ यादव की चाकू से मारकर हत्या कर दिये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के समस्त पहलुओं की जांच कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी 01. आनंद सास्थी उर्फ अन्नू पिता सत्यनारायण सारथी उम्र 20 साल निवासी शहीद वीर नारायण सिंह चौक के पास काली मंदिर गौरा चौरा के पास न्यू चंगोराभाठा थाना डी.डी. नगर रायपुर। 02. सूरज निर्मलकर उर्फ शुभम पिता मोहन निर्मलकर उम्र 19 साल निवासी लक्ष्मण नगर गली नंबर 01 राम नगर गुढियारी थाना गुढियारी रायपुर। 03. हेमंत निषाद उर्फ अल्ला पिता त्रिभुवन निषाद उम्र 20 साल निवासी गिरधर दुकान के पास झंडा चौक न्यू चंगोराभाठा थाना डी.डी. नगर रायपुर रायपुर। 04. करन वर्मा पिता नेमीचंद वर्मा उम्र 19 साल निवासी भवानी नगर सीएसईबी रोड रामनगर गुढियारी थाना गुढियारी रायपुर। 05. सन्नी कुमार देवांगन पिता भागवत राम देवांगन उम्र 26 साल निवासी शहीद वीरनारायण सिंह चौक चंगोराभाठा थाना डी.डी. नगर रायपुर। 06. मुकुंद निषाद उर्फ ललित उर्फ लेखराम उर्फ मुकुल निषाद पिता द्वारिका निषाद उम्र 23 साल निवासी भरत नगर गली नंबर 02, रामनगर गुढियारी थाना गुढ़ियारी रायपुर** को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा पुरानी विवाद को लेकर सोमनाथ यादव की चाकू मारकर हत्या करना स्वीकार किया गया।

आरोपियों के **कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू एवं 01 मोटर सायकल जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(22.) <u>**हत्या**</u> **–** थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 964/25 धारा 103, 238 बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा रामा माडे पिता उषा माडे उम्र 23 साल निवासी टीटीबेरी थाना मलकानगिरी जिला मलकानगिरी उडीसा, हाल पता – आर आर इंडस्ट्रीज कंपनी मेटल पार्क रावांभाठा रायपुर के सिर पर किसी ठोस वस्तु से मारकर हत्या कर मृतक के हाथ एवं पैर को रस्सी से बांध दिये तथा पहचान छिपाने की नियत से चेहरे में कपड़ा बांधकर शव को बोरी में भरकर खमतराई क्षेत्रांतर्गत मिलाल बाड़ा के पीछे खाली प्लाट रावाभांठा में फेंक दिये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के समस्त पहलुओं की जांच कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी 01. कृष्णा बंजारे पिता बुधारी बंजारे उम्र 44 वर्ष निवासी आजाद नगर महादेव चौक के पास रावाभाठा थाना खमतराई जिला रायपुर। 02. रामकृष्ण बंजारे उर्फ राजाराम पिता बुधनी बंजारे उम्र 40 वर्ष निवासी रावाभाठा तिरंगा चौक के पास थाना खमतराई जिला रायपुर। 03. सोनम बंजारे पति कृष्णा बंजारे उम्र 30 वर्ष निवासी आज़ाद नगर महादेव चौक के पास रावांभाठा थाना खमतराई जिला रायपुर** को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर महिला आरोपी सोनम बंजारे ने बताया कि उसका मृतक रामा माडे के साथ अवैध संबंध था, दिनांक घटना को उसके पति कृष्णा बंजारे ने उसे एवं मृतक रामा माडे को उसके घर के कमरे में एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिस पर आरोपी कृष्णा बंजारे आवेश में आकर पास रखें लकड़ी के बत्ते से मृतक के सिर पर मारकर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दिया तथा सोनम बंजारे अपने पति कृष्णा बंजारे व पति के साथी रामकृष्ण बंजारे उर्फ राजाराम के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगा दिये थे। आरोपियों के **कब्जे से मृतक रामा माडे का मोबाईल फोन तथा घटना में प्रयुक्त आलाजरब एवं मोटर सायकल जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(23.) <u>**हत्या**</u> **–** थाना तिल्दा नेवरा के अपराध क्रमांक 373/2025 धारा 137(2), 103(1), 140(4), 61(2)(क) बी.एन.एस. तथा 4 पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने प्रार्थी के नाबालिग पुत्र की हत्या कर शव को तिल्दा नेवरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम कोटा स्थित बड़े तालाब के पास फेंक दिया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना तिल्दा नेवरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के समस्त पहलुओं की जांच कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी 01. विजय धीरज कुमार पिता बिरझू राम धीरज उम्र 24 साल निवासी ग्राम कोटा सतनामी पारा थाना तिल्दा नेवरा रायपुर। 02. कुलदीप बंजारे पिता जगतारण बंजारे उम्र 23 साल निवासी सतनामी पारा ग्राम कोटा थाना तिल्दा नेवरा रायपुर। 03. विधि के साथ संघर्षरत 01 बालक** को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपी विजय धीरज द्वारा प्रार्थी के नाबालिग पुत्र को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करना तथा प्रार्थी के नाबालिग पुत्र द्वारा लोगों को बताने के डर से अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करना बताया गया। आरोपियों एवं अपचारी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(24.) <u>**हत्या**</u> **–** थाना मंदिर हसौद के अपराध क्रमांक 463/25 धारा 103(1), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत ग्राम कुकरा स्थित सामुदायिक शौचालय पास सुरेन्द्र कुमार धीवर पिता स्व. दुकालू राम धीवर उम्र 48 साल निवासी ग्राम कुकरा मंदिर हसौद रायपुर की हत्या कर दिये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के समस्त पहलुओं की जांच कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी 01. सूरज कोशले पिता स्व. श्यामलाल कौशले उम्र 20 साल निवासी ग्राम कुकरा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर। 02. परमानंद साहू उर्फ बिल्लू पिता जगमोहन साहू उम्र 23 साल निवासी ग्राम कुकरा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर को गिरफ्तार** कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा आपस में हुये क्षणिक विवाद को लेकर सुरेन्द्र कुमार धीवर की हत्या करना स्वीकार किया गया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाजरब जप्त कर, आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(25.) **<u>हत्या</u>** – थाना अभनपुर के अपराध क्रमांक 373/25 धारा 103, 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने सोनू पाल पिता महेश पाल उम्र 26 साल निवासी ग्राम गातापारा थाना अभनपुर जिला रायपुर की हत्या कर शव को अभनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम आमनेर स्थित गोड़ा पुल नाला में फेंक दिया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना अभनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के समस्त पहलुओं की जांच कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी 01. सुमित बांदे पिता मुरलीधर बांदे उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम आमनेर थाना अभनपुर जिला रायपुर। 02. अजय रात्रे पिता परमेश्वर रात्रि 24 वर्ष निवासी ग्राम आमनेर थाना अभनपुर जिला रायपुर। 03. गुलशन गायकवाड़ पिता जग्गू गायकवाड़ उम्र 26 साल निवासी निवासी हाटकेश्वर जिला धमतरी, हाल पता – ग्राम आमनेर थाना अभनपुर जिला रायपुर को गिरफ्तार** कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा बीड़ी मांगने की मामूली बात पर हुये क्षणिक विवाद को लेकर सोनू पाल की हत्या कर शव को नाला में फेंकना स्वीकार किया गया। आरोपियों के कब्जे से **घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल जप्त कर**, आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(26.) **<u>हत्या (शराब दुकान के गार्ड की हत्या)</u>** – थाना खम्हारडीह के अपराध क्रमांक 261/25 धारा 103(1) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपी ने खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत कचना स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के गार्ड संदीप पटेल को शराब नहीं देते हो कहकर अपने पास रखें लोहे के राड से संदीप पटेल के सिर व चेहरे पर मारकर कर उसकी हत्या कर फरार हो गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के समस्त पहलुओं की जांच कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी भिंगराज बघेल पिता स्व. काशी बघेल उम्र 32 साल निवासी बी.एस.यू.पी. कालोनी कचना थाना खम्हारडीह रायपुर को गिरफ्तार** कर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा शराब दुकान बंद होने के बाद शराब नहीं देने की बात को लेकर गार्ड संदीप पटेल की हत्या करना स्वीकार किया गया। आरोपी के कब्जे से **घटना में प्रयुक्त लोहे का राड जप्त कर** आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(27.) **<u>हत्या</u>** – थाना मंदिर हसौद के अपराध क्रमांक 483/25 धारा 103(1), 238(1), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत जिंदल फैक्ट्री के पीछे गिट्टी खदान स्थित खाली प्लाट में सिद्धार्थ भतपहरी की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को जला दिये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के समस्त पहलुओं की जांच कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी 01. तरूण शुक्ला पिता राजेश्वर शुक्ला उम्र 19 साल निवासी नवीन चौक थाना मंदिर हसौद रायपुर। 02. सुभाष शर्मा पिता रामअवतार शर्मा उम्र 20 साल निवासी ग्राम जकारा थाना मंदिर हसौद रायपुर को गिरफ्तार** कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा आपसी विवाद को लेकर सिद्धार्थ भतपहरी की हत्या कर शव को जलाना स्वीकार किया गया, कि आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(28.) **<u>हत्या</u>** – थाना पुरानी बस्ती के अपराध क्रमांक 438/25 धारा 103(1), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में पुरानी बस्ती क्षेत्रांतर्गत भाठागांव स्थित बी.एस.यू.पी. कालोनी में आरोपी सगे भाई मदन यादव एवं सूरज यादव द्वारा आपसी विवाद को लेकर बी.एस.यू.पी. कालोनी भाठागांव निवासी ताहिर हुसैन के सीने एवं पेट में कैंची से मारकर हत्या कर दिये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना पुरानी बस्ती पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर घटना के चंद घंटे के भीतर प्रकरण में **आरोपी 01. मदन यादव पिता मन्नू यादव उम्र 31 साल निवासी बीएसयूपी कालोनी भाठागांव थाना पुरानी बस्ती रायपुर। 02. सूरज यादव पिता मन्नू यादव उम्र 23 साल निवासी बीएसयूपी कालोनी भाठागांव थाना पुरानी बस्ती रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कैंची** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(29.) **<u>हत्या एवं हत्या का प्रयास</u>** – थाना खम्हारडीह के अपराध क्रमांक 301/25 धारा 109, 115(2), 296, 351(3), 103 बी.एन.एस. के प्रकरण में खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत हाउसिंग बोर्ड कालोनी स्थित सामुदायिक भवन पास आरोपी कृष्ण देवार उर्फ तोडू ने प्रार्थी सुमित ताण्डी के भाई विवेक ताण्डी को अपने साथ कहीं चलने के लिए कहा जिस पर विवेक ताण्डी ने उसके साथ जाने से मना कर दिया, इसी बात पर नाराज होकर आरोपी कृष्ण देवार उर्फ तोडू ने अपने पास रखें चाकू से विवेक ताण्डी पर वार कर मारकर उसकी हत्या कर दिया तथा प्रार्थी सुमित ताण्डी पर भी चाकू से वार कर जानलेवा हमला कर फरार हो गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड

सायबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आरोपी की पतासाजी करते हुये घटना के चंद घंटे के भीतर प्रकरण में **आरोपी कृष्ण देवार नगराहा पिता गब्बर देवार नगराहा उम्र 22 साल निवासी बीएसयूपी कॉलोनी, देवार बस्ती कचना थाना खम्हारडीह रायपुर** को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से **घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू** जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(30.) **हत्या** – थाना उरला के अपराध क्रमांक 464/25 धारा 103(1), 3(5) बी.एन.एस. 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में उरला क्षेत्रांतर्गत ग्राम गुमा स्थित सिंघानिया पेट्रोल पंप के पास अज्ञात आरोपियों द्वारा मृतक फुल्लम सिंह गोंड पिता कन्हैया गोंड उम्र 24 साल निवासी ग्राम चकमी रैयत थाना करंजिया जिला डिण्डोरी म0प्र0। हाल पता – प्राईम इस्पात ग्राम गुमा थाना उरला जिला रायपुर की चाकू से मारकर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दिये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना उरला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये हत्या के समस्त पहलुओं की जांच कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये घटना के चंद घंटे के भीतर प्रकरण में **आरोपी 01. विनोद चतुर्वेदी पिता लालकुमार चतुर्वेदी उम्र 18 वर्ष 06 माह निवासी गुमा सतनामीपारा थाना उरला रायपुर। 02. विधि के साथ संघर्षरत 02 बालक को** पकड़कर पूछताछ करने पर तीनों के द्वारा मृतक के साथ गाली गलौच की बात को लेकर हुये विवाद के कारण चाकू से मारकर उसकी हत्या करना स्वीकार किया गया। **तीनों को गिरफ्तार कर कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू जप्त** कर कार्यवाही किया गया।

(31.) **हत्या/लूट** – थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 861/25 धारा 103(1), 309(5), 309(6), 311, 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में मोटर सायकल सवार अज्ञात 03 आरोपियों ने थाना खरोरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम बरौड़ा स्थित किंग ढ़ाबा के पास ग्राम ससहा थाना पलारी जिला बलौदाबाजार निवासी शिव कुमार साहू से लूट करने का प्रयत्न करते हुये चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दिये थे। इसी प्रकार थाना तिल्दा नेवरा के अपराध क्रमांक 563/25 धारा 309(6), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में मोटर सायकल सवार अज्ञात 03 आरोपियों ने थाना तिल्दा नेवरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम बहेसर ईमली पेड़ तालाब पास संदीप यादव पर चाकू से वार कर चोट पहुंचाकर उसका मोबाईल फोन एवं उसके साथी पूरन यादव से नगदी रकम लूट कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट, थाना खरोरा तथा थाना तिल्दा नेवरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर प्रकरणों में **आरोपी 01. खिलेश कुमार उर्फ दादू पिता गणेश राम साहू उम्र 19 साल निवासी सारागांव भाठापारा थाना खरोरा जिला रायपुर। 02. विक्की उर्फ विकास साहू पिता सुरेश साहू उम्र 19 साल निवासी ग्राम निलजा वार्ड क्र. 14 थाना खरोरा रायपुर। 03. ओमकार साहू उर्फ कोंदा पिता अमरू साहू उम्र 22 साल निवासी ग्राम निलजा पवनी रोड थाना खरोरा जिला रायपुर। 04. विधि के साथ संघर्षरत 01 बालक** को गिरफ्तार कर आरोपियों/अपचारी के कब्जे से **लूट की मोबाईल फोन, नगदी रकम तथा घटना से संबंधित 02 नग मोटर सायकल व 02 नग चाकू** जप्त कर चारों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

डकैती के प्रकरण

(01.) **डकैती** – थाना खम्हारडीह के अपराध क्रमांक 42/25 धारा 310(2), 331(5), 123, 351(3) बी.एन.एस. 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में दिनांक 11.02.2025 को 04 अज्ञात नकाबपोश पुरूष एवं 01 नकाबपोश महिला सहित कुल 05 आरोपी जिसमें से 02 पुरूष फौजी वर्दी पहने थे, सभी अनुपम नगर खम्हारडीह रायपुर निवासी प्रार्थी मनोहरण वेलू के मकान में प्रवेश कर प्रार्थी मनोहरण वेलू, प्रार्थी की बहन प्रेमा वेलू व रंजनी वेलू को बंधक बनाकर पिस्टल से जान से मारने की धमकी देकर उनके मुंह, हाथ एवं पैर को टॉवेल व टेप से बांध दिये तथा नकाबपोश महिला द्वारा प्रेमा वेलू एवं रंजनी वेलू के हाथ के भुजा में इंजेक्शन लगाकर आरोपियों द्वारा घर में रखें कुल 60,00,000/– रूपये नगदी रकम, 03 नग सोने की चैन तथा 03 नग मोबाईल फोन को लूट कर फरार हो गये थे। डकैती की घटना को पुलिस महानिरीक्षक महोदय रायपुर रेंज, रायपुर श्री अमरेश मिश्रा तथा पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गम्भीरता से लेते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी तथा प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए क्राईम ब्रांच की 10 विशेष

टीमों का गठन किया गया तथा प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गये। टीम के सदस्यों द्वारा घटना के संबंध में उक्त तीनों पीड़ितो से विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही घटना स्थल के आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का बारिकी से अवलोकन कर आरोपियों द्वारा घटना में उपयोग किये जाने वाले वाहन के आने–जाने वाले मार्गो में लगे हजारों सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों को खंगालते हुये आरोपियों के भागने की दिशा सुनिश्चित की गई। अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये मुखबीर की सूचना पर टीम के सदस्यों द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये घटना घटित होने के 36 घंटे के भीतर प्रकरण में आरोपी **01. अजय ठाकुर पिता नकुल ठाकुर उम्र 38 साल निवासी ग्राम व पोस्ट मर्रा, तहसील व थाना पाटन जिला दुर्ग। हाल पता – मकान नंबर 18/ए रिसाली सेक्टर थाना सेक्टर 06 भिलाई जिला दुर्ग। 02. राहुल त्रिपाठी पिता शशिभूषण त्रिपाठी उम्र 43 साल निवासी ग्राम व पोस्ट टाडा बडहलगंज थाना बडहलगंज जिला गोरखपुर (उ.प्र.)। हाल पता – एल आई जी 95 फेस 01 दीनदयाल आवास मनकी थाना सोमनी जिला राजनांदगांव। 03. नेहा त्रिपाठी पति राहुल त्रिपाठी उम्र 41 साल निवासी ग्राम व पोस्ट टाडा बडहलगंज थाना डहलगंज जिला गोरखपुर (उ.प्र.)। हाल पता – एल आई जी 95 फेस 01 दीनदयाल आवास मनकी थाना सोमनी जिला राजनांदगांव। 04. देवलाल वर्मा पिता स्व. नरेश कुमार वर्मा उम्र 45 साल निवासी राज वाटिका बी–01 सेमरिया थाना विधानसभा रायपुर। 05. पुरूषोत्तम देवांगन पिता विश्वनाथ देवांगन उम्र 33 साल निवासी टोडोपार चौक आरामील के सामने ग्राम अमेरा थाना पलारी जिला बलौदा बाजार। 06. ए. सोम शेखर पिता स्व. काली प्रसाद उम्र 56 साल निवासी एल.आई.जी. 197 जनता कालोनी सेवा सदन वृद्ध आश्रम के पास गुढियारी थाना गुढियारी रायपुर। हाल पता – अवंति विहार विजय नगर चौक मकान नंबर/ प्लाट नंबर 1284 थाना खम्हारडीह रायपुर। 07. शाहिद पठान पिता ताज पठान उम्र 36 साल निवासी मोहम्मद अली चौक भल्दरपुरा थाना गणेश पेट नागपुर महाराष्ट्र। हाल पता – कलमना बेले नगर पेट्रोल पम्प के पीछे थाना कलमना महाराष्ट्र। 08. पिंटू सारवान पिता आत्मा राम उम्र 23 साल निवासी देवकर बस स्टैंड के पास थाना देवकर जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़। हाल पता – पेट्रोल पम्प के पीछे बेले नगर थाना कलमना महाराष्ट्र। 09. मनुराज मौर्य पिता श्री देस राज मौर्य उम्र – 31 साल निवासी उपासना ऑटो पार्ट्स, मौया काम्प्लेक्स, गुरुनानक चौक तोरवा थाना तोरवा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़। 10. कमलेश वर्मा पिता स्व. अशोक वर्मा उम्र 31 साल निवासी ग्राम बडगांव थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर। हाल पता – कबीर नगर तिरंगा चौक थाना कबीर नगर रायपुर** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से **डकैती की नगदी रकम 59,50,000/– (उनसठ लाख पचास हजार रूपये), सोने के आभूषण तथा घटना में प्रयुक्त रिज्ड कार एवं अल्टो कार जुमला कीमती लगभग 70 लाख रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(02.) **<u>डकैती</u>** – थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 182/25 धारा 310(2), 331(6) बी.एन.एस. के प्रकरण में दिनांक 27.03.2025 को थाना खरोरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम केवराडीह स्थित प्रार्थी राधेलाल भारद्वाज के मकान में 07 अज्ञात नकाबपोश आरोपी हाथ में चाकू, तलवार एवं पिस्टलनुमा हथियार लेकर अंदर प्रवेश कर प्रार्थी एवं उसकी पत्नि की कनपटी में तलवार एवं पिस्टलनुमा हथियार टिका कर जान से मारने की धमकी देकर सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम को लूट कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट, थाना खरोरा तथा थाना तिल्दा नेवरा पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में संलिप्त **मुख्य आरोपी देवराज डहरिया पिता राजेन्द्र डहरिया उम्र 30 साल निवासी ग्राम केवराडीह थाना खरोरा जिला रायपुर तथा अन्य 14 सहित कुल 15 आरोपियों** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से डकैती की सोने–चांदी के जेवरात, नगदी रकम तथा घटना में प्रयुक्त हथियार, मोटर सायकल एच एफ डीलक्स क्र. सी जी/04/एल एल/3019, स्वीफ्ट वाहन क्रमांक सी जी 07 एम बी 1490, टाटा हेक्सा वाहन क्रमांक सी जी 04 एम बी 0777, वेगन आर कार क्रमांक सी जी 28 एल 9996 तथा 15 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 20,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।

(03.) **<u>स्पा सेंटर में डकैती</u>** – थाना न्यू राजेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 252/25 धारा 296, 351(2), 115(2), 127(2), 310(2) बी.एन.एस. के प्रकरण में न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत गोविंद सारंग परिसर पास स्थित कलचरल वेलनेस स्पा सेंटर में दिनांक 26.10.2025 को आरोपी प्रथम अग्रवाल, विशाल, यश राज सिंह तथा उसके अन्य साथियों द्वारा स्पा सेंटर में प्रवेश कर मैनेजर धनेश मिरी को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट करते हुए नगदी रकम को लूट कर फरार हो गए थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी प्रथम अग्रवाल**

उर्फ छुटकू पिता वीरेन्द अग्रवाल उम्र 22 साल निवासी अश्वनी नगर तेली धर्मशाला के पास थाना डी.डी.नगर रायपुर एवं अन्य 06 को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 नग दोपहिया वाहन तथा 03 नग मोबाइल फ़ोन जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

(04.) <u>बंधक बनाकर डकैती</u> – थाना मुजगहन के अपराध क्रमांक 251/25 धारा 310(2), 74 बी.एन.एस. के प्रकरण में दिनांक 14.11.25 को मुजगहन क्षेत्रांतर्गत स्थित कृष्णा हाईट्स कमल विहार में प्रार्थिया रोशिता तिर्की के भाई के फ्लैट में महिला आरोपी पूजा सचदेव, 03 पुरूष एवं 01 अन्य महिला स्वयं को पुलिस होना बताते हुये प्रार्थिया तथा उसके भाई एवं बहन के साथ हाथ मुक्का से मारपीट कर अपने पास रखें चाकू को निकालकर प्रार्थिया के भाई के गले में टिकाकर सभी को रस्सी से बांधकर कमरा बंद कर दिये एवं पैसों की मांग करते हुये डरा धमकाकर प्रार्थिया की बहन तथा उसके भाई का ए.टी.एम. कार्ड व ए.टी.एम. कार्ड से नगदी रकम, लैपटॉप, गैस सिलेण्डर, बर्तन तथा दोपहिया वाहन को लूट कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना मुजगहन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी 01. पूजा सचदेव पति बल्ली गवली उम्र 30 साल पता कृष्णा हाईट्स कमल विहार ब्लॉक ए. रूम न० 106 थाना मुजगहन जिला रायपुर। 02. आसीमा राव पति निखिल राव उम्र 26 साल पता राजा तालाब नूरानी चौक थाना सिविल लाईन रायपुर। 03. निखिल सचदेव पिता जुहाउल कुरैशी उम्र 18 साल 03 माह पता रात्तपुरा कालोनी फेस–2 थाना टिकरापारा जिला रायपुर। 04. अंकित सोनी पिता स्व० शेखर सोनी उम्र 18 साल 06 माह पत्ता रावतपुरा कालोनी फेस–2 थाना टिकरापारा जिला रायपुर। 05. विधि के साथ संघर्षरत 01 बालक** को गिरफ्तार कर आरोपियों के **कब्जे से लूट की 01 नग दोपहिया वाहन, गैस सिलेण्डर, बर्तन, लैपटॉप, 06 नग मोबाईल फोन, नगदी रकम 15,000/– रूपये, ए.टी.एम. कार्ड तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 2,20,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

<u>लूट के प्रकरण</u>

(01.) <u>लूट (राजस्थान का अंतर्राज्यीय गिरोह)</u> – थाना आजाद चौक के अपराध क्रमांक 111/2025 धारा 309(4) बी.एन.एस. के प्रकरण में दिनांक 30.04.25 को अज्ञात आरोपियों द्वारा समता कॉलोनी के पास प्रार्थी को उसके एक्टिवा वाहन से गिराकर उसके पास रखे लाखों रूपये से भरे बैग एवं प्रार्थी की एक्टिवा वाहन को लूट कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना आजादचौक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी **01. भवानी शंकर सारस्वत पिता राजेंद्र कुमार उम्र 24 साल निवासी ग्राम श्रीडूंगरगढ़ रूपादेवी स्कूल के पीछे थाना डूंगरगढ़ बीकानेर राजस्था। हाल पता– बालाजी इलेक्ट्रिकल गुरुनानक चौक के पास रायपुर। 02. भवानी शंकर सारस्वत उर्फ लालजी पिता हरिदत्त जी उम्र 29 साल निवासी लूणकरणसर उमानाबास शासकीय स्कूल के सामने थाना लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान हाल पता 307, 310 डी.डी. होम्स गोवेर्धनपुर अम्बिकापुर। 03.रवि शर्मा पिता शिवरतन शर्मा उम्र 21 साल निवासीथाना श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर राजस्थान। हाल पता 307 डीडी होम्स अम्बिकापुर। 04.गुनानंद प्रजापति पिता गिरधारी लाल प्रजापति उम्र 25 साल निवासी थाना श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर राजस्थान। 05. राकेश भार्गव उर्फ कालू पिता ओमप्रकाश भार्गव उम्र 25 साल निवासी श्रीडूंगरगढ़ आड़सरवास वार्ड नं. 33 पानी टंकी के पास थाना श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर राजस्थान** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से लूट की नगदी रकम 15 लाख रूपये, 01 नग दोपहिया वाहन तथा घटना में प्रयुक्त 06 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 17,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(02.) <u>लाखों रूपये नगदी रकम की लूट</u> – थाना गुढ़ियारी के अपराध क्रमांक 291/2025 धारा 127(2), 309(4), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में दिनांक 27.05.25 को अज्ञात आरोपियों द्वारा खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत चण्डी नगर रोड सृष्टि एम्पीरिया के आगे स्थित मैदान पास प्रार्थी को अश्लील गाली गलौच करते हुए एवं जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी की दोपहिया वाहन को लूट कर फरार हो गये। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी **हुलेश कुमार देवांगन पिता स्व. हरख राम देवांगन उम्र 45 वर्ष निवासी अन्ना चौक थाना गुढ़ियारी रायपुर**

एवं रूपेश साहू पिता अनुज राम साहू उम्र 26 वर्ष निवासी मंगल बाजार थाना गुढ़ियारी रायपुर स्थाई पता ग्राम पोस्ट लेंजवारा थाना बेरला जिला बेमेतरा को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से लूट की संपूर्ण रकम नगदी 8,75,800/– रूपये, ई–स्कूटी वाहन तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू, 01 नग मोटर सायकल एवं 01 नग ज्यूपीटर वाहन जुमला कीमती लगभग 11,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(03.) चाकू से जानलेवा हमला कर लूट – थाना धरसींवा के अपराध क्रमांक 514/25 धारा 309(4), 109, 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में धरसींवा क्षेत्रांतर्गत वंदना ग्लोबल कपंनी पास मोटर सायकल सवार अज्ञात 02 आरोपियों द्वारा प्रार्थी प्रमोद कुमार साहू के पैन्ट की जेब में जबरन हाथ डालकर उसका मोबाईल फोन तथा नगदी रकम को लूट लिये थे, प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर आरोपी उसके साथ मारपीट कर रहे थे, कि प्रार्थी के साथी सुरित श्रीवास द्वारा बीच बचाव के दौरान आरोपियान अपने पास रखें चाकू से सुरित श्रीवास की हत्या करने की नियत से उस पर चाकू से वार कर गंभीर चोट पहुंचाकर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना धरसींवा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी 01. ताराचंद बांधे पिता माधो बांधे उम्र 24 साल पता शाकरा भाटागांव सिलतरा चौकी थाना धरसींवा रायपुर। 02. नरेंद्र दांडेकर उर्फ पीलू पिता मथरेश दांडेकर उम्र 19 पता सुकवारी बाजार सतनामी मोहल्ला ज्ञान दास बघेल किराना स्टोर के पास बीरगांव थाना उरला रायपुर** को गिरफ्तार कर **कब्जे से लूट का मोबाईल फोन तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन क्रमांक सी जी/04/एम टी/7820 एवं 01 नग चाकू** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(04.) लूट के 03 प्रकरणों का खुलासा – थाना गंज के अपराध क्रमांक 337/25 धारा 309(4), 3(5) बी.एन.एस. तथा थाना खम्हारडीह के अपराध क्रमांक 394/25 धारा 309(4), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरणों में अज्ञात आरोपियों द्वारा थाना गंज क्षेत्रांतर्गत तेलघानी नाका चौक पास चाकू से डरा धमकाकर प्रार्थी का होण्डा साईन मोटर सायकल तथा थाना खम्हारडीह क्षेत्र के भवानी नगर शमशान घाट पास प्रार्थी का 01 नग मोबाईल फोन लूट करने के साथ ही थाना खम्हारडीह क्षेत्र से मोबाईल फोन लूट की एक अन्य घटना इस प्रकार लूट की कुल 03 घटनाओं को अंजाम दिया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट, थाना गंज तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी 01. सत्यम शुक्ला पिता राजेश शुक्ला उम्र 25 साल निवासी पीला बंगला लोधीपारा सांई मंदिर के पास थाना पंडरी रायपुर। 02. तरूण बघेल पिता देवाचंद बघेल उम्र 20 साल निवासी त्रिमूर्ति नगर मांझीपारा थाना देवेन्द्र नगर रायपुर। 03. पंकज पठारे पिता शिवकुमार पठारे उम्र 18 साल 11 माह निवासी चंद्रशेखर नगर संगम चौक लोधी पारा थाना पंडरी जिला रायपुर। 04. रुपेश यादव पिता लखन यादव उम्र 20 साल निवासी चंद्रशेखर नगर लोधी पारा थाना पंडरी जिला रायपुर। 04. विधि के साथ संघर्षरत 03 बालक** को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से **लूट की 02 नग मोबाईल फोन तथा घटना में प्रयुक्त तीन पहिया मोटर सायकल, होण्डा साईन मोटर सायकल क्रमांक सी जी 04 एल यू 0793 एवं 01 नग चाकू जुमला कीमती लगभग 80,000/– रूपये जप्त कर** आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(05.) बंधक बनाकर चारपहिया वाहन लूट – थाना कबीर नगर के अपराध क्रमांक 194/25 धारा 140(3), 309, 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में दिनांक 04.09.25 को कबीर नगर क्षेत्रांतर्गत अटारी स्थित एच.पी. गैस गोदाम पास अज्ञात आरोपियों ने प्रार्थी कुलदीप यादव को बंधक बनाकर उसके वेन्यु कार क्रमांक सी जी/04/एन डी/5577 में उसे जबरन बैठाकर मोबाईल फोन को लूट लिये तथा चाकू दिखाकर शराब पीने हेतु पैसों की मांग करते हुये उसके मोबाईल फोन से अपने बैंक खाते में ऑनलाईन 2,000/– रूपये ट्रांसफर कराये एवं उसे जबरन महासमुंद की ओर ले जा रहे थे, कि प्रार्थी वाशरूम जाने के बहाने गाडी से बाहर निकलकर मौका पाकर भाग गया तथा आरोपी प्रार्थी की वेन्यु कार क्रमांक सी जी/04/एन डी/5577 को भी लूट कर ले गये। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना कबीर नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी 01. ललित यादव उर्फ लल्ला पिता राजकुमार यादव उम्र 28 साल निवासी कांपा नहरपारा मोवा थाना पण्डरी रायपुर। 02. नितिन यादव उर्फ प्रेम पिता पंचराम यादव उम्र 18 वर्ष निवासी सरकारी स्कूल के पास, उदया सोसायटी टाटीबंध थाना आमानाका रायपुर। 03. कुश निर्मलकर उर्फ गब्बर पिता उमेश निर्मलकर उम्र 22 साल निवासी बी.एस.यू.पी. कालोनी जरवाय थाना कबीर नगर रायपुर** को गिरफ्तार

कर उसके **कब्जे से प्रार्थी की लूट की वेन्यु कार क्रमांक सी जी/04/एन डी/5577 कीमती लगभग 7,00,000/- रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(06.) <u>**लूट**</u> – थाना गुढ़ियारी के अपराध क्रमांक 83/2025 धारा 309(6), 331(3) बी.एन.एस. के प्रकरण में दिनांक 24.02.2025 को गुढ़ियारी रायपुर निवासी प्रार्थिया टिकेश्वरी रजक अपने घर के कमरे में सोयी थी, कि 02 अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति प्रार्थिया के घर के दरवाजे को धकेल कर कमरे अंदर प्रवेश कर प्रार्थिया टिकेश्वरी रजक के दोनों हाथ, पैर एवं मुंह को कपड़े से बांधकर उसके गले में धारदार हथियार रखकर जान से मारने की धमकी देते हुए अपने पास रखें लोहे के रॉड से प्रार्थिया के आलमारी के लॉकर को तोड़ कर उसमें रखें सोने चांदी के जेवरात, सिक्के एवं नगदी रकम को लूट कर फरार हो गये थे। लूट की घटना को पुलिस महानिरीक्षक महोदय रायपुर रेंज, रायपुर श्री अमरेश मिश्रा तथा पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गम्भीरता से लेते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक उरला पूर्णिमा लामा, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह, प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी गुढ़ियारी निरीक्षक कृष्ण कुमार कुशवाहा को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए क्राईम ब्रांच एवं थाना गुढियारी की विशेष टीम का गठन किया गया तथा प्रकरण में मुखबीर लगाये गये। टीम के सदस्यों द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थिया से विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही घटना स्थल के आसपास सहित आरोपियों के फरार होने वाले मार्गो में लगे हजारों सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का बारिकी से अवलोकन किया गया। घटना के दौरान आरोपियों द्वारा उपयोग किये गये वाहन के संबंध में जानकारी एकत्र करने के साथ ही अज्ञात आरोपियों के संबंध में तकनीकी विश्लेषण कर प्रकरण में आरोपी **01. सुनील चौहान उर्फ अप्पू पिता स्व. सालिक राम चौहान उम्र 42 साल निवासी सब्जी मण्डी के सामने शांती नगर थाना मोहन नगर जिला दुर्ग। 02. विक्रम सिंह चौहान उर्फ दिवस पिता देवी सिंह चौहान उम्र 29 साल निवासी गली नं. 03 सांई नगर बघेरा थाना सिटी कोतवाली जिला दुर्ग। 03. तीरेन्द्र चौहान उर्फ बंटी पिता स्व. दिलीप चौहान उम्र 28 साल निवासी वर्मा आटा चक्की के पास शंकर नगर वार्ड नं. 17 छावनी चौक थाना जामुल जिला दुर्ग** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से **लूट की सोने चांदी के जेवरात, हीरे की अंगूठी, नगदी रकम तथा घटना में प्रयुक्त 02 नग दोपहिया वाहन, 03 नग मोबाईल फोन एवं अन्य आलाजरब जुमला कीमती लगभग 21,00,000/- रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(07.) <u>**कट्टा दिखाकर लूट**</u> – थाना सरस्वती नगर के अपराध क्रमांक 211/25 धारा 309(4) बी.एन.एस. तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में दिनांक 01.09.25 को दोपहिया वाहन में सवार नकाबपोश अज्ञात 02 आरोपियों द्वारा सरस्वती नगर क्षेत्रांतर्गत कुकुरबेडा डुमरतालाब विप्र कालेज के पास प्रार्थी उज्ज्वल निषाद को रोककर अपने पास रखें देशी कट्टा को दिखाकर डरा धमका कर प्रार्थी के जेब में रखें नगदी रकम को लूट कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना सरस्वती नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी हरमीत सिंह पिता सुरजीत सिंह उम्र 28 साल निवासी ज्ञान भारती स्कूल के पास हीरापुर थाना कबीर नगर रायपुर** को गिरफ्तार कर उसके **कब्जे से लूट की नगदी रकम, घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन, 01 नग देशी कट्टा तथा 02 नग जिन्दा कारतूस जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(08.) <u>**लूट**</u> – थाना माना के अपराध क्रमांक 69/2025 धारा 309(6), 309(4) बी.एन.एस. के प्रकरण में दिनांक 03.03.25 को अज्ञात आरोपियों द्वारा कमल विहार चौक पास प्रार्थी हरीश अग्रवाल को कार में जाते समय उसकी कार को पीछे से ठोकर मारकर उसके साथ मारपीट कर उसके पॉकेट में रखें नगदी रकम को लूट कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना माना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी **01. बलराज मानिकपुरी उर्फ सन्नी पिता स्व. बोधन दास मानिकपुरी उम्र 41 साल निवासी श्याम नगर इन्द्रा चौक मकान नं. 32/1165 थाना तेलीबांधा जिला रायपुर। 02. लोकेश यादव उर्फ लल्ला पिता नंद कुमार यादव उम्र 28 साल निवासी कृष्णा मंदिर के पास श्याम नगर तेलीबांधा रायपुर। 03. कलदीप सिंह उर्फ मोन्टू पिता गोपाल सिह उम्र 35 साल निवासी श्याम नगर इन्द्रा चौक थाना तेलीबांधा जिला रायपुर** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 नग दोपहिया वाहन एवं**

03 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 1,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(09.) **<u>लूट एवं वाहन चोरी</u> –** थाना अभनपुर के अपराध क्रमांक 75/25 धारा 309(4) बी.एन.एस. 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में दिनांक 20.02.2025 को अभनपुर क्षेत्रांतर्गत छोटे उरला स्थित अंग्रेजी शराब दुकान पास दोपहिया वाहन में सवार 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी दिनेश कुमार रेड्डी को जान से मारने की धमकी देकर उस पर चाकू टिकाकर उसके मोबाईल फोन, जेब में रखें नगदी रकम 1500 रूपये तथा यामहा आर वन फाईव मोटर सायकल क्रमांक सी जी/04/पी क्यू/2699 को लूट कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना अभनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी 01. गगन जाटव पिता सोमनाथ जाटव उम्र 19 साल निवासी ग्राम वार्ड नंबर 02 सगौनी तेंदूखेड़ा थाना नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)। हाल पता – सूर्या पब्लिक स्कुल के पास अभनपुर रायपुर। 02.प्रमोद डहरिया उर्फ विक्की पिता देवकुमार डहरिया उम्र 22 साल निवासी ग्राम भेलवाडीह उपरवारा थाना राखी रायपुर। 03. गुलशन उर्फ मोनू डहरिया पिता बसंत डहरिया उम्र 24 साल निवासी ग्राम भेलवाडीह उपरवारा थाना राखी रायपुर** को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर उक्त घटना को अंजाम देने के साथ ही तीनों के द्वारा थाना सरस्वती नगर क्षेत्र के गीता नगर स्थित सिंघानिया बिल्डर्स काम्पलेक्स निर्माणाधीन भवन से एक प्लेटिना मोटर सायकल क्रमांक सी जी/04/एम एल/7529 को भी चोरी करना बताया गया, जिसमें आरोपियों के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 32/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से **लूट की यामहा आर वन फाईव मोटर सायकल क्रमांक सी जी/04/पी क्यू/2699 एवं 01 नग मोबाईल फोन तथा चोरी की प्लेटिना मोटर सायकल क्रमांक सी जी/04/एम एल/7529 सहित घटना में प्रयुक्त एक्टिवा व पल्सर मोटर सायकल जुमला कीमती लगभग 4,50,000/- रूपये** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(10.) **<u>लूट के 03 प्रकरणों सहित वाहन चोरी के 01 प्रकरण का खुलासा</u> –** थाना न्यू राजेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 55/25 धारा 311 बी.एन.एस., थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 42/25 धारा 310(2) बी.एन.एस. एवं थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 165/25 धारा 304(2), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरणों में दिनांक 21.03.2025 को 02 नग दोपहिया वाहनों में सवार 06 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू से डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत प्रियदर्शनी नगर स्थित रिहजडम कालोनी पास प्रार्थी छठू लाल यादव से 01 नग मोबाईल फोन, थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत टैगोर नगर चौक स्थित हनुमान मंदिर पास प्रार्थी मोहन लाल सोनी से 01 नग सोने की अंगूठी एवं नगदी रकम 7,000/- रूपये तथा थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत फुण्डहर चौक पास प्रार्थी देवेश सिंह राठौर से 01 नग मोबाईल फोन को लूट कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट की टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये घटनाओं के चंद घंटो के भीतर प्रकरणों में संलिप्त **आरोपी 01. राहुल गौन्द्रे पिता धर्मेंद्र गोंद्रे उम्र 20 साल निवासी मस्जिद गली शीतला माता मंदिर के पास काशी राम नगर थाना तेलीबांधा रायपुर। 02. मोहम्मद ताज खान पिता मोहम्मद हारून खान उम्र 18 साल निवासी नूरिया गरीब नवाज मस्जिद के सामने काशी राम नगर थाना तेलीबांधा रायपुर। 03. रॉकी टाण्डी पिता शशिकांत टाण्डी उम्र 20 साल निवासी गली न 07, मनीष किराना स्टोर के सामने सीमा नगर उड़िया बस्ती रायपुर। 04. राजा कन्नौजे पिता राकेश कन्नौजे उम्र 20 साल निवासी लकड़ी टाल के पास टंडन चौक काशीराम नगर थाना तेलीबांधा रायपुर। 05. मोहम्मद ताहिर खान पिता मोहम्मद रफीकउद्दीन उम्र 18 साल निवासी राजेश बैग कारखाना के पास काशी राम नगर थाना तेलीबांधा रायपुर। 06. अनुराग सिंह पिता रामसिया सिंह उम्र 20 साल निवासी सरकारी स्कुल के पीछे सड़क नंबर 08 गंगा विहार अमलीडीह थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर** को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा उक्त घटनाओं को अंजाम देने के साथ ही थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत स्थित सुभाष क्रिकेट स्टेडियम के बाहर खड़ी पैशन प्रो मोटर सायकल क्रमांक सी जी/04/के ए/2833 को भी चोरी करना बताया गया। **आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की नगदी रकम 6,490/- रूपये, 01 नग सोने की अंगूठी, 02 नग मोबाईल फोन एवं चोरी की मोटर सायकल क्रमांक सी जी/04/के ए/2833 तथा घटना**

में प्रयुक्त 01 नग मोटर सायकल, 01 नग एक्टिवा वाहन, 03 नग मोबाईल फोन तथा 01 नग चाकू जुमला कीमती लगभग 1,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना न्यू राजेन्द्र नगर के सुपुर्द किया गया जिस पर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(11.) **लूट** – थाना मंदिर हसौद के अपराध क्रमांक 111/25 धारा 309(6), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में दिनांक 19.03.25 को चंदखुरी फार्म स्थित यादव भवन पास 02 नग दोपहिया वाहन में सवार 05 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी ईशु यादव के साथ हाथ मुक्का से मारपीट कर उसका प्लेटिना मोटर सायकल क्रमांक सी जी/04/एन वाय/2642, जेब में रखें नगदी रकम 3000/– रूपये तथा मोबाईल फोन को लूट कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये घटना के चंद घंटो के भीतर प्रकरण में **आरोपी 01. प्रेम उर्फ अंगलेश्वर वर्मा पिता संतोष वर्मा उम्र 18 साल निवासी कुंडा टेकारी थाना मंदिर हसौद रायपुर। 02. योगेश साहू पिता टीकाराम साहू उम्र 20 साल निवासी टेकारी कुंडा थाना मंदिर हसौद रायपुर। 03. सतीश यादव उर्फ सत्या पिता बिशेन यादव उम्र 22 साल निवासी ग्राम जावा सकरी थाना मंदिर हसौद रायपुर तथा विधि के साथ संघर्षरत 02 बालक सहित कुल 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर** उनके कब्जे से **लूट की बजाज प्लेटिना मोटर सायकल क्रमांक सी जी/04/एन वाय/2642, नगदी रकम 1800/– रूपये तथा घटना में प्रयुक्त 02 नग स्प्लेण्डर मोटर सायकल जुमला कीमती लगभग 1,50,000/– रूपये** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(12.) **लूट** – थाना आमानाका के अपराध क्रमांक 132/2025 धारा 309(6) बी.एन.एस. के प्रकरण में दिनांक 27.04.25 को अज्ञात आरोपी द्वारा नंदनवन रोड पास प्रार्थिया को एक्टिवा वाहन से गिराकर उनके द्वारा धारण किये हुए सोने चांदी के जेवरात को लूट कर फरार हो गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना आमानाका पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी **ज्वाला बैरागी पिता दीपक बैरागी उम्र 42 साल निवासी बैरागी बी.एस.यू.पी कॉलोनी, कैपिटल सिटी फेस–02, थाना विधानसभा रायपुर हाल पता बैंक ऑफ इंडीया सामने मणप्पूरम गोल्ड लोन के सामने वाली गली बैरागी डेरा भिलाई पावर हाउस भिलाई** को गिरफ्तार कर उसके **कब्जे से लूट का सोने का कंगन, झुमका एवं घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 3,50,000/– रूपये जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(13.) **चैन स्नैचिंग** – थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 258/2025 धारा 304 बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपी द्वारा सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत श्री शिवम शो–रूम के पास प्रार्थिया के गले में पहने हुए सोने के चैन को छीनकर चोरी कर दोपहिया वाहन में फरार हो गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रकरण में अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुए आरोपी **रितेश नेताम पिता कमलेश नेताम उम्र 20 साल निवासी ब्लॉक व मकान नंबर 14 हाऊसिंग बोर्ड कालोनी कचना थाना खम्हारडीह रायपुर को गिरफ्तार कर** उसके **कब्जे से सोने की चैन कीमती 90,000/– रूपये तथा घटना में प्रयुक्त सायकल को जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(14.) **लूट**– थाना खम्हारडीह के अपराध क्रमांक 117/2025 धारा 309(6), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में दिनांक 27.05.25 को अज्ञात आरोपियों द्वारा खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत चण्डी नगर रोड सृष्टि एम्पीरिया के आगे स्थित मैदान पास प्रार्थी को अश्लील गाली गलौच करते हुए एवं जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी की दोपहिया वाहन को लूट कर फरार हो गये। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी **01. गुलशन नायक पिता जिब्रो नायक उम्र 24 साल साकिन पुनीत होटल के पीछे गंगा नगर थाना देवेन्द्र नगर जिला रायपुर। 02. हिरण्या दीप उर्फ करन पिता अंकुरदीप उम्र 23 साल साकिन त्रिमूर्ति नगर हाई स्कूल के पास थाना देवेन्द्र नगर जिला रायपुर। 03. प्रीतपाल सिह कंग पिता स्व० गुरजीत सिह कंग उम्र 19 साल साकिन विश्व हिन्दू परिषद के पास काली नगर थाना सिविल लाईन जिला रायपुर** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से लूट की 01 नग दोपहिया वाहन एवं 01 नग मोबाईल फोन तथा घटना में प्रयुक्त 02 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 1,20,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(15.) <u>लूट</u> – थाना पंडरी के अपराध क्रमांक 272/25 धारा 309, 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में दिनांक 07.10.25 को अज्ञात आरोपियों द्वारा पंडरी क्षेत्रांतर्गत दलदल सिवनी स्थित नाला पास प्रार्थी मोहम्मद शहाबुदीन को चाकू से डरा धमकाकर प्रार्थी का दोपहिया वाहन क्रमांक सी जी 04 क्यू एफ 2858 को लूट कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना पंडरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी 01. अभिमन्यु यादव पिता ओमप्रकाश यादव उम्र 19 साल निवासी दलजीत अपार्टमेंट के पास न्यू शांति नगर थाना सिविल लाईन रायपुर। 02. विधि के साथ संघर्षरत 01 बालक** को गिरफ्तार कर **कब्जे से लूट की दोपहिया वाहन क्रमांक सी जी 04 क्यू एफ 2858 कीमती लगभग 1,00,000/– रूपये तथा घटना में प्रयुक्त चाकू एवं मोबाईल फोन को जप्त** कर दोनों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(16.) <u>लूट के 02 प्रकरणों का खुलासा</u> – थाना पंडरी के अपराध क्रमांक 289/25 धारा 309(4), 3(5) बी.एन.एस. एवं 290/25 धारा 309(4), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरणों में अज्ञात आरोपियों द्वारा पंडरी क्षेत्रांतर्गत मोवा ओव्हर ब्रीज के नीचे प्रार्थी महेश लोधी के बैग से नगदी रकम, मोबाईल फोन, व्यक्तिगत दस्तावेज व अन्य सामान तथा प्रार्थी प्रकाश यादव एवं उसके दोस्त चंद्रकुमार उर्फ पींटू ध्रुव को चाकू दिखाकर डरा धमका कर दोनों से मोबाईल फोन, चांदी का ब्रेसलेट, घड़ी एवं नगदी रकम लूट कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना पंडरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये उक्त दोनों प्रकरणों में **आरोपी 01. योगेन्द्र चौहान उर्फ योगी पिता त्रिभुवन सिंह चौहान उम्र 22 साल निवासी गांधी नगर दुर्गा चौक पंडरी थाना सिविल लाईन रायपुर। 02. आर्यन नाग पिता वर्गीस नाग उम्र 21 साल निवासी गांधी नगर हनुमान मंदिर के पास पंडरी थाना सिविल लाईन रायपुर। 03. सुमेन्द्र साहू पिता कमल नारायण साहू उम्र 21 साल निवासी अशोका हाईट्स के पास प्रेम नगर मोवा थाना पंडरी रायपुर। 04. अमित बंजारे उर्फ लल्ला पिता खेलावन बंजारे उम्र 19 साल निवासी गांधी नगर दुर्गा चौक थाना सिविल लाईन रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से लूट की 02 नग चांदी का ब्रेसलेट, 02 नग मोबाईल फोन, 01 नग हाथ घड़ी, बैग तथा घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन व चाकू** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(17.) <u>लूट</u> – थाना खम्हारडीह के अपराध क्रमांक 361/25 धारा 309(6), 126(2), 112(2), 3(5) बी.एन.एस. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में दिनांक 30.11.25 को अज्ञात 04 आरोपियों द्वारा प्रार्थी राजेश महिलांगे व उसके साथी ध्रुव जायसवाल को कार से जाते समय खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत कचना फाटक के पहले आयुषी मेडिकल के सामने रूकवाकर उनके कार में जबरन बैठ कर अपने पास रखें चाकू को निकालकर प्रार्थी के गले मे टिका कर उसके गले मे पहने सोने की चैन, जेब में रखें नगदी रकम तथा ध्रुव जायसवाल का गला दबा कर उसके जेब में भी रखें नगदी रकम को लूट कर चारों भाग गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी 01. कामरान अली पिता कांशा अली उम्र 28 साल निवासी रेलवे किनारे चंडी नगर थाना खम्हारडीह जिला रायपुर। 02. गजेंद्र चौहान पिता स्वर्गीय शंभू सिंह चौहान उम्र 37 साल निवासी शास्त्री नगर नारायण हॉस्पिटल रोड थाना देवेंद्र नगर जिला रायपुर। 03. रवि साहू पिता उदयनाथ साहू उम्र 25 साल निवासी पार्वती नगर शिव मंदिर के पास थाना खम्हारडीह जिला रायपुर। 04. अंकित विभार पिता श्याम विभार उम्र 21 साल निवासी पार्वती नगर कचना फाटक के पास थाना खम्हारडीह जिला रायपुर** को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से **लूट की सोने की चैन, नगदी रकम 3,000/– रूपये तथा घटना में प्रयुक्त बुलेट वाहन क्रमांक सी जी/25/डी/2511 जुमला कीमती लगभग 3,53,000/– रूपये तथा एक नग चाकू जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(18.) <u>लूट (सोने की चैन)</u> – थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 697/25 धारा 309(4), 317(2), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत व्ही.आई.पी. रोड़ स्थित राम मंदिर के बाहर रोड किनारे खड़े प्रार्थी के निधिस राव को चाकू दिखाकर उसके गले में पहने सोने की चैन को लूट कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी 01. हसमुख महानंद पिता दिलीप महानंद उम्र 19 साल निवासी संकल्प होम सोसायटी लाभाण्डी फेस 01 ब्लॉक 05, मकान नंबर 18 थाना तेलीबांधा रायपुर। 02. कौशिल्या महेश्वरी पति मुकेश महेश्वरी उम्र 35 साल निवासी सूरज नगर बंगाली किराना स्टोर्स के पास लाभाण्डी थाना**

तेलीबांधा रायपुर को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से लूट की सोने की चैन एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल जुमला कीमती लगभग 2,50,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(19.) **<u>लूट</u>** – थाना माना के अपराध क्रमांक 344/25 धारा 309(4) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा थाना माना क्षेत्रांतर्गत माना बाईपास में मोटर सायकल सवार अज्ञात 02 आरोपियों द्वारा हाईवा वाहन चालक प्रार्थी गोपी साहू को अश्लील गाली गलौच कर हाथ मुक्का एवं किसी धारदार वस्तु से मारपीट कर उसके जेब में रखें नगदी रकम, मोबाईल फोन, हेड फोन, पर्स व हाईवा वाहन की चाबी को लूट कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना माना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी चेतन मण्डावी पिता विष्णु मण्डावी उम्र 24 वर्ष निवासी बनियापारा दुर्गा चौक धमतरी थाना सिटी कोतवाली जिला धमतरी, हाल पता – शंकर गौवली का बाडा गोकुल नगर थाना टिकरापारा जिला रायपुर तथा हितेश कुमार साहु उर्फ हित्तु पिता किशन लाल साहू उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड क्र० 05 भाठापारा उतई थाना उतई जिला दुर्ग को गिरफ्तार कर कब्जे से लूट की मोबाईल फोन तथा घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(20.) **<u>फर्जी लूट</u>** – थाना धरसींवा के अपराध क्रमांक 17/25 धारा 309(4), 296 बी.एन.एस. के प्रकरण में प्रार्थी चेतन लाल धीवर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 10.01.25 को वह अपने मोटर सायकल से जा रहा था, कि ग्राम अकोली स्थित शिव शक्ति ब्रिक्स प्लांट के पास मोटर सायकल सवार 02 अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी के मोटर सायकल के सामने अपनी मोटर सायकल अडाकर प्रार्थी को रोककर उसके पास बैग में रखें नगदी रकम को लूट कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना धरसींवा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रार्थी द्वारा बताये घटनाक्रम के संबंध में घटनास्थल के आस–पास के लोगों से पूछताछ करने तथा आस–पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने पर इस प्रकार का कोई भी घटनाक्रम घटित होना नहीं पाया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थी से पूछताछ करने पर वह बार–बार अपना बयान बदल कर टीम को लगातार गुमराह कर रहा था, कि टीम का शक प्रार्थी चेतन लाल धीवर पर गहरा होने से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर चेतन लाल धीवर अपने झूठ के सामने टिक न सका और अंततः अपने साथ लूट का अपराध घटित नहीं होना तथा थाना धरसींवा में लूट की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना बताया गया। जिस पर **आरोपी चेतन लाल धीवर पिता श्रीराम धीवर उम्र 40 साल निवासी शक्तिकुंज चौक ग्राम अकोली थाना धरसींवा रायपुर** को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से **नगदी रकम 1,94,000/– रूपये, घटना से संबंधित 01 नग मोबाईल फोन तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन** जप्त किया जाकर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(21.) **<u>फर्जी लूट (लाखों रूपये नगदी रकम)</u>** – थाना पण्डरी के अपराध क्रमांक 211/25 धारा 309, 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में प्रार्थी चिराग जैन ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 11.08.2025 को वह अपने घर वालफोर्ट वुड्स बरौदा विधानसभा रायपुर से 15 लाख रूपये नगदी रकम को बैग में रखकर बैंक में जमा करने हेतु अपने कार से जा रहा था, कि प्रातः लगभग 11:30 बजे कांपा रेल्वे फाटक के पास एक काले रंग के दोपहिया वाहन में सवार तीन अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी के कार के पास अपनी वाहन को अड़ा दिये जिससे प्रार्थी रूक गया। उसी दौरान दोपहिया वाहन में सवार 01 व्यक्ति प्रार्थी के कार के दरवाजा को खटखटाया जिस पर प्रार्थी ने कार के खिड़की के कांच को नीचे किया तो वह व्यक्ति जबरन प्रार्थी के कार का दरवाजा खोला तथा 02 व्यक्ति कार के अंदर बैठ गये तथा दोनों किसी धारदार वस्तु को प्रार्थी की गर्दन में अड़ा कर उसे सूनसान स्थान पर ले जाकर प्रार्थी के मोबाईल फोन को बाहर फेंक दिये तथा प्रार्थी के उंगलियों में पहने सोने की अंगुठी तथा उसके पास बैग में रखें नगदी रकम 15 लाख रूपये को लेकर तीनों अपने दोपहिया वाहन में फरार हो गये। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना पंडरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रार्थी द्वारा बताये घटनाक्रम के संबंध में घटनास्थल के आस–पास के लोगों से पूछताछ करने तथा आस–पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने पर इस प्रकार का कोई भी घटनाक्रम घटित होना नहीं पाया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थी से पूछताछ करने पर वह बार–बार अपना बयान बदल कर टीम को लगातार गुमराह कर रहा था, कि टीम का शक प्रार्थी चिराग जैन पर गहरा होने से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर चिराग जैन अपने झूठ के सामने टिक न सका और अंततः अपने साथ लूट का अपराध

घटित नहीं होना तथा थाना पंडरी में लूट की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना बताया गया। जिस पर **आरोपी चिराग जैन पिता चंद्रसिंह चंडालिया उम्र 27 साल निवासी वॉलफोर्ट वुड्स थाना विधानसभा रायपुर** को गिरफ्तार कर उसकी निशानेदेही पर कब्जे से **नगदी रकम 15,00,000/– रूपये, 03 नग सोने की अंगूठी तथा 01 नग मोबाईल फोन जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।

(22.) **लाखों रूपये कीमत के 86 किलोग्राम चांदी का गबन कर फर्जी लूट की कहानी रचने वाला अंतर्राज्यीय आरोपी** – थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 213/25 धारा 316(4) बी.एन.एस. के प्रकरण में प्रार्थी विजय अग्रवाल निवासी आगरा (उ.प्र.) द्वारा अपने फर्म चैन फाउंडेशन ऑफ आगरा में चांदी के आभूषणों को रायपुर मंगवाकर बिक्री किया जाता था, इस कार्य हेतु प्रार्थी द्वारा राहुल गोयल को रायपुर में रखा गया था, जो रायपुर के सदर बाजार राजधानी पैलेस स्थित किराये के मकान में रहकर चांदी के आभूषणों की बिक्री करने संबंधी कार्य का संचालन करता था। राहुल गोयल द्वारा प्रार्थी की बिना जानकारी के **86 किलोग्राम चांदी कीमती लगभग 55,96,453/– रूपये को बिक्री कर रकम प्राप्त कर गबन कर दिया गया तथा लूट की फर्जी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह किया जा रहा था, कि आरोपी राहुल गोयल पिता हरिओम गोयल उम्र 39 साल निवासी मकान नं. 201 सांई विहार कालोनी आगरा रोड अलीगढ थाना सासनीगेट (उ.प्र.), हाल पता राजधानी पैलेस सदर बाजार रायपुर को गिरफ्तार** कर उक्त अपराध में कार्यवाही किया गया।

(23.) **चैन स्नैचिंग** – थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 571/25 धारा 304(2) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपी ने सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत गली नंबर 05 में प्रार्थिया श्रीमती रूबी बाई के गले में पहने हुए सोने का मंगलसूत्र को झपट्टामारी कर खींच लिया तथा मोटर सायकल में सवार होकर भाग गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी बिट्टू कुमार उर्फ साहिल पिता महेश कुमार उम्र 20 साल निवासी जल विहार कालोनी गुरूद्वारा के सामने थाना तेलीबांधा रायपुर को गिरफ्तार कर** उसके **कब्जे से स्नेचिंग की सोने का मंगलसूत्र एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल कीमती लगभग 60,000/– रूपये जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

नकबजनी/चोरी के प्रकरण

(01.) **चोरी/नकबजनी के 18 प्रकरणों का खुलासा** – थाना मुजगहन के अपराध क्रमांक 43/25, 87/25, 123/25, 127/25, 133/25, 135/25, 148/25, 149/25, 150/25, थाना अभनपुर के अपराध क्रमांक 79/25, 159/25, 199/25, 237/25, थाना विधानसभा के अपराध क्रमांक 299/25, 323/25, थाना पण्डरी के अपराध क्रमांक 141/25, थाना डी.डी.नगर के अपराध क्रमांक 109/25 तथा थाना खम्हारडीह के अपराध क्रमांक 151/25 धारा 331(4), 305, 3(5), 317 बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा थाना मुजगहन, अभनपुर, विधानसभा, पण्डरी, डी.डी.नगर एवं खम्हारडीह क्षेत्रों के आवासीय कॉलोनियों में स्थित 18 अलग – अलग सूने मकानों का ताला तोड़कर कमरे अंदर प्रवेश कर सोने एवं चांदी के जेवरात, नगदी रकम तथा अन्य सामान को चोरी कर ले गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना मुजगहन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी सागर नगरहा (देवार) पिता जगमोहन नगरहा उम्र 21 साल निवासी चंगोराभाठा डी.डी.नगर रायपुर तथा अन्य 04 सहित चोरी की सोने एवं चांदी के जेवरातों को क्रय करने वाले 01 आरोपी सहित कुल 06 आरोपियों** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की **260.585 ग्राम (26.50 तोला) सोना, 01 किलो 634 ग्राम चांदी घटना में प्रयुक्त 05 नग मोबाईल फोन, 05 नग दोपहिया वाहन (जिसमें 01 नग दोपहिया वाहन आरोपियों द्वारा चोरी के पैसो से क्रय किया गया है) एवं अन्य आलाजरब जुमला कीमती लगभग 30,10,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(02.) **उठाईगिरी/चोरी करने वाला नागपुर (महाराष्ट्र) का अंतर्राज्यीय महिला गिरोह** – थाना गोलबाजार के अपराध क्रमांक 101/25 धारा 303(2), 3(5) बी.एन.एस. तथा थाना मौदहापारा के अपराध क्रमांक 56/25 धारा 303(2), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात महिलाओं द्वारा ई–रिक्शा में सवार होकर प्रार्थियों के बैग में रखें नगदी रकम को चोरी कर ले गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट, थाना गोलबाजार तथा

थाना मौदहापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में अज्ञात महिला आरोपियों की पतासाजी करते हुए महिला **आरोपी 01. मालती शेण्डे पति शिवा शेण्डे उम्र 37 साल निवासी कन्हान रेलवे स्टेशन के पीछे सत्रापुर थाना कन्हान जिला नागपुर (महाराष्ट्र)। हाल पता – सीतानगर गोगांव थाना गुढ़ियारी रायपुर। 02.प्रिया इंचुरकर पति भोला इंचुरकर उम्र 40 साल निवासी गोल्डन बार के पीछे एम जी नगर तारसा रोड थाना कन्हान जिला नागपुर (महाराष्ट्र)। हाल पता – सीतानगर गोगांव थाना गुढ़ियारी रायपुर। 03. शालीता उफाडे पति संतोष उफाडे उम्र 40 साल निवासी एम जी नगर मुण्ड कोटा थाना तिरोड़ा जिला नागपुर (महाराष्ट्र)। हाल पता – सीतानगर गोगांव थाना गुढ़ियारी रायपुर। 04. संगीता पात्रे पति स्व. विनोद पात्रे उम्र 40 साल निवासी सरकारी स्कुल के पास नवेगांव थाना व जिला गोंदिया (महाराष्ट्र)। हाल पता – सीतानगर गोगांव थाना गुढ़ियारी रायपुर** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से चोरी की नगदी रकम 35,700/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(03.) <u>देश भर के दर्जनों राज्यों में घुम–घुम कर बाजारों से मोबाईल फोन चोरी कर, मोबाईल फोन से ऑनलाईन रकम निकालने वाला झारखण्ड़ साहेबगंज/पश्चिम बंगाल का अंतर्राज्यीय गिरोह</u> – थाना गुढ़ियारी के अपराध क्रमांक 327/25 धारा 303(2), 3(5) बी.एन.एस. तथा थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 418/25 धारा 303(2), 134 बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा थाना गुढ़ियारी एवं तेलीबांधा क्षेत्र सहित रायपुर शहर के अलग – अलग स्थानों में लगने वाले बाजारों में घुम – घुम कर प्रार्थियों का मोबाईल फोन चोरी कर उनके मोबाईल फोन से ऑनलाईन रकम निकाल लेते थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट, थाना गुढ़ियारी तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **झारखण्ड़ साहेबगंज एवं पश्चिम बंगाल गिरोह के अंतर्राज्यीय आरोपी 01. विकास महतो पिता लालचंद महतो उम्र 33 साल निवासी महाराजपुर नया टोला थाना कल्याणी जिला साहेबगंज झारखण्ड़ तथा अन्य 09 सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार** कर उनके कब्जे से **प्रकरण से संबधित 13 नग मोबाईल फोन, नगदी रकम 1,00,000/– रूपये, 02 नग सिम कार्ड तथा 10 नग ए.टी.एम. कार्ड जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(04.) <u>नकबजनी (तमिलनाडू के अंतर्राज्यीय आरोपी)</u> – थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 345/25 धारा 331(4), 305, 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा प्रार्थी शिवनाथ सिन्हा के सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत स्थित संध्या रेसीडेंसी नामक ब्वायस हॉस्टल के 03 अलग – अलग कमरों में प्रवेश कर कमरों में रखें लैपटॉप एवं मोबाईल फोन को चोरी कर ले गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **तमिलनाडू के 03 अंतर्राज्यीय आरोपी 01. सुरेश पिता कुप्पन उम्र 30 साल निवासी अमबूर तालूक, मरियाम्मन कोविल स्ट्रीट, थाना आमतूल तालूक, जिला वेल्लोर (तमिलनाडू)। 02. सेनमुगम कावेरी पिता कावेरी उम्र 32 साल निवासी उदययज पल्यम् थाना आमबूर जिला वेल्लोर (तामिलनाडू)। 03. मजूनाथन गणेश गोविंदासामी पिता गणेश गोविंदासामी उम्र 29 साल निवासी उदय राज फ्ल्यूम, थाना आमबूर, जिला वेल्लोर (तमिलनाडू)** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से चोरी की 02 नग लैपटॉप, 03 नग मोबाईल फोन एवं अन्य दस्तावेज जुमला कीमती लगभग 1,50,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(05.) <u>आधा दर्जन फ्लैटो में चोरी करने वाले महाराष्ट्र के अंतर्राज्यीय आरोपी</u> – थाना आमानाका के अपराध क्रमांक 250/25, थाना कबीर नगर के अपराध क्रमांक 142/25 तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 172/25 धारा 331(3), 305(ए), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरणों में अज्ञात आरोपियों द्वारा थाना आमानाका, कबीर नगर एवं न्यू राजेन्द्र नगर सहित अन्य थाना क्षेत्रों में स्थित 06 सूने फ्लैटों के दरवाजों में लगे ताला को तोड़कर अंदर प्रवेश कर सोने – चांदी के जेवरात, नगदी रकम, विभिन्न कंपनियों के हाथ घडी सहित अन्य सामग्रियों को चोरी कर ले गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आमानाका व कबीर नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **महाराष्ट्र के 02 अंतर्राज्यीय आरोपी 01. विनोद सन्नी गौर पिता विनोद गौर उम्र 22 पता बालाजी नगर हाइवे के बगल में टेल्को रोड के बाजू भोसरी थाना बालाजी नगर पुणे महाराष्ट्र। 02. रेयान उर्फ अमन फैय्याज शेख पिता फैय्याज शेख उम्र 20 पता केरोल वेस्ट पाइप लाइन आगरा होटल के पास कोहिनूर सिटी थाना कुरला वेस्ट नई मुंबई महाराष्ट्र** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से चोरी की सोने के जेवरात 36 ग्राम, चांदी के जेवरात 843 ग्राम, 09 नग हाथ घड़ी, 01 नग**

आईफोन तथा घटना में प्रयुक्त 03 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 6,20,000/– रूपये तथा आलाजरब जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(06.) <u>नकबजनी (श्री शिवम शो–रूम पंडरी)</u> – थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 141/25 धारा 331(4), 305 बी.एन.एस. के प्रकरण में दिनांक 31.03.25–01.04.25 की दरम्यानी रात्रि अज्ञात आरोपियों द्वारा थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत पंडरी स्थित श्री शिवम शो–रूम दुकान के अंदर प्रवेश कर दुकान के काउंटर के दराज में रखें लाखों रूपये नगदी रकम को चोरी कर ले गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी 01. राजेश टण्डन पिता राम बिलास टण्डन उम्र 26 साल निवासी ग्राम धोधा हथबंद थाना हथबंद जिला बलौदा बाजार। हाल पता – किराये का मकान आदर्श नगर मोवा थाना पंडरी रायपुर। 02. परमेश्वर बघेल उर्फ प्रेम बघेल पिता चिंताराम बघेल उम्र 32 साल निवासी भीलोनी थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर। हाल पता – मंदिर हसौद थाना के पीछे नाना सेलहन सिंह का मकान मंदिर हसौद जिला रायपुर। 03. मोहनीश श्रीवास्तव उर्फ सिद्धार्थ पिता कृष्णमोहन श्रीवास्तव उम्र 33 साल निवासी चिखली प्यारे लाल चौक राजनांदगांव चौकी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव। हाल पता फ्लैट नंबर डी 609 अविनाश आशियाना कबीर नगर थाना कबीर नगर रायपुर। 04. सुरेश कुमार दीवान पिता मोहन लाल दीवान उम्र 31 साल निवासी ग्राम जामली पोस्ट पाठसिवनी थाना छुरा जिला गरियाबंद। हाल पता – किराये का मकान दुर्गा चौक संतोषी नगर थाना टिकरापारा रायपुर** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की **नगदी रकम 16,89,970/– रूपये तथा घटना में प्रयुक्त 02 नग कार, 01 नग एक्टिवा, 01 नग पल्सर मोटर सायकल एवं 04 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 23,00,000/– रूपये** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(07.) <u>नकबजनी/वाहन चोरी (नकबजनी के 07 तथा वाहन चोरी के 01 सहित कुल 08 प्रकरणों का खुलासा)</u> – रायपुर के आवासीय कॉलोनियों एवं सूने मकानों में चोरी की घटनाओं को पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज श्री अमरेश मिश्रा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गम्भीरता से लेते हुए चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने व अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा सी.डी.आर. एनालिसिस, टॉवर डम्प, रात्रि गश्त एवं मुखबीर के माध्यमों से सूचना एवं जानकारी एकत्र कर चोरी करने वाले आरोपी **01. रितिक वर्मा पिता मेघनाथ वर्मा उम्र 19 साल निवासी तरूण नगर डंगनिया थाना डी.डी. नगर रायपुर। 02. मयंक सोनी पिता संजय सोनी उम्र 26 साल निवासी बम्बलेश्वरी मंदिर के पास डंगनिया थाना डी.डी.नगर रायपुर। 03. चोरी के जेवरातों का क्रेता महादेव ज्वेलर्स डंगनिया का संचालक आरोपी अशोक कुमार सोनी पिता स्व. जगराम सोनी उम्र 54 साल निवासी विकास विहार कालोनी मकान नंबर 34 रायपुरा थाना डी.डी. नगर रायपुर** को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से **चोरी की सोने के जेवरात 33 ग्राम, चांदी के जेवरात 329 ग्राम तथा 01 नग पल्सर मोटर सायकल जुमला कीमती लगभग 5,50,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। आरोपियों के विरूद्ध **थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 772/24, अपराध क्रमांक 983/24, अपराध क्रमांक 610/24, अपराध क्रमांक 669/24 धारा 331(4), 305 बी.एन.एस., थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 383/24 धारा 457, 380 भादवि., थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 476/24, अपराध क्रमांक 32/25 धारा 331(4), 305 बी.एन.एस. तथा थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 207/24 धारा 379 भादवि.** का अपराध पंजीबद्ध है।

(08.) <u>नकबजनी (06 प्रकरण)</u> – थाना खमतराई के अपराध क्रमांक **अप.क्र.79/25 धारा 305, 331(4)बी.एन.एस, अप. क्र.288/25 धारा 305, 331(4)बी.एन.एस., अप.क्र 347/25 धारा 305, 331(4)बी.एन.एस., अप.क्र.350/25 धारा 305, 331(4)बी.एन.एस, अप.क्र 351/25 धारा 305, 331(4)बी.एन.एस. तथा थाना गुढ़ियारी में दर्ज चोरी** के प्रकरण में अज्ञात आरोपी द्वारा थाना गुढ़ियारी एवं खमतराई के सूने मकानों का ताला तोड़कर कमरे अंदर प्रवेश कर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात, टी.व्ही., गैस सिलेण्डर एवं अन्य सामग्री को चोरी कर फरार हो गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना गुढ़ियारी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी जागेश उर्फ जग्गू चौहान पिता सुरेश चौहान उम्र 22 साल निवासी गोवर्धन नगर आदर्श चौक नाला के पास खमतराई थाना खमतराई रायपुर** को गिरफ्तार कर उसके

कब्जे से चोरी की सोने एवं चांदी के जेवरात, 08 नग गैस सिलेण्डर, 01 नग एल.ई.डी.टी.व्ही., 01 टीना खाने का तेल, 02 नग मोबाईल फोन, नगदी रकम 900 तथा घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन जुमला कीमती लगभग 5,50,000/—रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(09.) **नकबजनी** – थाना आमानाका के अपराध क्रमांक 71/2025 धारा 331(4), 305(ए), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात अरोपियों द्वारा आमानाका क्षेत्रांतर्गत छठ तालाब पास स्थित काव्या शो–रूम के छत से शो–रूम अंदर प्रवेश कर लाखों रूपये कीमत के इलेक्ट्रिॉनिक एपलायेंसेस को चोरी कर फरार हो गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रकरण में अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी **01. समरजीत भारद्वाज पिता स्व. हलिन्दर प्रसाद उम्र 22 साल निवासी कबीर नगर हीरापुर थाना कबीर नगर रायुपर एवं 02. बलराम साहू पिता शिवाजी साहू उम्र 38 साल निवासी नीरज मेडिकल के पीछे बाजार चौक भाटापारा टाटिबंध जिला रायपुर** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से चोरी की सम्पूर्ण मशरूका कॉपर वायर, पाईप रोल कॉपर, सेटबलाईजर, गीजर एवं अन्य सामग्री तथा घटना में प्रयुक्त वाहन क्रमांक सीजी/04/क्यू ई/6571 जुमला कीमती लगभग 10,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(10.) **नकबजनी (17 नग आईफोन एवं आईवॉच)**– थाना सरस्वती नगर में दर्ज अपराध क्रमांक 111/25 धारा 331(4), 305, 3(5) बी.एन.एस. में सरस्वती क्षेत्रांतर्गत जी.ई.रोड स्थित रिलायंस डिजीटल दुकान में किसी अज्ञात चोर द्वारा दुकान की कांच को तोड़कर अंदर प्रवेश कर कैबिनेट में रखे 17 नग आईफोन, 02 नग स्मार्ट वॉच तथा 01 नग एप्पल ईयरपॉड चोरी कर फरार हो गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना सरस्वती नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में आरोपी की पतासाजी करते हुए आरोपी **मयंक दीक्षित पिता रवि दीक्षित उम्र 21 साल सा 8 मंदिर के पास ब्रम्हकुमारी आश्रम के सामने चौबे कॉलोनी थाना आजाद चौक रायपुर** को पकड़ा गया पूछताछ में आरोपी द्वारा चोरी के आईफोन को अपने साथियों को देना बताये जाने पर **चोरी का सामान क्रय करने पर आरोपी अमित अग्रवाल पिता राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल उम्र 44 पता समता कॉलोनी आमातलब होम्योपैथिक कॉलेज वाली पहली मकान रामकुंड थाना आजाद चौक रायपुर, निखिल गर्ग पिता स्व दर्शन गर्ग उम्र 29 पता शंकर नगर अपच स्टेट आस्था ग्रेन फ्लैट 807 थाना पंडरी रायपुर, चंदन वर्मा पिता राजेश कुमार वर्मा उम्र 19 साल स्थाई पता खौली सोनभता खरोरा के पास गाँव हाल पता गुड़ियारी पहाड़ी चौक कृष्णा नगर रायपुर एवं आशीष लखवानी पिता शंकर लाल लखवानी उम्र 29 पता लाखे नगर चौक ऑफिस के पास थाना आजाद चौक रायपुर** को धारा 317(4) बी.एन.एस. के तहत गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर **कब्जे से 16 नग आईफोन, 02 नग स्मार्टवॉच एवं 01 नग ईयरपॉड तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 21,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।

(11.) **नकबजनी (लाखो रूपये की चोरी)** – थाना माना में दर्ज अपराध क्रमांक 157/25 धारा 331(4), 305 बी.एन.एस के प्रकरण में माना क्षेत्रांतर्गत डुमरतराई के औषधी वाटिका स्थित प्रार्थी के शॉप में दिनांक 27–28.05.2025 की दरमियानी रात्रि किसी अज्ञात चोर द्वारा दुकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर प्रार्थी तथा उसके पिता के केबिन के दराज को खोलकर उसमें रखें नगदी रकम 27 लाख रूपये को चोरी कर फरार हो गया था। जिसपर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना माना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने में सफलता प्राप्त हुई तथा आरोपी की उपस्थिती ग्राम मलदाकला थाना हसौद जिला सक्ती में होना पाया गया। जिस पर पुलिस टीम के सदस्यों द्वारा जिला जांजगीर एवं सक्ती पुलिस से सामंजस्य कर प्रकरण में **आरोपी विजय कश्यप उर्फ गुड्डा पिता गोसई कश्यप उम्र 26 साल निवासी ग्राम मलदा कला थाना हसौद जिला सक्ति** को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से **चोरी की सम्पूर्ण नगदी रकम 27,00,000/– रूपये तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 27,50,000/– रूपये जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।

(12.) **लाखों रूपये कीमत के विदेशी मुद्रा के डॉलर की चोरी** – थाना देवेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 109/2025 धारा 303(2) बी.एन.एस. के प्रकरण में देवेन्द्र नगर स्थित प्रार्थी की जादवानी फाऐक्स प्रा.लि. कंपनी नागपुर महाराष्ट्र भेजे गये विदेशी मुद्रा के पार्सल को किसी अज्ञात चोर द्वारा बदली कर प्रार्थी के लाखों रूपये कीमत के विदेशी मुद्रा को चोरी कर लिया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना

देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में आरोपी की पतासाजी करते हुए आरोपी **01. साहिल गोधवानी पिता हरिश गोधवानी उम्र 22 साल निवासी दलदल सिवनी मोवा मकान नंबर एल 32 अवनी विहार थाना मोवा पंडरी रायपुर। 02. आयरिश जुनैद पिता परवेश खुर्शीद उम्र 22 साल निवासी दलदल सिवनी मोवा अवनी विहार गली नं. 01 मकान नंबर जी 16 थाना मोवा पंडरी रायपुर। 03. नुरूल हुसैन पिता अनवर हुसैन उम्र 18 साल निवासी ग्राम खरसीया थाना खरसीया जिला रायगढ़** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से चोरी की 20 हजार डालर (भारतीय रूपये 17,30,000) तथा घटना से संबंधित 04 नग मोबाईल फोन तथा हेक्टर वाहन क्रमांक सी जी 04 एन एल 9069 जुमला कीमती लगभग 38,00,000/- रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।

(13.) नकबजनी – थाना गुढ़ियारी के अपराध क्रमांक 299/25 धारा 331(4), 305(ए) बी.एन.एस.के प्रकरण में अज्ञात आरोपी द्वारा प्रार्थिया श्रीमती मीना रंगारी के अम्बेडकर चौक गुढियारी स्थित सूने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर आलमारी का लॉकर तोडकर आलमारी में रखें सोने, चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम को चोरी कर ले गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गुढ़ियारी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुए **आरोपी दिलशाद मंसूरी उर्फ चीकू पिता ईकलाख मंसूरी उम्र 15 साल निवासी ग्राम चंद्रपुरा थाना चंद्रपुरा जिला बोकारो झारखण्ड़। हाल पता – अम्बेड़कर चौक गुढ़ियारी रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की संपूर्ण मशरूका सोने, चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम जुमला कीमती लगभग 12,00,000/- रूपये जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(14.) नकबजनी – थाना कबीर नगर के अपराध क्रमांक 114/25 धारा 331(4), 305(ए) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने प्रार्थी अभिषेक शुक्ला के कबीर नगर क्षेत्रांतर्गत राईस एण्ड साईन स्कूल के बाजू स्थित सूने मकान के दरवाजा में लगे ताला को तोड़कर अंदर प्रवेश कर कमरे में रखें आलमारी को तोड़कर आलमारी में रखें सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम को चोरी कर ले गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना कबीर नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी 01. लल्ला उर्फ आकाश बंदे उर्फ अनमोल पिता चैतूराम बंदे उम्र 24 साल निवासी कुकरी तालाब शिव मंदिर के पास गुढ़ियारी रायपुर। हाल पता प्रीतम नगर शमशान घाट के सामने गुढ़ियारी रायपुर। 02. सोहेल वर्मा जंघेल पिता अशोक वर्मा उम्र 19 साल निवासी शिव मंदिर के पास प्रेम नगर गुढ़ियारी रायपुर। 03 विधि के साथ संघर्षरत एक बालक** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से चोरी की सोने के जेवरात वजनी लगभग 59 ग्राम, चांदी के जेवरात लगभग 01 किलोग्राम, नगदी रकम 7,500/- रूपये, 01 नग हाथ घड़ी तथा घटना में प्रयुक्त स्प्लेण्डर मोटर सायकल क्रमांक सी जी/04/पी एन/8497 जुमला कीमती लगभग 7,50,000/- रूपये** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(15.) नकबजनी – थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 337/25 धारा 331(4), 305, 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा प्रार्थी विशाल विरनानी के सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत कटोरा तालाब पी.डब्ल्यू.डी. चौक पास स्थित शोभा टेलीकॉम दुकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर दुकान में रखें विभिन्न कंपनियों के नये/पुराने मोबाईल फोन, नगदी रकम, मोबाईल बिल एवं रजिस्टर को चोरी कर ले गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी 01. नवीन पिंजानी पिता अशोक पिंजानी उम्र 27 साल निवासी कटोरा तालाब गली नंबर 04 कन्या शाला स्कुल के पास सिविल लाईन रायपुर। 02. शेख इमरोज पिता शेख अनवर उम्र 22 साल निवासी अखाड़ा के पास बैजनाथ पारा थाना कोतवाली रायपुर। 03. विधि के साथ संघर्षरत 02 बालक** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से चोरी की विभिन्न कंपनियों के कुल 87 नग नये/पुराने मोबाईल फोन, नगदी रकम 20,000/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त 02 नग एक्टिवा वाहन जुमला कीमती लगभग 21,20,000/- रूपये जप्त** कर आरोपी/अपचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(16.) नकबजनी – थाना मंदिर हसौद के अपराध क्रमांक 307/25 धारा 331(4), 305 बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपी द्वारा प्रार्थी अशोक कुमार सोनवानी के मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत ग्राम कुरूद स्थित सूने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर आलमारी में रखें सोने चांदी के जेवरात, मोबाईल फोन तथा नगदी रकम को चोरी कर ले गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मंदिर हसौद पुलिस

की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **शातिर नकबजन आरोपी अशोक चन्द्रवंशी उर्फ मुस्सू पिता बलीराम चन्द्रवंशी उम्र 26 साल निवासी ग्राम कुरुद भाठापारा थाना मन्दिर हसौद रायपुर** को गिरफ्तार कर उसके **कब्जे से चोरी की नगदी रकम 8,50,000/– रूपये जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(17.) <u>नकबजनी</u> – थाना माना के अपराध क्रमांक 303/25 धारा 331(3), 305 बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपी द्वारा प्रार्थी अनिल बघेल के माना क्षेत्रांतर्गत धरमपुरा स्थित सूने मकान के दरवाजा के कुंदा व उसमें लगे ताला को उखाड़कर अंदर प्रवेश कर कमरे में रखें आलमारी का ताला व लॉकर को तोड़कर आलमारी में रखें नगदी रकम, सोने – चांदी के जेवरात तथा चांदी की मूर्ति को चोरी कर ले गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना माना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी चंदन चेलक पिता झुमका चेलक उम्र 19 साल निवासी कचना हाउसिंग बोर्ड कालोनी ब्लॉक नंबर 33 रूम नंबर 16 थाना खम्हारडीह रायपुर** को गिरफ्तार कर उसके **कब्जे से चोरी की संपूर्ण मशरूका सोने के जेवरात लगभग 75 ग्राम, चांदी के जेवरात एवं मूर्ति लगभग 02 किलो 893 ग्राम तथा नगदी रकम जुमला कीमती लगभग 10,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(18.) <u>नकबजनी</u> – थाना देवेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 190/25 धारा 331(ए), 305(ए) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा प्रार्थी हरीश मोटवानी के देवेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत सेक्टर 01 स्थित सूने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर कमरों में रखें आलमारियों का ताला व लॉकर को तोड़कर आलमारियों में रखें सोने व चांदी के जेवरात, सिक्के, मूर्ति व नगदी रकम को चोरी कर ले गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी 01. देवा महानंद उर्फ देवु पिता नानू महानंद उम्र 23 साल निवासी ब्लॉक नंबर 04, मकान नंबर 22 बी.एस.यू.पी. कालोनी दलदल सिवनी थाना पंडरी रायपुर। 02. विधि के साथ संघर्षरत 01 बालक** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से **चोरी की सोने के जेवरात, बिस्किट व सिक्के वजनी लगभग 11 तोला, चांदी के जेवरात, बिस्किट, सिक्के व मूर्ति वजनी लगभग 350 ग्राम एवं नगदी रकम 1,20,000/– रूपये तथा घटना में प्रयुक्त एवेंजर मोटर सायकल क्रमांक सी जी 04 डी वाय 6261 जुमला कीमती लगभग 12,50,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(19.) <u>नकबजनी</u> – थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 1229/2025 धारा 331(4), 305(1) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपी द्वारा प्रार्थी विजय कुमार सारथी के खमतराई क्षेत्रांतर्गत उरकुरा हर्षित विहार स्थित मकान में प्रवेश कर कमरे में रखें नगदी रकम 5,00,000/– रूपये को चोरी कर ले गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी अनिल कश्यप पिता पुरूषोत्तम कश्यम उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम अरेठीकला थाना हसौद जिला शक्ति** को गिरफ्तार कर उसके **कब्जे से चोरी की संपूर्ण मशरूका नगदी रकम 5,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(20.) <u>नकबजनी के 02 प्रकरणों का खुलासा (लाखों रूपये कीमत के मोबाईल फोन चोरी)</u> – थाना धरसींवा के अपराध क्रमांक 599/25 धारा 331(4), 305 बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा प्रार्थी हेमंत वर्मा के धरसींवा क्षेत्रांतर्गत सिलतरा पुराना बस स्टैण्ड अटल व्यवसायिक परिसर कॉम्पलेक्स स्थित मोबाईल दुकान के दीवाल को छेद कर दुकान में रखें विभिन्न कंपनियों के मोबाईल फोन को चोरी करने के साथ ही थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 184/25 धारा 331(4), 305 बी.एन.एस. के प्रकरण में भी अज्ञात आरोपियों द्वारा थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत गोंदवारा स्थित मोबाईल दुकान का ताला तोड़कर मोबाईल फोन चोरी कर ले गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट, थाना धरसींवा एवं चौकी सिलतरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी 01. भगतराम डोंगरी उर्फ रवि पिता सोलोमन डोंगरी उम्र 42 साल निवासी ग्राम पुकी थाना कोरपुट जिला कोरापुट उड़ीसा। हाल पता– कमल दास कुर्रे का मकान गोंदवारा थाना खमतराई जिला रायपुर। 02. मुशीर खान पिता सलीम खान उम्र 44 साल पता ओसवाल नगरी 90**

फीट रोड नाला सुपारा ईस्ट थाना तुलिज जिला पालघर महाराष्ट्र। हाल पता – कमल दास कुर्रे का मकान गोंदवारा थाना खमतराई जिला रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपियों के **कब्जे से चोरी की विभिन्न कंपनियों के 18 नग स्मार्ट मोबाईल फोन तथा 01 नग की पैड मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 3,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(21.) मोबाईल चोरी (ट्रेन में यात्रियों के 02 दर्जन से अधिक मोबाईल फोन चोरी) – दिनांक 05.03.25 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत भाठागांव स्थित न्यू बस स्टैण्ड में मोबाईल फोन बिक्री करने की फिराक में घुमते **आरोपी दीपक साहू पिता हेमंत साहू उम्र 24 साल निवासी एन.टी.पी.सी जमनीपाली थाना दर्री जिला कोरबा (छ.ग.) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की विभिन्न कंपनियों के कुल 30 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 5,00,000/– रूपये** जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में धारा 35(1)(ड) बी.एन.एस.एस./303(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। आरोपी द्वारा मोबाईल फोन को कोरबा से रायपुर तथा रायपुर से कोरबा आने–जाने वाली ट्रेनों में अलग – अलग यात्रियों से चोरी किया गया था।

(22.) नकबजनी – थाना सरस्वती नगर के अपराध क्रमांक 27/25 धारा 305(1), 331(4), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपी द्वारा कुकुरबेड़ा सरस्वती नगर निवासी प्रार्थिया नंदा तिवारी के सूने मकान का ताला तोड़कर कमरे अंदर प्रवेश कर आलमारी में रखें सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम को चोरी कर ले गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना सरस्वती नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी साहिल सिंग ठाकुर पिता भरत सिंग ठाकुर उम्र 18 साल निवासी भवानी चौक कुकुरबेड़ा थाना सरस्वती नगर रायपुर तथा विधि के साथ संघर्षरत एक बालक** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की **सोने एवं चांदी के जेवरात जुमला कीमती लगभग 5,60,000/– रूपये** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(23.) नकबजनी – थाना आमानाका के अपराध क्रमांक 138/2025 धारा 331(4), 305(ए), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा आमानाका क्षेत्रांतर्गत महोबा बाजार स्थित अशोका टिन केनस प्राईवेट लिमीटेड फैक्ट्री के दरवाजे का लॉक तोड़कर अंदर प्रवेश कर स्टोर रूम में रखा समान को चोरी कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रकरण में अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी **01. बैकुंठ सोना पिता स्व. मूसा सोना उम्र 26 वर्ष निवासी रोटरी नगर, ब्लॉक रूम नम्बर 20 थाना आमानाका रायपुर। 02. वीरेंद्र साहू पिता चम्पेस्वर लाल साहू उम्र 21 वर्ष निवासी रोटरी नगर K ब्लॉक रूम नम्बर 22 थाना आमानाका रायपुर। 03. कुशल तांडी पिता राजेश तांडी उम्र 24 वर्ष निवासी रोटरी नगर M ब्लॉक रूम नम्बर 22 थाना आमानाका रायपुर** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से चोरी गई सम्पूर्ण ताम्बा वायर कुल 343 किलो एवं घटना में प्रयुक्त 01 नग आटो वाहन जुमला कीमती लगभग 4,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

नारकोटिक एक्ट के प्रकरण

(01.) पाकिस्तान से पंजाब के थ्रू हेरोईन/चिट्टा सप्लाई नेटवर्क – थाना टिकरापारा रायपुर के अपराध क्रमांक 600/25 धारा 21सी, 27, 27(क), 29 नारकोटिक एक्ट, 111 बी.एन.एस. एवं 25 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **पाकिस्तान के थ्रू पंजाब के रास्ते ड्रग्स सप्लाय नेटवर्क के पंजाब निवासी अंतर्राज्यीय तस्कर लवजीत सिंग उर्फ बंटी पिता सुच्चा सिंग उम्र 39 साल निवासी ग्राम माडी टाण्डा थाना गुमान जिला गुरदासपुर पंजाब तथा स्थानीय नेटवर्क के अन्य सहित कुल 32 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से खुदरा मूल्य लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत के 412.87 ग्राम हेरोईन (चिट्टा), विभिन्न मोबाईल फोन, चारपहिया वाहन क्रेटा क्रमांक सीजी/04/क्यू एच/7491, तौल मशीन, सिल्वर रोल पेपर, हेरोईन पीने में उपयोग जला हुआ नोट, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक एवं 01 नग देशी कट्टा जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(02.) <u>**विडियो एवं लोकेशन शेयरिंग के माध्यम से हेरोईन (चिट्टा) का सिंडिकेट चलाने वाला गिरोह**</u> – थाना कबीर नगर के अपराध क्रमांक 183/2025 धारा 21बी, 21सी, 29 एन.डी.पी.एस एक्ट तथा 111 बी.एन.एस. के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना कबीर नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा विडियो एवं लोकेशन शेयरिंग के माध्यम से हेरोईन (चिट्टा) का सिंडिकेट चलाने वाले गिरोह के **आरोपी 01. मनमोहन सिंग संधू उर्फ जग्गू पिता जरनैल सिंग उम्र 30 साल निवासी एचआईजी/564 मोर गार्डन के पास वीर सावरकर नगर हीरापुर थाना कबीर नगर जिला रायपुर। 02. विजय मोटवानी उर्फ अमन पिता गोपाल मोटवानी उम्र 23 साल निवासी एलआईजी – 1696 वीर सावरकर नगर हीरापुर थाना कबीर नगर जिला रायपुर। 03. दिव्या जैन पिता ललित जैन उम्र 24 साल निवासी आरडीए कॉलोनी ब्लॉक जी 112 बंगाली होटल के पास अविनाश प्राईट के पीछे हीरापुर थाना कबीर नगर जिला रायपुर। 04. नितिन पटेल पिता आशीष पटेल उम्र 19 साल निवासी ग्राम कंदेला थाना बैकुंठपुर जिला रीवा म०प्र०. वर्तमान पता सतगुरू ट्रेडर्स के पास, जरवाय तालाब के पास वीर सावरकर नगर हीरापुर थाना कबीर नगर जिला रायपुर। 05. जसप्रीत कौर उर्फ बॉबी पति मनमोहन सिंग संधू उर्फ जग्गू उम्र 25 साल निवासी एचआईजी/564 मोर गार्डन के पास वीर सावरकर नगर हीरापुर थाना कबीर नगर जिला रायपुर। 06. हरप्रीत कौर उर्फ हैप्पी पति अमरीक सिंग उम्र 23 साल निवासी एलआईजी – 251, 252 वीरसावरकर नगर हीरापुर थाना कबीर नगर रायपुर** को गिरफ्तार कर **आरोपियों के कब्जे से 282.69 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) तथा घटना में प्रयुक्त 02 नग दोपहिया वाहन एवं 06 नग मोबाईल फोन खुदरा मुल्य कीमती लगभग 59,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(03.) <u>**हेरोईन/चिट्टा**</u> – थाना कबीर नगर के अपराध क्रमांक 190/25 धारा 21बी, 21(सी), 29 नारकोटिक एक्ट, 111 बी.एन.एस. तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना कबीर नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **आरोपी मुख्य सप्लायर रूपिन्दर सिंह उर्फ पिन्दर उर्फ पाबलो पिता मंजीत सिंह उम्र 24 साल निवासी ग्राम जौरा तह–पट्टी जिला तरणतारण पंजाब वर्तमान पता – वीर सावरकर नगर एल.आई.जी 251 हीरापुर थाना कबीर नगर रायपुर तथा अन्य 06 सहित कुल 07 आरोपियों** को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से **91 ग्राम अफीम, 87 ग्राम हेराईन चिट्टा जिसका खुदरा मुल्य कीमत लगभग 30,00,000/– रूपये तथा 01 नग कंट्री मेड पिस्टल, 82 नग जिन्दा कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त 04 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 35,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(04.) <u>**हेरोईन/चिट्टा**</u> – थाना आमानाका के अपराध क्रमांक 118/25 धारा 21(बी) नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना आमानाका पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आमानाका क्षेत्रांतर्गत टाटीबंध स्थित काका ढ़ाबा के पास सुलभ शौचालय के पीछे **अंतर्राज्यीय आरोपी 01. धर्मेन्द्र सिंह पिता पूरन सिंह उम्र 44 साल निवासी माखन विण्डी थाना जांडियाला गुरू जिला अमृतसर पंजाब। 02. अमृतपाल सिंह पिता सुरजीत सिंह उम्र 32 साल निवासी धरदेव थाना मेहता चौक जिला अमृतसर पंजाब** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से **12.69 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोईन चिट्टा, 01 नग तौल मशीन तथा बिक्री रकम जुमला कीमती लगभग 1,28,900/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(05.) <u>**हेरोईन/चिट्टा**</u> – थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 165/25 धारा 22(ख) नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी **01. मोहम्मद जाहिद पिता मोहम्मद जाकिर उम्र 33 साल निवासी संजय नगर मदनी चौक गली थाना टिकरापारा रायपुर। 02. साहिल रज़ा पिता अब्दुल हकीम उम्र 25 साल निवासी संजय नगर गौसिया चौक थाना टिकरापारा रायपुर। 03. अफजिया अख्तर उर्फ मेहक उम्र 21 साल निवासी नेहरू नगर चाँदनी चौक सहीद हामिद नगर थाना कोतवाली रायपुर। 04. भूषण शर्मा उर्फ सूरज पिता मनोज शर्मा उम्र 30 साल निवासी भारत माता स्कूल के पीछे टाटीबंध थाना आमानाका रायपुर** को गिरफ्तार कर **आरोपियों के कब्जे से 6.42 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) तथा घटना में प्रयुक्त 03 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 1,20,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(06.) <u>**हेरोईन/चिट्टा**</u> – थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 516/25 धारा 21(बी), 29 नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **आरोपी 01. अर्पित लाल मरकाम पिता दिनेश लाल मरकाम उम्र 31 साल निवासी बूढापारा शीतला भवन मार्ग पी.सी फुट के बगल आशा सदन थाना कोतवाली जिला रायपुर। 02. मनीष राजपाल पिता जयकुमार राजपाल उम्र 24 साल निवासी सेन्ट जोसेफ स्कुल के पास अमलीडीह थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर। 03. नयन भाटिया पिता राकेश भाटिया उम्र 19 साल निवासी कटोरा तालाब गली नं0 02 भाटिया बेकरी थाना सिविल लाईन रायपुर** को गिरफ्तार कर **आरोपियों के कब्जे से 6.30 ग्राम हेरोईन (चिट्टा), एक इलेक्ट्रानिक तराजू, बिक्री रकम तथा घटना में प्रयुक्त 03 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 1,20,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(07.) <u>**हेरोईन/चिट्टा**</u> – थाना टिकरापारा के अपराध क्रमांक 1043/25 धारा 21(बी) नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **आरोपी मनीष रोचलानी पिता सुनील रोचलानी उम्र 26 साल निवासी आई 214 वेलफेयर सोसायटी सेक्टर 04 कमल विहार थाना टिकरापारा रायपुर** को गिरफ्तार कर **कब्जे से 18 ग्राम चिट्टा (हेरोईन) कीमती लगभग 3,60,000/– रूपये जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(08.) <u>**ड्रग्स/एम.डी.एम.ए.**</u> – थाना गंज के अपराध क्रमांक 222/25 धारा 21(सी), 29 नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **आरोपी 01. हर्ष आहूजा पिता अनिल आहूजा उम्र 23 साल निवासी कटोरा तालाब रतन पैलेस के पीछे आर्य समाज स्कूल के पास थाना सिविल लाईन रायपुर तथा अन्य 08 सहित कुल 09 आरोपियों को** गिरफ्तार कर **आरोपियों के कब्जे से ड्रग्स (एम.डी.एम.ए.) कुल 27.58 ग्राम, घटना में प्रयुक्त सोनेट कार क्रमांक सी जी 04 क्यू जे 5466, नगदी रकम 85,300/– रूपये, 01 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट, ड्रग्स सप्लाय का रैपर एवं 07 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 20,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(09.) <u>**एम.डी.एम.ए. ड्रग्स**</u> – थाना न्यू राजेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 286/25 धारा 21बी, 29 नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **आरोपी मुख्य सप्लायर पराग बरछा उर्फ रघु पिता स्व. भावेश बरछा उम्र 23 साल निवासी डागा ज्वेलर्स के सामने वाली गली, कैलाशपुरी थाना पुरानी बस्ती रायपुर एवं अन्य 06 सहित कुल 07 आरोपियों/अपचारी बालिका को** गिरफ्तार कर **कब्जे से 10 ग्राम एम.डी.एम.ए ड्रग्स, 06 नग मोबाईल फोन, नगदी रकम 20,000/– रूपये तथा 01 नग टाटा हैरियर चारपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 28,50,000/– रूपये जप्त** कर कार्यवाही किया गया।

(10.) <u>**एम.डी. ड्रग्स**</u> – थाना टिकरापारा के अपराध क्रमांक 261/2025 धारा 21(ए) नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा भाठागांव स्थित न्यू बस स्टैण्ड परिसर के गार्डन में **आरोपी फहीम खान पिता कलीम खान उम्र 23 साल निवासी अफरोज बाग बाड़ी क्षेत्र मौदहापारा थाना मौदहापारा रायपुर** को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अलग – **अलग पैकेटों में रखें कुल 03.21 ग्राम एम डी ड्रग्स कीमती लगभग 20,000/– रुपये जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में कार्यवाही किया गया।

(11.) <u>**एम.डी. ड्रग्स**</u> – थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 357/25 धारा 21ए नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **आरोपी अब्दुल करीम उर्फ समीर पिता मोह0 रशीद उम्र 26 साल निवासी भाटापारा मंच वाली गली पाटन थाना पाटन जिला दुर्ग** को गिरफ्तार कर **कब्जे से 04 ग्राम 790 मिलीग्राम एम.डी.ड्रग्स एवं 01 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 55,000/– रूपये जप्त** कर कार्यवाही किया गया।

(12.) <u>एम.डी. ड्रग्स</u> – थाना पंडरी के अपराध क्रमांक 363/25 धारा 21(बी) नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना पंडरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **अंतर्राज्यीय आरोपी कैलाश बिश्नोई पिता सूरजाराम बिश्नोई उम्र 30 वर्ष निवासी गेनाडियो की धाणी ग्राम कानासुर थाना बाप जिला जोधपुर (राजस्थान)** को गिरफ्तार कर **कब्जे से 23.82 ग्राम एम.डी.एम.ए. ड्रग्स कीमती 2,40,000/– रूपये, प्रकरण से संबंधित 03 नग मोबाईल फोन, अलग – अलग बैंकों के 05 नग एटीएम कार्ड तथा नगदी रकम 1,900/– रूपये जुमला कीमती लगभग 3,42,000/– रूपये जप्त** कर कार्यवाही किया गया।

(13.) <u>कोकीन</u> – थाना न्यू राजेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 96/25 धारा 21, 22 नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत महावीर नगर पास चारपहिया वाहन में **आरोपी 01. शुभांक पॉल पिता श्री शीतल पॉल उम्र 35 साल निवासी कटोरा तालाब मदर टरेसा स्कूल के पास थाना सिविल लाईन रायपुर। 02. सागर पीटर पिता स्व. शैलेन्द्र कुमार पीटर उम्र 33 साल निवासी श्याम नगर क्रिश्चन कॉलोनी थाना तेलीबांधा रायपुर। 03. सिद्धार्थ पाण्डेय पिता राघवेन्द्र पाण्डेय उम्र 34 साल निवासी शैलेन्द्र नगर कटोरा तालाब कन्या शाला के पास थाना कोतवाली रायपुर** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से 7.48 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ कोकीन, नगदी रकम तथा घटना में प्रयुक्त 03 नग आईफोन एवं 01 नग चारपहिया वाहन सीजी/04/एम व्ही/1022 जुमला कीमती लगभग 9,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(14.) <u>कोकिन</u> – थाना गंज के अपराध क्रमांक 334/25 धारा 22 नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **अंतर्राज्यीय आरोपी 01. हर्ष नरेश पांडेय पिता नरेश पांडेय उम्र 22 वर्ष निवासी सिविल लाईन माता मंदिर के पास गोंदिया थाना सिटी कोतवाली जिला गोंदिया महाराष्ट्र। 02. आवेश सैय्यद पिता मुमताज अली सैय्यद उम्र 27 साल निवासी गोंदिया सिविल लाईन माता मंदिर नूरी चौक थाना सिटी कोतवाली जिला गोंदिया महाराष्ट्र** को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से **प्रतिबंधित मादक पदार्थ कोकिन 16.56 ग्राम कीमती लगभग 8,28,000/– रूपये एवं 02 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 8,50,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(15.) <u>अफीम</u> – थाना देवेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 186/25 धारा 18बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **आरोपी अभिषेक कुमार बंछोर पिता अशोक कुमार बंछोर उम्र 35 साल निवासी ग्राम सेलूद जवाहर चौक थाना उतई जिला दुर्ग। हाल पता – म.नं. 488 सुमित लैण्ड स्कैप बलौदाबाजार रोड डी.पी.एस. स्कूल के पास सेमरिया थाना विधानसभा रायपुर** को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से **616.15 ग्राम अफीम तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन क्रमांक सी जी/04/एम डब्ल्यू/4090 एवं 01 नग एप्पल आईफोन जुमला कीमती लगभग 1,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(16.) <u>अफीम</u> – थाना डी.डी. नगर के अपराध क्रमांक 613/25 धारा 17 नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना डी.डी. नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **आरोपी दिलबाग सिंग पिता स्व. अजीत सिंग उम्र 55 साल निवासी मकान नंबर 83 पार्थिवी प्रोविन्स सरोना थाना डी.डी.नगर रायपुर** को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से **1.075 किलोग्राम अफीम तथा 01 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती 5,50,000/– रूपये जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(17.) <u>प्रतिबंधित नशीली टेबलेट</u>– थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 76/2025 धारा 22 (सी) नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत स्थित ओव्हर ब्रीज के पास **आरोपी सूरज दुर्गा पिता स्व. तपकेश्वर दुर्गा उम्र 31 वर्ष निवासी गुलाब नगर गुढ़ियारी जिला रायपुर** को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें **कुल 1610 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट SPASMO PROXYVON**

PLUS खुदरा मूल्य लगभग 4,50,000/– रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में कार्यवाही किया गया।

(18.) **<u>प्रतिबंधित नशीली टेबलेट</u>** – थाना गंज के अपराध क्रमांक 32/25 धारा 21, 22 नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना गंज क्षेत्रांतर्गत रेलवे स्टेशन के बाजू स्थित एक्सप्रेस–वे रोड़ के पास **आरोपी 01. शहनवाज खान पिता भूरा खान उम्र 19 साल निवासी मौदहा बडा चौराहा सिवीलीपुरस्था थाना मौदहा जिला मौदहा (उ.प्र.)। 02. स्वलिन वैष्णव पिता ओमप्रकाश वैष्णव उम्र 24 साल निवासी सेजबहार एल.आई.जी. 136 हाऊसिंग बोर्ड कालोनी थाना मुजगहन जिला रायपुर। 03. सलाउद्दीन पिता कमरुद्दीन उम्र 22 साल निवासी अमन नगर मोवा थाना पंडरी रायपुर जिला रायपुर** को प्रतिबंधित नशीली सिरप CC-Coff की खरीदी–बिक्री करते गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से अवैध रूप से रखें **240 नग प्रतिबंधित नशीली सिरप** CC-Coff **खुदरा मूल्य लगभग 1,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में कार्यवाही किया गया।

(19.) **<u>प्रतिबंधित नशीली टेबलेट</u>** – थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 133/25 धारा 22(बी) नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत ग्राम खादी उद्योग भंडार अशोक विहार पास स्थित मैदान में **आरोपी 01.सैबी ए बेंजामिन पिता डेविड शाउल बेंजामिन उम्र 45 साल निवासी न्यू शांति नगर शिव मंदिर वार्ड नं 31 शंकर नगर थाना सिविल लाईन रायपुर। 02. अश्वनी पाल पिता हेम कुमार पाल उम्र 40 साल निवासी म. नं 31 बी एस यू पी कालोनी सड्डू हाउसिंग बोर्ड थाना विधानसभा रायपुर। 03. ईरशाद खान पिता शफी मोहम्मद खान उम्र 34 साल निवासी तरुण नगर छ.ग. किराना स्टोर के पास थाना सिविल लाईन रायपुर** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध रूप से रखें **कुल 336 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट स्पास्मो प्राक्सीवान प्लस तथा प्रकरण से संबंधित 03 नग मोबाईल फोन, नगदी रकम 8,500 रूपये तथा ज्यूपीटर वाहन क्रमांक सी जी/04/एम एल/3973 जुमला कीमती लगभग 1,15,000/– रूपये** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(20.) **<u>प्रतिबंधित नशीली टेबलेट</u>** – थाना पुरानी बस्ती के अपराध क्रमांक 184/2025 धारा 21(बी) नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल तथा थाना पुरानी बस्ती पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना पुरानी बस्ती क्षेत्रांतर्गत भाठागांव स्थित आछी तालाब के पास **आरोपी 01. मोहम्मद तबरेज पिता शफीक उम्र 22 साल निवासी पठानपारा खरियार रोड जिला नुआपाडा (ओडीसा) एवं 01 अन्य कुल 02 आरोपियों** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध रूप से रखें **कुल 1060 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट निट्राजपैम जिसका खुदरा मुल्य लगभग 70,000/– रूपये** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना पुरानी बस्ती में कार्यवाही किया गया।

(21.) **<u>प्रतिबंधित नशीली टेबलेट</u>** – थाना सरस्वती नगर के अपराध क्रमांक 165/25 धारा 22(ख) नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना सरस्वती नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना सरस्वती नगर क्षेत्रांतर्गत स्थित ओव्हरब्रीज के पास अंडर ब्रीज के सामने रोड किनारे **आरोपी जे.भास्कर राव पिता जे.सम्पत राव उम्र 30 वर्ष निवासी बंजारी नगर शीतला मंदिर के पास थाना डी.डी. नगर रायपुर** को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें **कुल 112 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट स्पास्मो प्राक्सीवान प्लस, बिक्री रकम 4200/–रूपये तथा घटना में प्रयुक्त होण्डा एवीटर क्रमांक सी जी/04/एम डी/3755 एवं 01 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 80,000/– रूपये जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में कार्यवाही किया गया।

(22.) **<u>प्रतिबंधित नशीली टेबलेट</u>** – थाना पंडरी के अपराध क्रमांक 196/25 धारा 20बी(2), 18बी, 22बी, 25, 29 नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना पंडरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **आरोपी रमेश पेशवानी पिता स्व. जोतूमल पेशवानी उम्र 65 साल निवासी झण्डा चौक पेशवानी सन्स सीमेंट दुकान के पास पंडरी थाना सिविल लाईन रायपुर** को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से **1.172 किलोग्राम गांजा, 100 नग प्रतिबंधित नाईट्रोजेपम टेबलेट, 0.286 ग्राम अफीम तथा प्रकरण**

से संबंधित छोटा हाथी वाहन क्रमांक सी जी 04 एच डब्ल्यू 2591 एवं 01 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 7,50,000/– रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना पंडरी में कार्यवाही किया गया।

(23.) **<u>प्रतिबंधित नशीली टेबलेट</u>** – थाना आमानाका के अपराध क्रमांक 340/25 धारा 21बी, 29 नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना आमानाका पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना आमानाका क्षेत्रांतर्गत एम्स अस्पताल के बाजू जी.ई. रोड टाटीबंध पास **आरोपी 01. युवराज सिंह चौहान पिता नारायण सिंह चौहान उम्र 24 साल निवासी कृष्णा नगर कोटा राशन दुकान के पास थाना सरस्वती नगर रायपुर। 02. वाजिद खान पिता बशीर खान उम्र 29 साल निवासी कृष्णा नगर कोटा शनि मदिर के पीछे थाना सरस्वती नगर रायपुर। 03. निहाल सिंह पिता रघुबीर सिंह उम्र 30 साल निवासी इन्द्रापारा जोन 01 बीएमवाय चरौदा दुर्ग** को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से **40 शीशी प्रतिबंधित नशीली सिरप** Glankof-T **तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग ई–रिक्शा वाहन जुमला कीमती लगभग 1,50,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध थाना आमानाका में कार्यवाही किया गया।

(24.) **<u>अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर</u>** – थाना डी.डी.नगर के अपराध क्रमांक 515/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना डी. डी. नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चारपहिया वाहन कार में **गांजा तस्करी करते अंतर्राज्यीय आरोपी 01. राजू बेरिया पिता गणेश राम बेरिया उम्र 37 साल निवासी बाजार पारा खरियार रोड शिव मंदिर के पास नुवापड़ा ओडिशा। 02. गगन मांझी पिता भानू मांझी उम्र 23 साल निवासी सिरतूल एरिगेशन कालोनी नुवापड़ा ओड़िशा। 03. लक्ष्मी चौहान पति अक्षय चौहान उम्र 30 साल निवासी एयरण्ड थाना चांदुर रेलवे अमरावती महाराष्ट्र** को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से **56 किलोग्राम गांजा तथा घटना में प्रयुक्त कीया कार एवं 03 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 15,00,000/– रूपये** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना डी.डी. नगर में कार्यवाही किया गया।

(25.) **<u>अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर</u>** – थाना गंज के अपराध क्रमांक 179/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **गांजा तस्करी करते अंतर्राज्यीय आरोपी 01. प्रदीप कुमार सनोडिया पिता स्व. भुजाराम सनोडिया उम्र 31 साल निवासी ग्राम रूपहीटाड़ थाना भितहा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार। 02. दिनेश गुप्ता पिता यहारी गुप्ता उम्र 32 वर्ष साकिन ग्राम जिगनई थाना भिता जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार। 03. विनोद गुप्ता पिता सतन गुप्ता उम्र 32 वर्ष साकिन ग्राम रूपही टाड़ थाना भितहा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से **48 किलो 360 ग्राम गांजा तथा घटना में प्रयुक्त 03 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 5,00,000/– रूपये** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में कार्यवाही किया गया।

(26.) **<u>अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर</u>** – थाना गंज के अपराध क्रमांक 80/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना गंज क्षेत्रांतर्गत रेलवे स्टेशन के बाजू में एक्सप्रेस–वे रोड जाने वाली सड़क किनारे गांजा तस्करी करते **अंतर्राज्यीय आरोपी 01. बृजेश निषाद पिता महावीर निषाद उम्र 32 साल निवासी लीलापट्टी थाना कुबेर स्थान जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश। 02. कमलेश निषाद पिता मैनेजर निषाद उम्र 30 साल निवासी लीलापट्टी थाना कुबेर स्थान जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश। 03. श्रीमती चंदादेवी निषाद पति स्व. अनिल निषाद उम्र 32 साल निवासी लीलापट्टी थाना कुबेर स्थान जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से कुल 33 किलो 100 ग्राम गांजा कीमती लगभग 3,31,000/– रूपये तथा घटना में संबंधित 03 नग मोबाईल फोन कीमती लगभग 30,000/– जुमला किमती लगभग 3,61,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(27.) **<u>गांजा तस्कर</u>** – थाना गंज के अपराध क्रमांक 25/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **गांजा तस्करी करते अंतर्राज्यीय आरोपी 01. जुगनू अंसारी पिता नईम अंसारी उम्र 48 वर्ष साकिन चक्का अब्दुल गनी थाना समस्तीपुर जिला समस्तीपुर बिहार। 02. मोहम्मद ईरफान पिता मोहम्मद मक्की उम्र 32 वर्ष साकिन जयसिंग सराय थाना दलसिंग सराय जिला समस्तीपुर बिहार** को

गिरफ्तार कर उनके कब्जे से **30.39 किलोग्राम गांजा कीमती लगभग 5,47,020/— रूपये** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में कार्यवाही किया गया।

(28.) **<u>गांजा</u>** — थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 308/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खरोरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना खरोरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम छड़िया पास गांजा तस्करी करते **आरोपी मोहन सिंग कोशले उर्फ राकेश पिता चैनदास कोशले उम्र 40 साल साकिन छड़िया थाना खरोरा जिला रायपुर** को गिरफ्तार कर उसके **कब्जे से 27 किलो 894 ग्राम गांजा जुमला कीमती लगभग 4,18,410/— रूपये जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(29.) **<u>गांजा</u>** — थाना टिकरापारा के अपराध क्रमांक 900/25 धारा 20(बी), 20(सी), 29 नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **गांजा के साथ आरोपी 01. प्रतीक शर्मा पिता राकेश शर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी संतोषी नगर जी.टी. कॉम्पलेक्स संतोषी मंदिर के पास थाना खमतराई रायपुर। 02. मोहम्मद शमीम पिता अब्दुल अजीज शेख उम्र 43 वर्ष निवासी खेतवाड़ी दूसरी गली हाजी कासम चाल अलंकार सिनेमा के पास थाना वी.पी. रोड़ जिला गिरगांव मुम्बई (महाराष्ट्र)। 03. शेख सारूख उर्फ शाहरूख पिता शेख सत्तार उम्र 30 वर्ष निवासी शेख तबरेज किराना स्टोर के पास मकान नंबर 12/55 रमन मंदिर वार्ड चूना भट्ठी थाना गंज रायपुर। 04. पलक नागवानी उर्फ मिस बच्ची पिता राजेश नागवानी उम्र 19 वर्ष निवासी ईदगाहभाठा मुकूट नगर थाना आजाद चौक रायपुर। 05. उदय जैन पिता नेमीचंद जैन उम्र 36 साल निवासी माता पण्डाल के पास सन्यासीपारा खमतराई रायपुर** को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से **23.014 किलोग्राम गांजा, बुलेट वाहन क्रमांक सी जी 04 पी एस 1654 तथा 03 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 4,40,000/— रूपये** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में कार्यवाही किया गया।

(30.) **<u>अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर</u>** — थाना गंज के अपराध क्रमांक 26/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **गांजा तस्करी करते अंतर्राज्यीय आरोपी 01. मोहम्मद जावेद पिता स्व. मोहम्मद जहीर उम्र 48 वर्ष निवासी खुदाबांस 50 फुटारोड फर्नीचर मार्केट के पास गडीपुस्ता चौकी रामपार्क एक्सटेंशन संतोष गुर्जर का किराये का मकान थाना टोनिकासिटी जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। 02. नूरजहां पति शमीम उम्र 43 वर्ष निवासी पूजा कालोनी मंगलबाजार शमशान घाट के पास थाना टोनिकासिटी जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से **21.610 किलोग्राम गांजा कीमती लगभग 2,15,000/— रूपये** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में कार्यवाही किया गया।

(31.) **<u>गांजा</u>** — थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 98/25 धारा 22(सी) नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **थाना तेलीबांधा के हिस्ट्रीशीटर आरोपी रॉकी उर्फ राकेश बबलानी पिता मनसुख बबलानी उम्र 35 साल निवासी बी.एस.यू.पी. कालोनी सूरज नगर लाभाण्डी थाना तेलीबांधा रायपुर** को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से **20.620 किलोग्राम गांजा कीमती लगभग 2,06,000/— रूपये** जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में कार्यवाही किया गया।

(32.) **<u>अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर</u>** — थाना गंज के अपराध क्रमांक 99/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना गंज क्षेत्रांतर्गत नहर पारा रोड स्थित आत्मानंद स्कूल के बाजू में गांजा तस्करी करते **अंतर्राज्यीय आरोपी 01. आकाश कुशवाहा पिता रूपनारायण कुशवाहा उम्र 26 साल निवासी मेहरावता थाना किशनगंज जिला बारा (राजस्थान)। 02. निलेश मालवीय पिता शिवनारायण मालवीय उम्र 30 साल निवासी नयापुरा खेड़ा नरोला थाना शुजालपुर जिला साजापुर (मध्य—प्रदेश)** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से कुल 20 किलो 270 ग्राम गांजा कीमती लगभग 2,02,000/— रूपये** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(33.) <u>अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर</u> – थाना गंज के अपराध क्रमांक 112/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना गंज क्षेत्रांतर्गत फाफाडीह चौक पास गांजा तस्करी करते **अंतर्राज्यीय आरोपी 01. लक्ष्मण भतरा पिता कमलू भतरा उम्र 26 साल निवासी ग्राम डोंगरी पोस्ट कोटपाड थाना कोटपाड़ जिला कोरापुट उड़ीसा एवं 02. पगनू समरथपिता कार्तिक समरथ उम्र 21 साल निवासी ग्राम डोंगरी पोस्ट कोटपाड थाना कोटपाड़ जिला कोरापुट उड़ीसा** को गिरफ्तार कर उसके **कब्जे से कुल 18 किलो 210 ग्राम गांजा कीमती लगभग 1,75,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(34) <u>अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर</u> – थाना गंज के अपराध क्रमांक 100/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना गंज क्षेत्रांतर्गत रेलवे स्टेशन के बाजू एक्सप्रेस–वे रोड पास गांजा तस्करी करते अंतर्राज्यीय **आरोपी (1) मोह. जावेद शेख पिता मोह. कलाम शेख उम्र 30 साल निवासी ग्राम कलूंगा बेलडीह पोस्ट लाठीकांटा थाना वेदव्यास जिला सुंदरगढ़ उड़ीसा। (2) शबनम आरा शेख पति मोह. जावेद शेख उम्र 35 साल निवासी ग्राम कलूंगा बेलडीह पोस्ट लाठीकांटा थाना वेदव्यास जिला सुंदरगढ़ उड़ीसा** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से 18 किलो 380 ग्राम गांजा जुमला कीमती लगभग 2,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(35.) <u>गांजा</u> – थाना तिल्दा नेवरा के अपराध क्रमांक 360/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना तिल्दा नेवरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा तिल्दा नेवरा क्षेत्रांतर्गत वार्ड नं. 05 स्थित रोड के पास दोपहिया वाहन में गांजा बिक्री करने की फिराक में ग्राहक तलाशते **आरोपी विजय कुमार रोहरा पिता बोदामल रोहरा उम्र 43 साल निवासी वार्ड नं0 05 सिंधी कैम्प तिल्दा थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर** को गिरफ्तार कर उसके **कब्जे से 15 किलो 716 ग्राम गांजा तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन क्रमांक सीजी/04/के टी/2771 जुमला कीमती लगभग 2,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(36.) <u>गांजा</u> – थाना अभनपुर के अपराध क्रमांक 453/2025 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना अभनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **गांजा तस्करी करते आरोपी 01 भूषण चंदेल पिता परदेशी राम चंदेल उम्र 28 वर्ष निवासी दुर्गा मंदिर के पास आर्या नगर कोहका थाना सुपेला जिला दुर्ग। 02. पवन मनहरे पिता स्व0 रामखिलावन मनहरे उम्र 39 वर्ष निवासी कृष्णा नगर गणेश चौक दुर्गा मंदिर के पास थाना सुपेला जिला दुर्ग। 03. जितेन्द्र दशरिया पिता भोजराज दशरिया उम्र 20 वर्ष निवासी ईदगाह चौक जुनवानी रोड चौकी स्मृति नगर थाना सुपेला जिला दुर्ग** को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से **15 किलो 750 ग्राम गांजा तथा गांजा तस्करी में प्रयुक्त स्वीफ्ट डिजायर कार क्रमांक सी जी 27 के 5068 एवं 03 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 13,25,000 रूपये** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना अभनपुर में कार्यवाही किया गया।

(37.) <u>अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर</u> – थाना गंज के अपराध क्रमांक 242/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **गांजा तस्करी करते अंतर्राज्यीय आरोपी 01. जितेन्द्र कश्यप पिता ओमपाल कश्यप उम्र 27 साल निवासी ग्राम सादलपुर राजगढ़ थाना सादलपुर राजगढ़ जिला चुरू (राजस्थान)। 02. अस्मिता विजय ठाकुर पति स्व0 विजय ठाकुर उम्र 35 वर्ष निवासी चौरा विस्तार ठाकुर वास चौक कोलौवडा सेक्टर 28 थाना पेथापुर जिला गांधीनगर (गुजरात)। 03. अम्बिका विजय परमार पति विजय परमार उम्र 45 वर्ष निवासी मोड़ासा थाना टिनटोई जिला अरोली अहमदाबाद (गुजरात)। 04. विधि के साथ संघर्षरत 02** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से **15 किलो 100 ग्राम गांजा जुमला कीमती लगभग 1,50,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में कार्यवाही किया गया।

(38.) <u>गांजा</u> – थाना देवेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 250/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **गांजा तस्करी करते आरोपी 01. अजय गड़पायले पिता देवानंद गडपायले उम्र 39 साल**

पता–यषोधरा नगर आटोमेटिक चौक के पास ओम सांई तेल भण्डार थाना यशोधरा जिला नागपुर (महाराष्ट्र)। 02. दुर्जन निषाद पिता सुरेश निषाद उम्र 31 साल पता– सुपेला भिलाई गदा चौक बल्लु यादव का मकान इंदिरा नगर थाना सुपेला जिला दुर्ग को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से **14 किलो 357 ग्राम गांजा कीमती लगभग 7,17,850/– रूपये** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में कार्यवाही किया गया।

(39.) अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर – थाना गंज के अपराध क्रमांक 136/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना गंज क्षेत्रांतर्गत माल धक्का रोड पास गांजा तस्करी करते अंतर्राज्यीय **आरोपी दिनेश ए एल पिता लक्ष्मण उम्र 42 वर्ष निवासी अधिपल्लाथी हाउस पोरून्नाकुन्नू अलूर थाना अलूर जिला थ्रिसूर केरल** को गिरफ्तार कर उसके **कब्जे से 11.400 किलोग्राम गांजा जुमला कीमती लगभग 1,14,000/– रूपये जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(40.) अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर – थाना पंडरी के अपराध क्रमांक 03/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना पंडरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना पंडरी क्षेत्रांतर्गत दुबे कालोनी मोवा स्थित बंगाली गली में गांजा तस्करी करते **अंतर्राज्यीय आरोपी मोहन नायक पिता हीरालाल नायक उम्र 33 साल निवासी ग्राम डुडकी दादर गोडपारा थाना झारबंद जिला बरगढ़ ओडिसा। हाल पता – दुबे कालोनी सांई मंदिर के पास मोवा थाना पंडरी रायपुर को** गिरफ्तार कर उसके **कब्जे से 10.900 किलोग्राम गांजा तथा गांजा तस्करी में प्रयुक्त ईको वाहन क्रमांक सी जी/04/एम आर/6933 जुमला कीमती लगभग 5,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध थाना पंडरी में कार्यवाही किया गया।

(41.) अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर – थाना गंज के अपराध क्रमांक 24/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **गांजा तस्करी करते अंतर्राज्यीय आरोपी अंकित जाटव पिता सुभाष जाटव उम्र 27 साल निवासी पुटखास अड्डे के पास थाना कोतवाली जिला मेरठ (उ.प्र.)** को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से **10.230 किलोग्राम गांजा कीमती लगभग 2,04,600/– रूपये** जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना गंज में कार्यवाही किया गया।

(42.) अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर – थाना न्यू राजेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 22/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **गांजा तस्करी करते अंतर्राज्यीय आरोपी 01. सुशांत बेहरा पिता विक्का बेहरा उम्र 26 साल निवासी ग्राम चुमड़ीघाई पोस्ट पुरूषोत्तमपुर थाना पुरूषोत्तमपुर जिला गंजाम उडीसा। 02. अभय सिंह बघेल पिता धरमपाल सिंह बघेल उम्र 19 साल निवासी ग्राम रिमारी पोस्ट हाजा थाना पनवार जिला रींवा (म.प्र.)। 03. स्वास्तिक पाठक पिता रामेन्द्र पाठक उम्र 20 साल निवासी ग्राम रामबाग पोस्ट पटियारी थाना पनवार जिला रींवा (म.प्र.)** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से **10.105 किलोग्राम गांजा कीमती लगभग 1,05,000/– रूपये** जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में कार्यवाही किया गया।

आर्म्स एक्ट के प्रकरण

(01.) आर्म्स एक्ट (देशी कट्टा) – थाना गोलबाजार के अपराध क्रमांक 28/2025 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में अज्ञात आरोपी द्वारा गोलबाजार क्षेत्रांतर्गत मटका लाईन में कट्टा से हवाई फायरिंग किया गया था। मुखबीर की सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना गोलाबाजार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी 01. तैफुद्दीन उर्फ टप्पू पिता हमीदउद्दीन उर्फ छिटू उम्र 23 साल निवासी अफरोज बाड़ी थाना मौदहापारा रायपुर। 02. मोह. कलीम पिता स्व. मोह. सलीम उम्र 22 साल निवासी कबाड़ी चौक वीडियो वर्ल्ड के पास मौदाहपारा रायपुर** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध रूप से रखें 01 नग कट्टा जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध थाना गोलबाजार में कार्यवाही किया गया।

(02.) <u>आर्म्स एक्ट (देशी कट्टा व जिंदा कारतूस)</u> – थाना धरसींवा के अपराध क्रमांक 333/25 धारा 25 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना धरसींवा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **आरोपी मुकेश नायक पिता स्व0 चंद्र मोहन नायक उम्र 24 साल निवासी शंकर नगर सिमगा थाना सिमगा जिला बलौदा बाजार** को गिरफ्तार कर उसके **कब्जे से अवैध रूप से रखें 01 नग देशी कट्टा व 01 नग जिन्दा कारतूस जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(03.) <u>हत्या का प्रयास (देशी कट्टा एवं जिंदा कारतूस)</u> – थाना आमानाका के अपराध क्रमांक 310/25 धारा 109, 3(5) बी.एन.एस., 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने प्रार्थी प्रकाश साहू के पुत्र अजय साहू उर्फ जागेश्वर साहू की हत्या करने की नियत से किसी हथियार से उसके सिर में मारकर प्राण घातक हमला कर चोट पहुंचाये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना कबीर नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी 01. सोहेल राणा पिता उमेद राणा उम्र 18 साल निवासी गुरुद्वारा के पीछे शिव मंदिर के पास हीरापुर ढांचा थाना कबीरनगर रायपुर। 02.दिलशाद अंसारी पिता शाहजहां अंसारी उम्र 21 साल निवासी वर्तमान पता मंगला ट्रक बॉडी धनेली रोड के आगे धनेली थाना विधानसभा रायपुर** को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त **लोहे का पाईप, 01 नग देशी कट्टा, 02 नग जिंदा कारतूस एवं मोटर सायकल जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(04.) <u>आर्म्स एक्ट (रिवाल्वर, देशी कट्टा व जिंदा कारतूस)</u> – थाना मुजगहन के अपराध क्रमांक 221/25 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना मुजगहन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **थाना सिविल लाईन एवं मुजगहन के हिस्ट्रीशीटर आरोपी बादल बेहरा पिता स्व. अशोक बेहरा उम्र 29 साल निवासी हाऊसिंग बोर्ड कालोनी ब्लॉक नंबर 49 बोरियाकला थाना मुजगहन जिला रायपुर** को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से **अवैध रूप से रखें 01 नग रिवाल्वर, 01 नग देशी कट्टा व 01 नग जिन्दा कारतूस जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(05.) <u>आर्म्स एक्ट (रिवाल्वर एवं जिंदा कारतूस)</u> – थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 501/25 धारा 25 आर्म्स एक्ट एवं 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **आरोपी 01. अमानत अली पिता अफसर अली उम्र 20 साल निवासी शिव मंदिर के पास पंडरी थाना सिविल लाईन रायपुर। 02. सिमोन पांडे पिता सुनील पांडे उम्र 21 साल निवासी काली नगर ताज नगर थाना सिविल लाईन रायपुर** को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से **अवैध रूप से रखें 01 नग रिवाल्वर तथा 02 नग जिन्दा कारतूस जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(06.) <u>आर्म्स एक्ट (पिस्टल एवं जिंदा कारतूस)</u> – थाना टिकरापारा के अपराध क्रमांक 1049/25 धारा 25 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **आरोपी तौकीर अहमद उर्फ बबलू बाटली पिता स्व. हाफीज अहमद उम्र 35 साल निवासी बजरंग मंदिर रोड गोपाल स्टोर के पास राजातालाब थाना सिविल लाईन रायपुर। हाल पता – गिट्टी खदान आयोध्या नगर थाना टिकरापारा रायपुर** को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से **अवैध रूप से रखें 01 नग पिस्टल, 02 नग जिंदा कारतूस एवं 02 नग खाली मैग्जीन जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(07.) <u>हत्या का प्रयास (12 बोर बंदूक से फायर)</u> – थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 135/25 धारा 109, 3(5) बी.एन.एस. 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में प्रार्थी प्रभजोत सिंह एवं आरोपी जसपाल सिंह के मध्य ''गर्लफ्रैण्ड'' को लेकर हुये विवाद के कारण दिनांक 06.03.25 को तेलीबांधा स्थित कार सॉल्यूशन पास आरोपी जसपाल सिंह उसके पिता जरनैल सिंह उर्फ लल्ली, चाचा हरप्रीत सिंह एवं अन्य के द्वारा अपने पास रखें 12 बोर बंदूक से प्रार्थी प्रभजोत सिंह की हत्या करने की नियत से उसके ऊपर फायर कर फरार हो गये। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुये घटना के चंद के घंटो के भीतर प्रकरण में आरोपी **01. जरनैल सिंह पिता कशमीरा सिंह रंधावा उम्र 57 साल निवासी गोविन्द नगर थाना सिविल लाईन रायपुर। 02. अभिजोत सिंह रखराज पिता तजिन्दर सिंह उम्र 27**

साल निवासी गोविन्द नगर थाना सिविल लाईन रायपुर। 03. जसपाल सिंह रंधावा पिता जरनैल सिंह रंधावा उम्र 27 साल निवासी गोविन्द नगर थाना सिविल लाईन रायपुर। 04. हरप्रीत सिंह पिता कशमीरा सिंह रंधावा उम्र 47 साल निवासी गोविन्द नगर थाना सिविल लाईन रायपुर। 05. इन्दरपाल सिंह पिता हरप्रीत सिंह उम्र 27 साल निवासी गोविन्द नगर थाना सिविल लाईन रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त **प्रयुक्त 01 नग पिस्टल, 01 नग 12 बोर बन्दुक, 01 नग स्नाईपर, 02 नग चाकू एवं 02 नग चारपहिया वाहन सफारी एवं थार जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

अन्य प्रकरण

(01.) सोने एवं चांदी के जेवरातों की सफाई करने का झांसा देकर ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय कटिहार बिहार गिरोह – थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 94/2025 धारा 318(4), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने प्रार्थिया पी. सरोजनी निवासी संतोषी नगर खमतराई के पहने सोने एवं चांदी के जेवरात को पावडर से साफ कर चमकाने का झांसा देकर जेवरात उतरवाकर प्रार्थिया को एक झिल्ली में उसके जेवरात होना बताकर प्लास्टिक की चूड़ी देकर प्रार्थिया के सोने एवं चांदी के जेवरात को लेकर ठगी कर फरार हो गये थे। उक्त अज्ञात आरोपियों द्वारा इसी तरीका वारदात के आधार पर जिला दुर्ग के थाना सुपेला क्षेत्र में भी ठगी की एक घटना को अंजाम देते हुये प्रार्थिया के सोने एवं चांदी के जेवरात को लेकर फरार हो गये थे, जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 160/25 धारा 318(4) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी 01. अमरदीप शाह पिता दिनेश शाह उम्र 34 साल निवासी समेली थाना कुरशेला जिला कटिहार बिहार। 02.मुकेश भगत पिता रामोत्तर भगत उम्र 44 साल निवासी पंचगाछिया अभियाबाजार थाना गोपालपुर जिला भागलपुर बिहार। 03. शिकेन्द्र शाह पिता किशनलाल शाह उम्र 46 साल निवासी समोली थाना कुरशेला अयोध्या गंज बाजार जिला कटिहार बिहार। 04. विपिन कुमार पिता धनिक शाह उम्र 31 साल निवासी थाना रूपौली जिला पूर्णिया बिहार। 05. शम्भू शाह पिता स्व. मुकेश शाह उम्र 43 साल निवासी समोली कुरशेला जिला कटिहार बिहार। 06. अमित कुमार पिता राजकुमार उम्र 32 साल निवासी समोली अयोध्या गंज बाजार कुरशेला जिला कटिहार बिहार** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से **ठगी की सम्पूर्ण मशरूका सोने चांदी के जेवरात मंगल सूत्र, सोने का चैन, सोने के कंगन, सोने की अंगूठी तथा घटना में प्रयुक्त 03 नग दोपहिया वाहन, मोबाईल फोन एवं सफेद पावडर जुमला कीमती लगभग 25,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(02.) ठगी – थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 517/25 धारा 318(4), 336(3), 338 बी.एन.एस. के प्रकरण में आरोपी वाहन चालक द्वारा प्रार्थी के मेटल पार्क रावांभाठा फेनम एक्टेनशिजन प्रा0लि0 फैक्ट्री से एल्यूमिनियम सेक्शन वजन 7464 किलोग्राम कीमती 23,51,639/– रूपये आईसर वाहन क्रमांक यू पी 81 ई टी 5975 में लोड कर ले गया किन्तु उसे बताये हुए स्थान पर न पहुंचा कर मशरूका के साथ फरार हो गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में आरोपी वाहन चालक की पतासाजी करते हुए आरोपी **सचिन शर्मा पिता सुभाष शर्मा उम्र 32 साल निवासी भगवती कॉलोनी दलियानपुर ओपीएस स्कुल के पास थाना सेक्टर 32–33 जिला करनाल हरियाणा। हाल पता – जबलपुर मध्यप्रदेश। को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से ठगी की** एल्यूमिनियम सेक्शन वजन 7464 किलोग्राम कीमती 23,51,639 रूपये तथा घटना में प्रयुक्त वाहन जुमला कीमती लगभग 70,00,000/– रूपये को जप्तकर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(03.) दूसरे के नाम पर मोबाईल फोन फायनेंस कराकर लोन दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी – थाना गोलबाजार के अपराध क्रमांक 114/25 धारा 318(4) बी.एन.एस. के प्रकरण में आरोपी सिमरन जीत सिंह अजमानी उर्फ लवली द्वारा प्रार्थिया महेश्वरी फुटान सहित अन्य पीड़ितो को अपने झांसे में लेकर प्रार्थिया/पीड़ितों के दस्तावेजों से उनके नाम पर मोबाईल फोन फायनेंस कराकर मोबाईल फोन को अपने पास रख कर फायनेंस कराये मोबाईल फोन का किश्त प्रार्थिया/पीड़ितों से जमा करवाता था और ना ही आरोपी द्वारा प्रार्थिया/पीड़ितों को किसी प्रकार का लोन दिलवाया जाता था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा

थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **आरोपी सिमरन जीत सिंह अजमानी उर्फ लवली पिता स्व. गुरु चरण सिंह अजमानी उम्र 31 साल निवासी महावीर नगर बसंत विहार कॉलोनी न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर** को गिरफ्तार कर **उसके कब्जे से ठगी की कुल 16 नग आईफोन कीमती लगभग 15,00,000/– रूपये** जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(04.) <u>डिजीटल अरेस्ट कर डरा धमका कर करोड़ो रूपये की ठगी</u> – थाना विधानसभा के अपराध क्रमांक 345/25 धारा 318(4), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा आमासिवनी विधानसभा रायपुर निवासी प्रार्थिया सोनिया हंसपाल के मोबाईल फोन में फोन कर स्वयं को दिल्ली साइबर विंग एवं दिल्ली पुलिस का होना बताकर उसके आधार कार्ड से कई बैंक खाता होने तथा इन बैंक खातों में मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्ट होने की झूठी बात बताकर डराते धमकाते हुये व्हाट्सएप वीडियो कॉल में जुड़े रहने बोलकर डिजीटल अरेस्ट कर दिनांक 21/05/25 से 10/07/25 के मध्य प्रार्थिया से कुल 2.83 करोड़ रुपए लेकर ठगी किये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट, रेंज सायबर थाना तथा थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में उत्तर–प्रदेश के अंतर्राज्यीय **आरोपी 01. आकाश साहू पिता रामेश्वर साहू उम्र 24 वर्ष निवासी उंचेर जनपद जिला गोरखपुर उत्तर–प्रदेश। 02. शेर बहादुर सिंह उर्फ मोनू पिता रामेश्वर उम्र 29 वर्ष निवासी उंचेर जनपद जिला गोरखपुर उत्तर–प्रदेश। 03. अनूप मिश्रा पिता राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा उम्र 48 वर्ष निवासी कैलाशपुरी, छोटा बरहा, आलमबाग जिला लखनऊ उत्तर–प्रदेश। 04. नवीन मिश्रा पिता धर्मप्रकाश उम्र 41 वर्ष, निवासी पटेल नगर, नीलमत्था, थाना शुशांतगोल्फ सिटी, जिला लखनऊ उत्तर–प्रदेश। 05. आनंद कुमार सिंह पिता बलिराम उम्र 35 वर्ष निवासी पचरुखा रुद्रपुर देवरिया उत्तर–प्रदेश** को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा ठगी की उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार करने के साथ ही देश भर में विभिन्न तरीका वारदात के आधार पर करोड़ो रूपये की ठगी करना भी बताया गया। आरोपियों के कब्जे से **प्रकरण से संबंधित बैंक खाता, चेक बुक, सिम एवं मोबाईल फोन जप्त कर कार्यवाही करने के साथ ही आरोपियों के बैंक खातों में ठगी की रकम 43 लाख रूपये को होल्ड कराकर** आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(05.) <u>नकली सोना देकर लाखों रूपये कीमत का असली सोना प्राप्त कर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय आरोपी (मां–पुत्र)</u> – थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 188/25 धारा 318(4), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में दिनांक 09.09.25 को आरोपी अज्ञात महिला द्वारा कोतवाली क्षेत्रांतर्गत सदर बाजार स्थित प्रार्थी शालीभद्र धाड़ीवाल के धाडीवाल ज्वेलर्स दुकान में जाकर आरोपी महिला अपने पास रखें सोने के नकली ब्रेसलेट को प्रार्थी को देकर सोने का नया चैन प्राप्त कर ठगी कर मौका पाकर दुकान से भाग गयी थी। इसी प्रकार दिनांक 09.09.25 को ही आरोपी महिला द्वारा जिला बिलासपुर के सदर बाजार स्थित अजय ज्वेलर्स दुकान में भी सोने का नकली ब्रेसलेट देकर सोने का असली ब्रेसलेट प्राप्त कर ठगी किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में **महिला आरोपी सविता सिंग उर्फ सपना उर्फ सप्पो पिता मान सिंग उम्र 43 साल निवासी मकान नंबर 2305 रेलवे रोड मेहता होटल वाली गली थाना अतरपुरा हापुड़ जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) तथा ठगी की उक्त दोनों घटनाओं में संलिप्त इसके पुत्र इशांत उर्फ अनुज वर्मा पिता सुनील कुमार वर्मा सिंग उम्र 23 साल निवासी मकान नंबर 2305 रेलवे रोड मेहता होटल वाली गली थाना अतरपुरा हापुड़ जिला गाजियाबाद (उ.प्र.)** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से **ठगी की 01 नग सोने का ब्रेसलेट, 01 नग सोने का चैन, नगदी रकम 82,170/– रूपये तथा घटना में प्रयुक्त वेगनआर कार क्रमांक यू पी 37 ए ए 1328 जुमला कीमती लगभग 8,50,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(06.) <u>ऑनलाईन सट्टे में म्यूल बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले ठग</u> – थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 231/25 धारा 318(4), 111 बी.एन.एस. के प्रकरण में प्रार्थी के भाई को अब्दुल्ला मेमन नामक व्यक्ति द्वारा लालच देकर बैंक खाता खुलवालकर तथा मोबाईल सिम प्रार्थी के भाई के नाम से प्राप्त कर अपने पास रख लिया गया था। इसी दौरान प्रार्थी के भाई द्वारा बैंक में जाकर खाते के संबंध में पतासाजी किया गया तो उसे जानकारी प्राप्त हुई की खाते में बहुत अधिक लेन–देन हुआ है जो उसके द्वारा नही किया गया था तब प्रार्थी के भाई द्वारा जानकारी हुई की अब्दुल्ला मेमन द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी कर उसके नाम से खोले गये बैंक खाता एवं मोबाईल सिम का

दुरूपयोग किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही थी इसी दौरान टीम के सदस्यों को प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में आरोपी **01 अब्दुल्ला मेमन पिता अब्दुल हमीद उम्र 21 साल निवासी मोतीनगर मस्जिद के पीछे थाना टिकरापारा रायपुर। 02. फैय्याज अहमद पिता अब्दुल मजीद उम्र 39 साल निवासी चौरसिया कालोनी मस्जिद के पास थाना टिकरापारा रायपुर। 03. सुमित खटवानी पिता जयपाल खटवानी उम्र 34 साल निवासी कर्षन हेरीटेज सी–02/607 मोवा थाना पण्डरी रायपुर। 04. संजय जोतवानी पिता रमेश लाल जोतवानी उम्र 30 साल निवासी दिव्या कालोनी मकान नंबर 38 अमलीडीह थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर। 05. अविनाश वाधवा पिता राजकुमार वाधवा उम्र 34 साल निवासी वार्ड नंबर 13 तिल्दा नेवरा थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से घटना से संबंधित नगदी रकम 4,05,000/– रूपये तथा 07 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 6,30,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(07.) **<u>फर्जी पुलिस बनकर फर्जी आई डी कार्ड के माध्यम से वसूली</u>** – थाना पुरानी बस्ती के अपराध क्रमांक 366/2025 धारा 204, 319(2), 336(3), 339, 340(2) बी.एन.एस. के प्रकरण में आरोपी आशीष घोष उर्फ आशीष शर्मा द्वारा एण्टी करप्शन ब्यूरो/ई.ओ.डब्ल्यू. छत्तीसगढ़ का फर्जी आई.डी. कार्ड बनवाकर आई.डी. कार्ड में अपना नाम उमेश कुमार कुर्रे लिखवाकर अपना फोटो लगवाया गया था तथा आरोपी स्वयं को पुलिस अधिकारी होना बताकर इसी फर्जी आई.डी. कार्ड के माध्यम से लोगों से पैसे वसूलता था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना पुरानी बस्ती पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **आरोपी आशीष घोष उर्फ आशीष शर्मा पिता प्रसून्न कुमार घोष उम्र 31 साल निवासी हनुमान वाटिका भाठागांव थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर** को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से **एक नग एण्टी करप्शन ब्यूरो/ई.ओ.डब्ल्यू. छत्तीसगढ़ का फर्जी आई.डी. कार्ड, क्रेटा कार क्रमांक सी जी 04 एम एम 0024, दो नग मोबाइल फोन, सोने का ब्रेसलेट एवं अंगूठी तथा नगदी रकम 1,99,000 रुपए जुमला कीमती लगभग 20,00,000, रुपए जप्त** कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(08.) **<u>फरार आरोपी वीरेन्द्र सिंह तोमर उर्फ रूबी गिरफ्त में</u>** – थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 332/2025 धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) बी.एन.एस., थाना पुरानी बस्ती के अपराध क्रमांक 229/25 धारा 25 आर्म्स एक्ट तथा अपराध क्रमांक 230/25 धारा 308(2), 111(1) बी.एन.एस., धारा 04 छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण में आरोपी वीरेन्द्र सिंह तोमर उर्फ रूबी दिनांक घटना से लगातार फरार चल रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा फरार आरोपी की पतासाजी करते हुये **लगभग 06 माह से फरार आरोपी वीरेन्द्र सिंह तोमर उर्फ रूबी पिता स्व. ओमप्रकाश तोमर निवासी सांई विला भाठागांव थाना पुरानी बस्ती रायपुर को ग्वालियर (मध्य–प्रदेश) से** गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(09.) **<u>गौकशी प्रकरण</u>** – थाना आजाद चौक के अपराध क्रमांक 13/25 धारा 299, 325 बी.एन.एस. तथा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, 6, 10 के प्रकरण में आरोपियों द्वारा थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत मोमिनपारा के एक मकान में गौमांस बिक्री किया जा रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना आजाद चौक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में **आरोपी 01. समीर मण्डल पिता साईफल मण्डल उम्र 36 साल निवासी नंदग्राम मधबापुर ग्राम जे एल नंबर 152 थाना कोतुलपुर जिला बांकुरा कलकत्ता पश्चिम बंगाल। हाल पता – दरगाह वाली गली मौदहापारा रायपुर। 02. खुर्शीद अली पिता गुलाम अली उम्र 80 साल निवासी मोमिनपारा दुलदुल गली के पास थाना आजाद चौक रायपुर। 03. मोह. मुन्तजीर हैदर उर्फ हैदर पिता खुर्शीद अली उम्र 30 साल निवासी डॉ. भागवत क्लिनिक के सामने मोमिन पारा थाना आजाद चौक रायपुर। 04. अशफाक अली पिता खुर्शीद अली उम्र 47 साल निवासी मोमिनपारा जे के किराया भण्डार के सामने थाना आजाद चौक रायपुर। 05. अरमान हैदर पिता खुर्शीद अली उम्र 28 साल निवासी मोमिनपारा दुलदुल गली हाण्डीपारा थाना आजाद चौक रायपुर। 06. मोह. ईरशाद कुरैशी पिता मोह0 रज्जाक कुरैशी उम्र 28 साल निवासी बिलाल नगर बोरियाखुर्द थाना टिकरापारा रायपुर। 07. बिलकिस बानो पति खुर्शीद अली उम्र 70 साल निवासी मोमिनपारा थाना आजाद चौक रायपुर। 08. एरम जेहरा पिता असगर अली उम्र 30 साल निवासी मोमिनपारा थाना आजाद चौक रायपुर। 09. शाहिद खान पिता स्व. मेहमूद खान उम्र 42 साल निवासी ब्लॉक एन, रूम नंबर 101 आर.डी.ए. कालोनी थाना टिकरापारा जिला रायपुर सहित अन्य को गिरफ्तार कर**

उनके कब्जे से **गौमांस, नायलोन रस्सी, लकडी का गुटका, तराजू, किलो बाट, मांस काटने का 04 बड़ा हथियार/चाकू तथा बिक्री रकम नगदी 2,550 रूपये** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(10.) **अवैधानिक रूप से बांग्लादेश से भारत आकर रायपुर में निवासरत बांग्लादेशी दंपत्ति** – एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट रायपुर की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि बांग्लादेश निवासी कुछ व्यक्ति अपना पहचान छुपाते हुए भारत आकर रायपुर के टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत स्थित धरम नगर में अवैधानिक रूप से निवास कर रहे है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी करते हुये मोह. दिलावर एवं उसकी पत्नि परवीन बेगम निवासी जिला मुंशीगंज बांग्लादेश जो अवैधानिक रूप से बांग्लादेश से भारत आकर अपना पहचान छुपाते हुए रायपुर के टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत स्थित धरम नगर में अवैधानिक रूप से निवास कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर भारत गणराज्य का पासपोर्ट प्राप्त किये थे, कि **आरोपी 01. मोह. दिलावर पिता स्व. मोहम्मद सलीम उम्र 49 साल निवासी ग्राम मुख्तारपुर थाना मुंशीगंज जिला मुंशीगंज (बांग्लादेश)। हाल पता धरम नगर पचपेडी नाका थाना टिकरापारा रायपुर। 02. परवीन बेगम पति मोह. दिलावर उम्र 44 साल निवासी ग्राम मुख्तारपुर थाना मुंशीगंज जिला मुंशीगंज (बांग्लादेश)। हाल पता धरम नगर पचपेडी नाका थाना टिकरापारा रायपुर को** गिरफ्तार कर आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा रायपुर में अपराध क्रमांक 437/25 धारा 112, 318(4), 319(2), 336(3), 3(5) बी.एन.एस. तथा भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 (बी), पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 की धारा 3, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14 पंजीबद्ध कर उनके **कब्जे से प्रकरण से संबंधित मोबाईल फ़ोन, फ़र्ज़ी पासपोर्ट, मार्कशीट, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज जप्त** कर आरोपियों के विरुद्ध थाना टिकरापारा में कार्यवाही किया गया।

(11.) **आबकारी एक्ट (अवैध रूप से शराब परिवहन)** – थाना गोबरानवापारा के अपराध क्रमांक 196/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना गोबरानवापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना गोबरानवापारा क्षेत्रांतर्गत ग्राम कुर्रा के सोनेसिल्ली रोड स्थित राईस मिल के पास चारपहिया वाहन में अवैध रूप से शराब परिवहन करते **आरोपी 01. मनोज टंडन पिता स्व. आलम सिंह टंडन उम्र 28 साल निवासी सत्यम चौंक वार्ड क्र. 04 थाना अभनपुर थाना अभनपुर जिला रायपुर। 02. लिखेन्द्र सोनवानी पिता स्व. भुनेश्वर सोनवानी उम्र 24 साल निवासी मौलीमाता चौक वार्ड क्र. 05 अभनपुर थाना अभनपुर जिला रायपुर** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से अवैध रूप से रखें 144 पौवा देशी शराब तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त मारूति वेगन आर कार क्र. सी जी 04 बी 5279 जुमला कीमती लगभग 2,50,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(12.) **आबकारी एक्ट (मध्य–प्रदेश राज्य निर्मित शराब परिवहन)** – थाना आमानाका के अपराध क्रमांक 219/25 धारा 34(2), 36 आबकारी एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना आमानाका पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना आमानाका क्षेत्रांतर्गत चंदनडीह स्थित ओव्हरब्रीज के ऊपर चारपहिया वाहनों में अवैध रूप से शराब परिवहन करते **आरोपी भावेश पाण्डेय उर्फ लाला पिता विद्या निधान पांडे उम्र 36 साल निवासी शिव मंदिर के पास निरंकारी फर्नीचर के पीछे थाना पण्डरी रायपुर तथा अन्य 05 सहित कुल 06 आरोपियों को** गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से अवैध रूप से रखें मध्य–प्रदेश राज्य निर्मित 20 पेटी (240) बोतल अंग्रेजी शराब तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त क्रेटा कार क्रमांक सी जी/04/एन एल/6526 तथा स्वीफ्ट डिजायर कार क्रमांक सी जी/04/पी टी/7788 एवं 05 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 17,00,000/– रूपये** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(13.) **ऑनलाईन क्रिकेट सट्टा** – दिनांक 04.03.2025 को मुखबीर की सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना डी.डी.नगर क्षेत्रांतर्गत रोहिणीपुरम स्थित तालाब पास चार पहिया वाहन में बैठकर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के चैम्पियन्स ट्रॉफी मैच के दौरान मोबाईल फोन में classicexch.99.com नामक वेबसाईड में आई.डी. लेकर ऑन लाईन सट्टा संचालित करते आरोपी **सौरभ जैन पिता सुभाष जैन उम्र 36 साल साकिन सेक्टर 01 हनुमान मंदिर गली गोल चौक के पास थाना डी.डी.नगर रायपुर तथा विकास कुमार अग्रवाल पिता पवन कुमार अग्रवाल उम्र 42 साल साकिन गुढियारी, उमा डेयरी के पास मकान नंबर 590 लक्ष्मी निवास थाना गुढियारी जिला रायपुर** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से

01 नग आईफोन, 01 नग वीवो कम्पनी का मोबाईल फोन, जेगुवार कार क्रमांक सी.जी./04/एम/0008 तथा नगदी रकम 2,00,000 रूपये जुमला कीमती लगभग 32,00,000/— रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना डी. डी. नगर में अपराध क्रमांक 104/25 धारा 7 छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

(14.) <u>ऑन—लाईन सट्टा</u> – दिनांक 01.04.2025 को मुखबीर की सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत कटोरा तालाब स्थित सूर्या अपार्टमेंट के पास दोपहिया वाहन में सवार होकर मोबाईल फोन में MR-BEAN नामक एप से ऑन लाईन सट्टा संचालित करने तथा सट्टा के पैसों का हिसाब—किताब रखने वाले **आरोपी 01. खुशाल जैन पिता मनोज कुमार जैन उम्र 28 वर्ष निवासी श्रीनगर आकाश गैस गोदाम के पास थाना गुढियारी जिला रायपुर। 02. तूफान तिलंते पिता मनीराम तिलंते उम्र 30 वर्ष निवासी शारदा पारा कैंप 02 भिलाई बैकुंठ धामके पास थाना छावनी जिला दुर्ग। हाल पता – काशीराम नगर मकान नं 3466 पी डब्लू डीब्रिज के पास गली नं 02 थाना तेलीबांधा जिला रायपुर** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से 03 नग मोबाईल फोन, नगदी रकम 1,57,000/— रूपये तथा सुजुकी एक्सेस वाहन क्रमांक सी जी 04 पी डब्ल्यू 2869 जुमला कीमती लगभग 2,62,000 रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 140/25 धारा छ0ग0 जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7, 8 का अपराध पंजीबद्ध कर अरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(15.) <u>ऑन—लाईन सट्टा</u> – दिनांक 12.04.2025 को मुखबीर की सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत राजीव नगर क्रिस्टल आर्केट स्थित शिवा टेलीकॉम में मोबाईन फोन में किंगडम ऐप व I4U777 के माध्यम से ऑन लाईन सट्टा संचालित करते **आरोपी 01. जय मोटवानी पिता रमेश मोटवानी उम्र 35 वर्ष निवासी सेक्टर—04 देवेन्द्र नगर थाना देवेन्द्र नगर जिला रायपुर। 02. गौतम मदनानी पिता निर्मल मदनानी उम्र 38 वर्ष निवासी महावीर नगर मयूर पार्क थाना राजेन्द्र नगर जिला रायपुर** को गिरफ्तार कर उनके **कब्जे से सट्टा संचालन में प्रयुक्त 03 नग मोबाईल फोन, 08 नग मोबाईल स्क्रीनशाट, 01 नग सट्टा —पट्टी कापी तथा 01 नग पेन जुमला कीमती लगभग 3,00,000/— रूपये जप्त** कर अरोपियों के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 84/25 धारा छ0ग0 जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6, 7 का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

(16.) <u>महादेव ऑन—लाईन सट्टा</u> – थाना देवेन्द्र नगर रायपुर के अपराध क्रमांक 73/25 धारा 4(क), 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022, 318(4), 61(2), 112(2), 336, 338, 346 बीएनएस तथा भारतीय तार अधिनियम 25 सी के प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा महादेव एप के पैनलों से कोलकाता, गुवाहाटी (असम) एवं देहरादून में बैठकर पैनल **L 95 LOTUS, LOTUS 651, LOTUS 656** तथा **CRICK BUZZ 89** के माध्यम से ऑन लाईन सट्टा संचालित करते **झारखण्ड़ के 03, म.प्र. के 02, पंजाब का 01, उ.प्र. का 02, बिहार का 01 एवं छ.ग. के 14 सहित कुल 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सट्टा संचालन में प्रयुक्त 114 नग मोबाईल फोन, 14 नग लैपटॉप, 04 नग राउटर, 94 नग विभिन्न बैंकों के ए.टी.एम. कार्ड, 15 नग विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड, 32 विभिन्न बैंकों के बैंक पासबुक, 03 बैंक चेकबुक, 01 नग सिक्युरिटी कैमरा, 04 नग पावर एक्सटेंशन बोर्ड तथा सट्टा के पैसों का हिसाब—किताब जुमला कीमती लगभग 55,00,000/— रूपये जप्त आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के साथ ही आरोपियों द्वारा ऑनलाईन सट्टे के पैसों के लेन—देन हेतु उपयोग किये जाने वाले सैकड़ो बैंक खातों को फ्रीज़ कराया गया।**

(17.) <u>महादेव ऑन—लाईन सट्टा</u> – थाना खम्हारडीह के अपराध क्रमांक 84/25 धारा छ0ग0 जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6, 7 एवं 318(4), 61(2), 112(2) बी.एन. एस. तथा भारतीय तार अधिनियम 25 सी के प्रकरण में मुखबीर की सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **महादेव एप के पैनल KABOOK पैनल क्रमांक 108 एवं 10 के माध्यम से ऑन लाईन सट्टा संचालित करते दिल्ली के द्वारिका में रेड कार्यवाही कर कुल 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके** कब्जे से **सट्टा संचालन में प्रयुक्त 17 नग मोबाईल फोन, 03 नग लैपटॉप, 22 बैंक पासबुक, 07 बैंक**

चेकबुक, 27 नग विभिन्न बैंकों का ए.टी.एम. एवं डेबिड कार्ड, 01 नग सी पी प्लस कैमरा, 02 नग पावर एक्सटेंशन बोर्ड, सट्टे के हिसाब– किताब का 01 रजिस्टर व 01 पेन जुमला कीमती लगभग 6,00,000/– रूपये जप्त **कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के साथ ही आरोपियों द्वारा ऑनलाईन सट्टे के पैसों के लेन–देन हेतु उपयोग किये जाने वाले सैकड़ो बैंक खातों को फ्रीज़ कराया गया।**

(18.) <u>जुआ एक्ट</u> – दिनांक 03.03.25 को मुखबीर की सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना अभनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना अभनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम खोरपा स्थित नाला पास रकम का दांव लगाकर ताश पत्ती से जुआ खेलते आरोपी **01. विवेक पटेल पिता फिरंताराम पटेल उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम साऊनी थाना पाटन जिला दुर्ग। 02. गोविन्दापुरी गोस्वामी पिता जगमोहन पुरी गोस्वामी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम सांकरा थाना अमलेश्वर जिला दुर्ग। 03. सत्यम कुमार सेन पिता मनोज कुमार सेन उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम साऊनी थाना पाटन जिला दुर्ग। 04. अशोक कुमार जांगडे पिता स्व0 रामकृष्ण जांगडे उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम साऊनी थाना पाटन जिला दुर्ग। 05. रमेश कुमार चन्द्राकर पिता स्व0 चिंताराम चन्द्राकर उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम कुथरेल थाना अण्डा जिला दुर्ग। 06. महेश सिन्हा पिता पंचू सिन्हा उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम जामगांव थाना अमलेश्वर जिला दुर्ग। 07. राहुल ध्रुव पिता राधेलाल ध्रुव उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम भटगांव थाना अभनपुर जिला रायपुर** को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से **नगदी रकम 1,02,900/–रूपये, ताशपत्ती, 07 नग मोबाईल फोन, 07 नग मोटर सायकल तथा 01 नग क्रेटा कार जुमला कीमती लगभग 11,00,000/– रूपये** जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना अभनपुर में अपराध क्रमांक 84/25 धारा 13 जुआ एक्ट एवं धारा 3(2) छत्तीसगढ राज्य जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

(19.) <u>जुआ एक्ट</u> – दिनांक 28.12.25 को मुखबीर की सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मुजगहन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना मुजगहन क्षेत्रांतर्गत स्थित हसी खुशी फार्म हाउस में रूपयों का हार–जीत का दांव लगाकर ताश पत्ती से जुआ खेलते **आरोपी सुरेश साहू पिता खेमराम साहू उम्र 33 साल निवासी न्यू पुरैना गुरु तेज बहादुर नगर महावीर नगर थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर तथा अन्य 15 सहित कुल 16 आरोपियों** को गिरफ्तार कर आरोपियों के **कब्जे से नगदी रकम 2,12,600/–रूपये, घटना में प्रयुक्त 02 नग चारपहिया वाहन, 08 नग दोपहिया वाहन, 17 नग मोबाईल फोन तथा ताशपत्ती जुमला कीमती लगभग 31,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध थाना मुजगहन में अपराध क्रमांक 280/25 धारा 3, 4 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

(20.) <u>जुआ एक्ट</u> – दिनांक 29.12.25 को मुखबीर की सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत गोंदवारा स्थित मारूति स्टील के पास रूपयों का हार–जीत का दांव लगाकर ताश पत्ती से जुआ खेलते आरोपी **विक्रम ठाकुर पिता विजय सिंह ठाकुर उम्र 49 साल निवासी कुंदरापारा थाना गुढियारी रायपुर तथा अन्य 07 सहित कुल 08 आरोपियों** को गिरफ्तार कर आरोपियों के **कब्जे से नगदी रकम 75,500/–रूपये, 01 नग चारपहिया वाहन, 07 नग दोपहिया वाहन तथा ताशपत्ती जुमला कीमती लगभग 12,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 1253/25 धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

(21.) <u>हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामग्री</u> – दिनांक 07.02.25 को मुखबीर कि सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत अरिहंत कॉम्पलेक्स स्थित पान स्टोरी दुकान में रेड कार्यवाही कर हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामग्रियों की बिक्री करते **आरोपी 01. अफसर अली पिता अलाउद्दीन उम्र 43 साल निवासी ग्राम पिल्ठी, जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश हाल पता– अरिहंत कॉम्पलेक्स पान दुकान न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर। 02. अनुराग मंधानी पिता मोहन लाल मंधानी उम्र 32 साल निवासी राजीव नगर खम्हारडीह रायपुर** को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से **हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित हुक्का पॉट, पाईप, नोजल, कोल, विभिन्न प्रकार के फ्लेवर, तम्बाकू तथा अन्य सामाग्री जुमला कीमती लगभग 2,00,000 /– रूपये जप्त** कर आरोपियों के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 30/25 धारा 21(1), 4 सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा

वाण्ज्यि उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 एवं संशोधन अधिनियम 2023 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

(22.) **<u>हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामग्री</u>** – दिनांक 08.04.25 को मुखबीर कि सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट, थाना खम्हारडीह तथा थाना गोलबाजार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत राजीव नगर स्थित एक मकान में तथा थाना गोलबाजार क्षेत्रांतर्गत मयूरा होटल के बाजू स्थित राज पान पैलेस दुकान में रेड कार्यवाही कर हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामग्रियों की बिक्री करते थाना खम्हारडीह के प्रकरण में **आरोपी मोहन लाल मंदानी पिता स्व. बलूप कुमार मंदानी उम्र 63 साल निवासी मकान नंबर एम–34 राजीव नगर थाना खम्हारडीह रायपुर तथा थाना गोलबाजार के प्रकरण में आरोपी अशोक कुमार मंदानी पिता स्व. बलूप कुमार मंदानी उम्र 58 साल निवासी राजीव नगर खम्हारडीह रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपी दोनों भाईयों के कब्जे से हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामग्री हुक्का पॉट, पाईप, नोजल, कोल, गोगो, विभिन्न प्रकार के फ्लेवर, तम्बाकू तथा हुक्का से संबंधित अन्य सामग्री जुमला कीमती लगभग 20,00,000/– रूपये जप्त** कर आरोपी मोहन लाल मंदानी के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 80/25 तथा आरोपी अशोक कुमार मंदानी के विरूद्ध थाना गोलबाजार में अपराध क्रमांक 54/25 धारा 4(क), 21(1) सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनिमय) अधिनियम 2003 एवं संशोधन अधिनियम 2023 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।